

इस्लाम धर्म की खूबियाँ



Hindi
الهندية
हिंदी

रचना: अब्दुल अजीज मुहम्मद अस्सलमान

तर्जमा: अबू यासिर जाकिर हुसैन

सम्पादना: अबू अस्थाद कुतुब मुहम्मद अलअसरी

प्रकाशना: मक्तब दअ़वा रबवा, रियाज, सऊदी अरब

من محسن الدين الإسلامي

المؤلف

عبد العزيز بن محمد السلمان

الترجمة

ذاكر حسين وراثة الله

المراجعة

أبو أسعد قطب محمد الأثري



Hindi

الهندية

हिंदी

© المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد و توعية الجاليات بالريوة، ١٤٤٠ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

وراثة الله، ذاكر حسين

من محاسن الدين الإسلامي. اللغة الهندية . / ذاكر حسين وراثة الله. - الرياض، ١٤٤٠ هـ

١٠٨ سم x ٢١ سم

ردمك : ٩٧٨-٦٠٣-٨٢٤٩-٣٠٧

١- الإسلام - مبادئ عامة ٢- الفضائل الإسلامية أ. العنوان

١٤٤٠/١١٤٦٦

٢١١ ديوبي

رقم الایداع: ١٤٤٠/١١٤٦٦

ردمك : ٩٧٨-٦٠٣-٨٢٤٩-٣٠٧



This book has been conceived, prepared and designed by the Osoul International Centre. All photos used in the book belong to the Osoul Centre. The Centre hereby permits all Sunni Muslims to reprint and publish the book in any method and format on condition that 1) acknowledgement of the Osoul Centre is clearly stated on all editions; and 2) no alteration or amendment of the text is introduced without reference to the Osoul Centre. In the case of reprinting this book, the Centre strongly recommends maintaining high quality.


+966 11 445 4900

+966 11 497 0126

P.O.BOX 29465 Riyadh 11457

osoul@rabwah.sa

www.osoulcenter.com



शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान (कृपालु)
निहायत रहम करने वाला (दयालु) है



विषय सूची

| | |
|---|----|
| प्रस्तावना | 9 |
| लेखक का भूमिका | 15 |
| इस्लाम की चंद अहम खूबियाँ | 17 |
| अल्लाह के बुजूद (अस्तित्व) और तौहीद की दलीलें | 18 |
| अध्याय | 25 |
| शराए़ज़ (मजहबी कवानीन) की खूबियाँ | 26 |
| नमाज की खूबियाँ | 26 |
| नमाज के दीनों व दुनियावी फ़वायेद (लाभ) | 27 |
| जकात के लाभ और उसकी खूबियाँ | 28 |
| रोजे के लाभ और उसकी खूबियाँ | 29 |
| हज्ज के लाभ और उसकी खूबियाँ | 30 |
| अल्लाह के रास्ते में जिहाद (धैर्यदृढ़) करने के लाभ और उसकी खूबियाँ | 32 |
| खरीद व फरोख्त (क्रय-विक्रय) की खूबियाँ | 35 |
| किरायादारी के लाभ | 36 |
| वकालत (प्रतिनिधित्व) और कफालत (जिम्मेदारी- जमानत) की खूबियाँ | 37 |
| शुफ़आ (पहले खरीदने का अधिकार च्तम.मउचजपवद) की खूबियाँ | 38 |
| अमानत की अदायेगी की खूबी | 39 |
| बीवी के साथ अच्छी तरह गुजर बसर करने का हुक्म | 39 |
| तरिका (पैतृक संपत्ति) की खूबियाँ | 41 |
| हिवा (दान-बख्शिश) की खूबियाँ | 42 |
| हदय व तोड़फ़ा (उपहार) के फायदे | 43 |
| शादी की खूबियाँ | 44 |
| तलाक की अहमियत तथा विशेषता | 44 |
| किसास (प्रतिविंसा) की अहमियत व फायदे | 46 |
| शराब की हुर्मत (मनाही) और उसका हिक्मत | 47 |
| इस्लाम की खूबियाँ एक नज़र में सलाह-मशूरता का हुक्म | 49 |
| तक्रवा-परहेज़गारी (संयम) अपनाने की तरीख (उत्साह प्रदान) | 49 |
| बाहमी (पारस्परिक) मुहब्बत करने की तरीख | 50 |
| चुगलखोरी तथा जुल्म की मज़म्मत (निंदा) | 50 |
| नाता तोड़ने की मज़म्मत (संबंध विच्छेद की निंदा) | 52 |
| मजाक उड़ाने की मुमानअत (मनाही) | 52 |
| सलाम करने का हुक्म | 52 |
| खड़े पानी में पेशाव करने और मुमिन को तकलीफ़ पहुँचाने की मुमानअत (मनाही) | 53 |
| दायें हाथ से खाने पीने का हुक्म | 54 |
| जनाजा के पीछे जाने और छाँकने वाले का जवाब देने का हुक्म | 54 |
| दावत (निमंत्रण) कबूल करने की अहमियत | 55 |
| शक (संदेह) की जगहों से दूर रहने का हुक्म | 56 |
| जालिम से बचने का हुक्म | 58 |
| सतर पोशी (ऐव छिपाने) का हुक्म | 58 |

| | |
|---|------------|
| मुसलमानों को खुश करने का हुक्म | 59 |
| कानाफूसी, फालतू बात तथा बद जुबानी से बचना | 60 |
| बीच रास्ते में बैठने की मुमानअत (मनाही) | 61 |
| अल्लाह के नाम पर पनाह (आश्रय) देने का हुक्म | 61 |
| नसीहत, इज्जत की हिफाज़त, मियानारवी (मध्यवर्तीता) व सब का हुक्म | 63 |
| यतीम व मिस्कीन का ख्याल | 65 |
| जानवरों पर रहम तथा दया करने का हुक्म | 67 |
| लोगों के मकाम व मर्तवा (दरजा व पद) का लिहाज़ | 68 |
| औरतों के दुकूक (अधिकार) | 70 |
| जाहिलियत के रस्स व रिवाज की मुमानअत (मनाही) | 70 |
| दौरे जाहिलियत के अङ्कीदे से इज्जतिनाव (अज्ञाता काल के धर्म-विश्वास से दूर रहना) | 74 |
| बेवफाई और गृह्णाई की हुर्मत (मनाही) | 77 |
| रोजी कमाने का हुक्म | 78 |
| मोतदिल (परिमित) खाने पीने का हुक्म | 79 |
| तंग दस्त (निर्धन) को मुहलात (अवकाश) देने का हुक्म | 80 |
| रिश्वत की हुर्मत (धूस की मनाही) और नादिम (लज्जित) को माफ करने की तरुणीब (उत्साह प्रदान) | 81 |
| दीन में खैर खाली (सदुपेदेश) का हुक्म | 82 |
| सिला रेहमी (नाता बंधन जोड़ने) का हुक्म | 83 |
| रहबानियत की मुमानअत (सन्यास तथा संसार त्याग की मनाही) | 84 |
| भलाई के काम और आखिरत की याद की तरुणीब | 85 |
| अल्लाह पर पूरा भरोसा की तरुणीब (उत्साह प्रदान) | 86 |
| समाज सुधार की तरुणीब (उत्साह प्रदान) | 88 |
| झटी गवाही देने की मनाही | 90 |
| दौरे जाहिलियत के रोसूम की मुमानअत (अज्ञाता काल के प्रथाओं की मनाही) | 90 |
| कुदरती तालाब पर कब्जा की मुमानअत (मनाही) | 91 |
| हकीकी मुक़लिस (निर्धन) कौन? | 92 |
| पाकीज़ा गुफतगू (अच्छी बात करने) का हुक्म | 93 |
| शर्म व हंगा (लज्जा करने) का हुक्म | 93 |
| जानुदार को निशाना बनाने की हुर्मत (मनाही) | 94 |
| इंसान की इज्जत व सम्मान | 94 |
| नुजूमी (ज्योतिषी) को सच मानने की मुमानअत (मनाही) | 95 |
| इस्तिकामत की तरुणीब (उत्साह प्रदान) | 96 |
| बंदों पर अल्लाह के फ़ल्ल व एहमान (कृपा व उपकार) | 97 |
| अच्छी नियत की तरुणीब (उत्साह प्रदान) | 97 |
| गस्त (अपहरण), चोरी और लटे हुए माल के खरीदने की हुर्मत (मनाही) | 99 |
| सूद की हुर्मत (मनाही) | 99 |
| इस्लाम की नेमत को याद रखो | 100 |
| इस्लाम सुरज की तरह है | 100 |
| इस्लाम अतीत (माझी) के आईना में | 103 |



प्रस्तावना

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد :

सब तारीफ़ अल्लाह तआला के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरुद व सलाम नाजिल हो उसके करीम (उदार) रसूल पर। अम्माबाद (तत्पश्चातः):

इस्लाम प्राकृतिक धर्म (फित्रत का दीन) है। इस्लाम सारे इंसान व जिन्न का धर्म है। इस्लाम के नबी मुहम्मद ﷺ सारे संसार के लिए रहमत हैं। और इस्लाम धर्म बिना भेदभाव के सब की हिदायत और भलाई के लिए आया है। इस्लाम अल्लाह का आखिरी दीन है जिस पर ईमान लाकर और जिसकी शिक्षा (तालीमात) पर अ़मल करके इंसान अल्लाह की रहमत का हव्दार बन सकता है। और जब अल्लाह की रहमत मिल गई तो इंसान आखिरत में सफल हो सकता है। इस्लाम और उसकी तालीमात के बारे में जितना भी लिखा जाये वह कम है, लेकिन यहाँ पर इस्लाम की चंद अहम खूबियों का ज़िक्र मक्सूद (कुछ विशेष गुणों का उल्लेख उद्देश्य) है।

इस्लाम की खूबियों में से एक बहुत बड़ी खूबी यह है कि वह अ़क्ल व फ़िक्र (बुद्धि-चिंता) को संबोधन करता है, और मेयारी (उच्च) अ़क्ल व सोच से पूरे तौर पर सहमत होता है, बल्कि दीन इंसानी अ़क्ल को मज़ीद रोशनी (अधिक आभा) पढ़ूँचाता और उसको चमकारा करता है, और उसकी सलाहियतों को मुनज्ज़म (विशेषताओं को संगठित) करके इंसानियत की सेवा पर आमादा करता है। वद्य की रोशनी में अ़क्ल बाबसीरत (दूरदर्शी) हो जाती है जिसके नतीजे में इंसान के आज़ा व जवारिह (अंग-प्रत्यंग) बल्कि उसका सारा वुजूद (अस्तित्व) दुनिया की हर चीज़ से संपर्क ख़त्म करके सिर्फ़ अल्लाह तआला के सामने सज्दा करने

लगता है। अङ्कुर की दुनिया में यह इंकिलाब वास्तव में वह्य के फैज़ान (की बरकत) का नतीजा है। इस लिए अब उसकी सोच का दायरा (परिधि) महदूद (सीमित) दुनिया से बहुत आगे आखिरत में जहन्नम के अज़ाब से आज़ादी और जन्नत की प्राप्ति होती है।

इस्लाम की बड़ी खूबियों में से एक बड़ी खूबी यह है कि वह इंसानी ज़िंदगी के पाँच अहम अन्नासिर का मुहाफ़िज़ (विशेष उपादान का रक्षक) तथा निगराँ है:

- १ नफ़्स का मुहाफ़िज़,
- २ अङ्कुर का मुहाफ़िज़,
- ३ दीन का मुहाफ़िज़,
- ४ माल का मुहाफ़िज़,
- ५ इज़्ज़त व आबरु का मुहाफ़िज़।

अगर गौर से देखा जाये तो इन्हीं पाँच चीज़ों की रक्षा तथा हिफाज़त का नाम तहज़ीब व तमहुन (शिष्टता व सभ्यता) है। और जिन जाति व संप्रदाय और उनकी हुकूमतों, और उनके दानिशवरों (बुद्धिमानों) ने इन पाँच मैदानों में सफलता प्राप्त की, इतिहास में उनका नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जायेगा।

इस्लाम की एक बड़ी खूबी यह है कि वह अपने मानने वालों को और अपने मुंकिरीन (निवर्तकों) सबको इंसान होने के नाते असंख्य अधिकार व सहूलतें प्रदान करता है, बल्कि जानवरों के अधिकार का भी पासदार (ख्याल रखने वाला) है, वह चरिंद व परिंद (पशु-पक्षी) और मौसम का पासबान तथा रक्षक है।

इस्लाम की एक बड़ी खूबी यह है कि उसने समाज के हर तबके (वर्ग) के लिए वाज़िह तालीमात (स्पष्ट शिक्षाएं) दीं। मर्द के लिए अलग, औरतों के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग और बूढ़ों के लिए अलग। आक़ा और गुलाम के तअल्लुकात (स्वामी और दास के संबंध) कैसे होने चाहिए, पति पत्नी शादी व्याह के रिश्ता में कैसे मुन्सलिक (संबद्ध) हों और कैसे ज़िंदगी गुज़ारें, और अगर ज़िंदगी अजीरन (दूभर) हो जाए तो अपनी अपनी राह लेने का अच्छा

सा तरीका कौनसा है? सुलह (संधि) के दिन हों या जंग (युद्ध) के, गैर मुस्लिमों से मुसलमानों के तअल्लुकात (संबंध) किस तरह होने चाहियें? सच यह है कि इस्लाम ने मर्दों, औरतों तथा बच्चों के लिए मुस्तकिल आदाब (स्वतंत्र व्यवहार-नियम) बताए हैं।

इंसान की फ़ित्री ज़खरत (प्राकृतिक आवश्यकता) और उसकी प्रकृति में से है कि मर्द और औरत अ़ह़दे बुलूगत (यौवन काल) में दोनों एक दूसरे के करीब (समवयस्क) हों, प्यार व मुहब्बत की परिस्थिति (माहौल) में ज़िंदगी गुज़ारें और आपस में मिल जुल कर ज़िंदगी बसर करने में खुश तथा प्रसन्न हों। लेकिन इस फ़ित्री ज़खरत की तकमील (समापन करने) को खुल्लम-खुल्ला नहीं छोड़ दिया गया, क्योंकि इससे दुनिया में फ़साद पैदा होगा और अम्न व शांति की तलाश में प्रयत्नवान (सर गर्दाँ) समाज फ़िल्ना व फ़साद की फैक्टरी बन जायेगा। उसके लिए इस्लाम ने शादी-ब्याह का स्थायी एक निज़ाम बनाया, जिस पर अमल करते हुए मर्द तथा औरत एक रिश्ते में मुन्सलिक (संबद्ध) हो जाते हैं और इस तरह दो दिल आपस में मिल जाते हैं। अल्लाह तअ़ाला ने इस निज़ाम की बरकत से उन जोड़ों के दिलों में मुहब्बत कूट कूट कर भर दी, जिसके नतीजा में एक ख़ानदान वुजूद में आता है जो आपस में निहायत मानूस हो जाता है और भविष्य में यही मुत्मझन (प्रशांत) ख़ानदान समाज के अम्न व शांति का उन्नावान (प्रतीक) बनता है।

अगर हर मर्द और औरत इस बात में आज़ाद होते कि जो जिसके साथ बिना किसी नियम-कानून तथा रोक-टोक के चाहे रहे, और ऐश व आराम (भोग-विलास) करे तो आज दुनिया में शायद कोई ज़िंदा ही नहीं रहता या शायद दुनिया खंडर का नमूना होती।

चूँकि इंसानी नस्ल की बक़ा (नित्यता) और समाज के अम्न व शांति का रास्ता मर्द व औरत की शांति प्रिय ज़िंदगी से होकर गुज़रता है, इस लिए गर्भधारण

(हम्ल) तथा जन्मग्रहण (विलादत) की मंजिलों से गुज़र कर जब औरत माँ का मुकद्दस (पवित्र) रूप धारण करती है और मर्द को बाप बनने का शरफ (गौरव) हासिल होता है और नवजात दोनों ही का नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान का तारा तथा उनकी आँख का ठंडक होता है। इस मर्हला में पति पत्नि का संबंध घनिष्ठ हो जाता है और उसकी तर्बियत (पालन-पोषण) के नुक्ते पर वह एक दूसरे से ज़्यादा करीब हो जाते हैं। बच्चा की विलादत के बाद इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक (एकता) और प्रीति व शांति का एक किबूला मयस्सर (दिशा सुलभ) हो जाता है, जिस एकता के नुक्ते पर दोनों की निगाहें बैठ जाती हैं और दोनों उसकी परवरिश तथा देख-भाल पर बहुत संजीदा (गंभीर) हो जाते हैं। पता चला कि इस शादी-ब्याह के रिश्ते से केवल एक जोड़े का मिलाप ही नहीं होता बल्कि एक ख़ानदान वुजूद में आ जाता है, और मर्द व औरत के ख़ानदानों के बीच यह नौ मौलूद (नवजात) अधिक मज़बूत राविता का उन्नवान (दृढ़ संबंध का विषय) बन जाता है। इस्लाम ने तो भाँजे को भी मामा के ख़ानदान का एक फर्द (सदस्य) करार दिया है। जैसाकि हडीस में आया है: ”ابْنُ اُخْتٍ^۱ اَنْقُومُ مِنْهُ۔“ अर्थात ((बहन का लड़का कौम में से है।)) इस तरह से समाज में अम्न व शांति का रिवाज होता है, लोगों को खुशियाँ नसीब होती हैं और इंसानी नस्ल का तसल्सुल (निरंतरता) बरकरार रहता है। इस फित्री तसल्ली बख्शा जज़्बा (प्राकृतिक सांत्विक एहसास) के शरई निज़ाम (मज़हबी कानून) से जिसकी असास (नीव) पर इंसानी समाज की इमारत कायम तथा स्थापित है, अगर मर्द व औरत के मिलाप की कोई और गैर शरई (अनैतिक) सूरत होती तो उसका अंजाम (परिणाम) समाज में बेचैनी, क़ल्ल व ख़ुरेज़ी (रक्तपात) और बेसहारा तथा नाजायज़ औलाद की शक्ल (रूप) में सामने आता, जिससे समाज में बिगाड़ के अलावा कुछ न हासिल होता। दुनिया के समाजी कानून में जो बिगाड़ पाया जाता है उसका हल (समाधान) सिर्फ़ इस्लामी निकाह तथा इस्लाम के समाज व्यवस्था में है।

कुरुआन व हडीस का ज्ञान रखने वालों पर इस्लाम की विशेषतायें तथा ख़ूबियाँ पोशीदा नहीं हैं, लेकिन एक आम आदमी को ज़खरत होती है कि वह इस्लाम की ख़ूबियों को इख्तिसार के साथ (संक्षिप्त रूप से) जान ले। उलमा (विद्वानों) ने किताब व सुन्नत की रोशनी में इस्लाम की ख़ूबियाँ और इस्लामी तालीमात की ख़ूबियों को उजागर (प्रकट) किया है।

कुछ ज़ेरे नज़र (वक्ष्यमाण) पुस्तक “इस्लाम धर्म की ख़ूबियाँ” के बारे में: सऊदी अरब के मशहूर आलिम (विद्वान) शैख़ अब्दुल अज़्ज़ीज़ मुहम्मद अस्सल्मान रहेमहुल्लाह ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जिनमें इस्लामी तालीमात को साधारण अंदाज़ में पाठक के सामने पेश किया गया है। आपकी किताबें बड़ी तादाद (विपुल संख्या) में मुफ्त तक़सीम होती रही हैं और उनसे लोग फ़ायदा भी उठाते रहे हैं। आपकी बेहतरीन तस्नीफ़ात (रचित ग्रंथों) में से ज़ेरे नज़र (वक्ष्यमाण) ग्रंथ “इस्लाम धर्म की ख़ूबियाँ” भी है जिसका इख्तिसार (संक्षेप) उर्दू में बहुत ज़्माना पहले प्रकाशित हो चुका है। इस किताब के उर्दू तथा हिन्दी प्रचार के लिए नये सिरे से निस्बतन (तुलना मूलक) ज्यादा जामेअू (व्यापक) उर्दू तथा हिन्दी नुस़खा (प्रति) तैयार किया गया है, जिसमें कुरुआनी आयतों के साथ साथ उनके तर्जुमे शाह फ़हद कम्प्लेक्स के अनुवादित (मुतरज्जम) मुस्हफ़ से माखूज़ (संगृहीत) हैं। और हडीसों को तख़्रीज के साथ पेश किया गया है तथा साथ में उनका तर्जुमा भी दे दिया गया है। ज़बान व बयान में आसान उस्लूब (शैली) को अखिल्यार किया गया है, ताकि इस किताब से ज्यादा से ज्यादा लोग फ़ायदा उठायें। इस किताब की तैयारी में जिन लोगों ने हाथ बटाया है वह सब शुकरिया के हक्कदार हैं। उन में क़ाबिले ज़िक्र (उल्लेख योग्य) शैख़ अबू अस़अ़द कुतुब मुहम्मद अल्असरी हैं जिन्होंने किताब का उर्दू में तर्जुमा किया, तथा हिलालुद्दीन रियाज़ी ने इसे कम्पोज़ करके इस क़ाबिल बनाया कि यह पाठक के हाथों में जा सके, और शैख़ अबू यासिर ज़ाकिर हुसैन ने किताब का हिन्दी में तर्जुमा तथा कम्पोज़ किया। हमारी दुआ है कि अल्लाह तअ़ाला किताब के लेखक, उनकी

आलू-औलाद और इसके प्रचार में हिस्सा लेने वाले सभी शुरका (साझीदारों) की नेकियों को क़बूल करे, और हमें अधिक इस बात की तौफ़ीक (प्रेरणा) दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करें। व सल्लल्लाहु अला सैईदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अर्थात् हमारे सरदार मुहम्मद, उनके परिवार-परिजन (आल औलाद) और उनके साथियों (सहाबा) पर दुखद व सलाम नाज़िल हो।

डाक्टर अब्दुर्रहमान अब्दुल जब्बार अल्फरेवाई

अध्यापक हदीस, अलइमाम मुहम्मद बिन सुऊद

इस्लामिक यूनीवर्सिटी, रियाज़





लेखक का भूमिका

الحمد لله الذي تفرد بالجلال والعظمة والعز والكبرىاء والجمال، وأشكره شكر عبد معرف بالتقدير عن شكر بعض ما أوليه من الإنعام والإفضال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

सब तारीफ़ (प्रशंसा) उस अल्लाह के लिए जो जलाल व अ़ज्ञत (महता व श्रेष्ठता), इज्जत व बड़ाई और जमाल (सौंदर्य) में यकता (अद्वितीय) तथा बेमिसाल (अनुपम) है। और मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ उस शर्मसार (लज्जित) बंदा की तरह जो उसके फ़ूज़ल व करम तथा एहसान का पूरे तौर पर शुक्र अदा न करने का स्वीकर्ता (इक्रार करने वाला) है। और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद ﷺ अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह उन पर और उनके परिवार-परिजन (आल औलाद) तथा उनके साथियों (सहाबा) पर बहुत बहुत दुखद व सलाम नाज़िल फ़रमाये।

मैं ने इस्लाम धर्म की ख़ूबियों का एक मज़्मूआ (समष्टि) तैयार किया था और उसे अपनी किताब “मवारिदुज़ ج़मूआन लिदुरुसिज्ज़मान” में शामिल किया था। चंद ख़ैर अन्देशों (शुभ चिंतकों) ने यह राय दी कि इस्लाम की ख़ूबियों के इस मज़्मूआ को किताब से अलग छाप कर मुसलमानों और गैर मुस्लिमों में तक़सीम किया जाये। उम्मीद है कि अल्लाह तआला उनको इसके द्वारा लाभ पहुँचाये और जिन्हें हिदायत व तौफ़ीक़ देना मंजूर हो, उनके लिए इस किताब को हिदायत का ज़रीया बना दे। अल्लाह से दुआ है कि हमारे इस अ़मल को अपनी ज़ाते करीम (उदार हस्ती) के लिए ख़ास कर ले, और जिन्होंने भी इस किताब को छपवाया

तथा उसकी नशूर व इशाअ़त (प्रचार प्रसार) में हाथ बटाया, और जिन्होंने इसे पढ़ा तथा सुना, सबको अल्लाह इसका बेहतरीन बदला प्रदान करे, बेशक वह सुनने वाला, समीप तथा क़बूल करने वाला है। ऐ अल्लाह! तू मुहम्मद पर और उनके परिवार-परिजन (आल ओलाद) पर दुर्भद व सलाम नाज़िल फ़रमा।





इस्लाम की चंद अहम खूबियाँ

अल्लाह के बंदो! अल्लाह तआला (जो कहने वालों में सबसे सच्चा है) फ़रमाता है:

﴿الْيَوْمَ أَكْلَمْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [٢٣: ٦١]

“आज मैं ने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल (परिपूर्ण) कर दिया, तुम पर अपना इनआम (उपहार) भरपूर कर दिया, और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर रिजामंद (प्रसन्न) हो गया।” (अल्माइदा: ३)

अल्लाह तआला ने सभी धर्मों पर इस्लाम धर्म को ग़ालिब (विजय) करके उसे मुकम्मल फ़रमाया, और अपने बंदा तथा रसूल (संदेष्टा) मुहम्मद ﷺ की मदद फ़रमाई, और मुशरिकों (अनेकेश्वरवादियों) को बुरी तरह ज़लील व रुस्वा किया, जो मुसलमानों को उनके दीन से रोकने के लिए बड़े हरीस तथा बज़िद (लोलुप तथा आग्रही) थे। उन्हें इसकी बहुत लालच थी, लेकिन जब उन्होंने इस्लाम का ग़्लबा और उसकी इज़्जत व कामयाबी देखी तो मुसलमानों को अपने दीन में दोबारा वापस लाने से हर तरह मायूस (निराश) हो गए और उनसे घबराने लगे, और अल्लाह तआला ने अपनी इस नेमत (उपहार) को हिदायत, तौफ़ीक और ग़्लबा व ताईद (जय व समर्थन) के ज़रीया अपने बंदों पर पूरी कर दी, और दीन की हैसियत से इस्लाम को हमारे लिए परसंद फ़रमाया, और इस्लाम को ही सभी धर्मों में हमारे लिए मुन्तख़ब (चयन) फ़रमाया। अल्लाह के नज़दीक इस्लाम के सिवा कोई दूसरा दीन क़ाबिले क़बूल (ग्रहण योग्य) नहीं। जैसाकि अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ عَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ﴾

[آل عمران: ٨٥]

“और जो व्यक्ति इस्लाम के अलावा और दीन तलाश करे उसका दीन क़बूल न किया जायेगा, और वह आश्विरत (परलोक) में घाटा उठाने वालों में होगा।”
(आल इम्रान: ٢٥)

अल्लाह के वुजूद (अस्तित्व) और तौहीद की दलीलें

ऐ लोगो! जिनके चिंता-भावना तथा विचार साफ़ सुधरे थे, उन्होंने इस्लाम के तालीमात (शिक्षाओं) पर नज़र दौड़ाई तो उसे गले से लगा लिया। और जब उसकी महान हिक्मतों (रहस्यों) पर चिंता-भावना किया तो उसे महबूब (प्रिय) बना लिया। और जब उन दिलों पर इस्लाम के इब्तिदाई हकीमाना मसायेल (प्राथमिक वैज्ञानिक तत्व) का सिक्का जम गया, तो उन्होंने उसकी महानता व बड़ाई को स्वीकार कर लिया। और जब आदमी सही सूझ बूझ, उज्ज्वल विवेक (रौशन बसीरत) और सही चिंता-भावना करने वाला होता है तो उसका रिश्ता इस्लाम से बहुत मज़बूत (दृढ़) हो जाता है। क्योंकि इस्लाम में बड़ी खूबियाँ और महान श्रेष्ठता मौजूद हैं। जब इस्लाम ने तौहीद के अ़कीदे (अद्वैतवाद के विश्वासों) को पेश किया तो अ़क्ले सलीम को बड़ी राहत मयस्सर (शुद्ध विवके को चैन सुलभ) हुई, और सीधी तबीअत (प्रकृति) ने इसका इक़रार किया। और तौहीद इस एतिकाद (विश्वास) की दावत (निमंत्रण) देती है कि पूरी दुनिया का एक ही हकीकी माबूद (सत्य उपास्य) है जिसका कोई शरीक व साझी नहीं, वह अव्वल (प्रथम) है उसकी कोई शुरूआत नहीं, और वह आश्विर (अंत) है जिसकी कोई इंतिहा व हद नहीं।

﴿لَيْسَ كُثُلِهُ شَفَعٌ وَهُوَ أَلْسَمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]

“उसके मिस्ल (सदृश) कोई चीज़ नहीं, और वह सुनने वाला देखने वाला है।”
(अशूरा: ٩٩)

वही पूरी कुद्रत (क्षमता) वाला, मुत्तलक इरादे (नितांत इच्छाओं) का मालिक तथा उसका ज्ञान पूरी काइनात को मुहीत (जगत को परिवेष्टित) है। सारी मख्लूक (सृष्टि) का उसके सामने झुकना और उसकी फ़रमाबदारी (आज्ञाकारिता) करना

आवश्यक है, और उसी की मर्ज़ी के अनुसार अमल करना ज़रूरी है, और उसके तमाम हुक्मों को बजा लाना वाजिब है और उसकी मना की हुई चीज़ों से बचना आवश्यक है। उसने नफ़्स तथा संसार में दलायेल व बराहीन (युक्ति व तर्क) कायम किये हैं, और बुद्धिमानों को उन पर गौर करने तथा उनसे दलील हासिल करने की तऱगीब (उत्साह) दी है, ताकि उनके ज़रीया अल्लाह का परिचय और महानता (मारिफ़त और अ़ज़मत) उपलब्ध करके हुकूम (प्राप्तों) को अदा कर सकें। अतः तुम कभी कभार सोचते होगे कि खुद तुम्हारा वुजूद और किसी भी चीज़ का वुजूद किसी पैदा करने वाले के बगैर मुम्किन (संभव) नहीं है। जैसाकि अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ عَيْرِ شَجَاعٍ أَمْ هُمُ الْخَلَقُونَ﴾ [الطور: ٣٥]

“क्या यह बगैर किसी (पैदा करने वाले) के अपने आप पैदा हो गए हैं या यह स्वयं पैदा करने वाले हैं।” (अत्तूर: ३५)

रही यह बात कि इंसान अपना खुद मूजिद (आविष्कर्ता) है तो इस बात का कुछ लोगों ने दावा किया है, लेकिन इंसान का यूँ ही बगैर किसी पैदा करने वाले के पैदा हो जाना यह ऐसी बात है जिसे फ़ित्रत की ज़बान शुरू ही से खंडन करती आई है, जिसके लिए कम या ज्यादा किसी वाद विवाद की ज़रूरत नहीं। और जब यह दोनों ही बातिल साबित (अनृत प्रतिपन्न) हुए तो केवल यही एक हकीकत बाकी रह जाती है जिसका एलान कुर्�आन कर रहा है, और वह यह कि म़ख्तूक (सृष्टि) को केवल उस अल्लाह ने पैदा किया जो एक अकेला अद्वितीय तथा बेनियाज़ (निस्पृह) है।

﴿لَمْ يَكُلْدَ وَلَمْ يُوَلَّدْ ② وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ٤-٢]

“न उससे कोई पैदा हुआ और न उसे किसी ने पैदा किया, और न उसका कोई हम़सर (समकक्ष) है।” (अल-इख्लास: ३-४)

और कभी आदमी जब आस्मान व ज़मीन की ओर निगाह उठा कर सोचता

है कि क्या उसे इंसानों ने पैदा किया है? क्योंकि आस्मान व ज़मीन ने अपने आपको तो खुद से पैदा नहीं किया है जैसाकि इंसान खुद से पैदा नहीं हुआ, और कभी आदमी जब विवेक-बुद्धि तथा दृष्टि के सामने फैले हुए आस्मान की ओर अपनी निगाह डालता है और उसमें चमकते सूरज, रौशन चाँद और झिलमिलाते सितारों (नक्षत्रों) को देखता है तो बेधड़क ज़बान से निकल जाता है:

﴿نَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سَرَجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا﴾ [الفرقان: ٦١]

“बा बरूकत (अत्यंत शुभ) है वह ज़ात जिसने आस्मान में बुर्ज (बड़े बड़े ग्रह) बनाये और उसमें सूर्य तथा प्रकाशित चन्द्रमा बनाया।” (अलफुरूकान: ६१)

और ज़बान यह भी कहने लगती है:

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ، مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ أَسْرِينَ وَالْحِسَابَ﴾ [يونس: ५]

“वह (अल्लाह तआला) ऐसा है जिसने सूरज को चमकता हुआ बनाया और चाँद को नूरानी (प्रकाशमय) बनाया तथा उसके लिए मंज़िलें मुकर्रर (गंतव्य स्थल निर्धारित) किये, ताकि तुम वर्षों की गिनती और हिसाब मालूम कर लिया करो।” (यूनुस: ६१)

फिर यूँ कहने लगेगी:

﴿فَإِلَى الْأَصْبَاحِ وَجَعَلَ الْيَلَّا سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ [الانعام: १६]

“वह (अल्लाह तआला) सुबह का निकालने वाला है, और उसने रात को आराम के लिए और सूरज एवं चाँद को हिसाब लगाने के लिए बनाया। यह ठहराई (निर्धारित) बात है ऐसी ज़ात की जो क़ादिर (परम प्रभावी) और बड़े इत्म वाला (ज्ञाता) है। (अलअन्झाम: ६६)

और यह भी कहती है:

﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْهُمْ كَيْفَ بَيْتَهَا وَرَبِّيَّهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ﴾ [سورة ق: ٦]

“क्या उन्होंने आस्मान को अपने ऊपर नहीं देखा कि हमने उसे किस तरह बनाया है और ज़ीनत (शोभा) दी है? उसमें कोई शिगाफ (दरार) नहीं।” (काफ़: ६)

और यह भी कहती है:

﴿أَوْلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلْكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الاعراف: ١٨٥]

“क्या उन लोगों ने गौर नहीं किया आकाशों तथा धरती लोक में और दूसरी वीजों में जो अल्लाह ने पैदा की हैं।” (अल्लाराफ़: १८५)

और यह भी कहती है:

﴿الَّذِي خَلَقَ سَبَعَ سَمَوَاتٍ طَبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفْوِيتٍ فَإِنْجِعْ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ قُطُورٍ ۚ مَمْ أَنْجَعَ الْبَصَرَ كَرَبَّنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ حَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ﴾ [الملك: ٤-٢]

“जिसने सात आकाश ऊपर-नीचे पैदा किये (तो हे देखने वाले! तू) रहमान (अल्लाह) की पैदाइश में कोई असंगति न देखेगा, दोबारा (नज़रें डाल कर) देख लो कि क्या कोई चीर भी दिखाई दे रही है? फिर दोहरा कर दो-दो बार देख लो, तुम्हारी निगाह तुम्हारी ओर हीन होकर थकी हुई लौट आयेगी।” (अल्मुल्क: ३-४)

और यह भी कहती है:

﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَوِّرٌ وَجَنَّتٌ مِنْ أَعْنَبٍ وَزَرْعٍ وَنَخْيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَنُ بِمَاءٍ وَحِدَةٍ وَنَفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ﴾ [الرعد: ٤]

“और धरती में विभिन्न प्रकार के टुकड़े एक-दूसरे से मिले जुले हैं, और अंगूरों के बागात (उद्यान) हैं तथा खेत हैं एवं खजूरों के वृक्ष हैं, शाखाओं वाले तथा कुछ ऐसे हैं जो शाखाओं वाले नहीं, सब एक ही पानी से रसींचे जाते हैं, फिर भी हम एक को एक पर फलों में बरूतरी (श्रेष्ठता) देते हैं।” (अर्राद: ४)

अंगूर के वृक्ष को हन्ज़ल (इंदराइन का वृक्ष जो सख्त कड़वा होता है) के बगल में ज़मीन के एक ही टुकड़े में तुम देखते हो, दोनों एक ही पानी से सैराब होते (रसींचे जाते) हैं, हर वृक्ष की जड़ें ज़मीन से अपनी मुनासिब गिज़ा (उपयुक्त खाद्य) चूस रही हैं जिससे उनका ढाँचा कायम है, और हर वृक्ष अपना अपना फल देता है, जो दूसरे वृक्ष के फल से रंग, मज़ा और बू में बिल्कुल मुख्तलिफ़

(भिन्न) होता है। और इसी तरह आस पास के दूसरे दरख्तों का भी यही हाल जिनकी ज़मीन एक और पानी एक है लेकिन रंग और मज़ा अलग अलग है, क्या यह पता नहीं देतीं कि एक बनाने वाले, हकीम क़ादिर का वुजूद बरहक (परम ज्ञानी तथा सक्षम का अस्तित्व सत्य) है?

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ [البقرة: ٢٤٨]

“बेशक इसमें अल्लाह की बड़ी निशानी है।” (अल्बकरा: २४८)

कभी आदमी आस्मान से नाज़िल होने वाले पानी की तरफ देखता है जिससे ज़िंदगी का सहारा कायम है, अगर अल्लाह चाहता तो उसे खारा बना देता जिससे कोई फ़ायदा न होता। और कभी अल्लाह अपनी वहदानियत और मुल्क व तद्बीर में अपनी इनफ़िरादियत पर कलाम (एकत्ववाद और बादशाहत व परिचालना में अपनी अनुपमता पर बात) करता है, अर्थातः

مَا أَنْجَحَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ [آل المؤمنون: ٩١]

“अल्लाह ने कोई औलाद नहीं बनाई, और न उसके साथ कोई माबूद है।” (अल-मौमिनून: ६९)

और दूसरी आयत में संक्षिप्त शब्दों (मुख्तसर अल्फ़ाज़) में तथा महान अर्थ के साथ इशाद फ़रमाया:

لَوْ كَانَ فِيهِمَا إِلَهٌ إِلَّا إِلَهٌ لِفَسَدَتَا [الأنبياء: ٢٢]

“अगर आस्मान व ज़मीन में अल्लाह के सिवा और कोई माबूद होता तो आस्मान व ज़मीन तबाह व बर्बाद हो चुके होते।” (अल-अम्बिया: २२)

इनके अलावा दूसरे बहुत से दलाएल (प्रमाण) हैं। और अल्लाह ने अपने बंदों के लिए ऐसी इबादतें मशरूअ (शरीअत सम्मत) की हैं, जो नफ़रों (आत्माओं) को संवारती और उसकी सफाई करती हैं, और तअल्लुक़ात को मुनज्ज़म और क़वी (संबंधों को संगठित और शक्तिशाली) करती हैं, और दिलों को जोड़ती और उसे पाकीज़ा (निर्मल) बनाती हैं। इस्लाम इसी तालीम व शिक्षा को लेकर

नुमूदार (आविर्भुत) हुआ जिसकी दावत (आहान) पर तमाम पैग़ाम्बर मुत्तहिद (सहमत) थे। अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ الَّذِينَ مَا وَصَّنِي بِهِ، فُوْحًا وَالْدَّى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّبَنَا بِهِ إِنْتَ رَهِيمٌ وَمُؤْمِنٌ وَعَسِّى أَنْ أَقِمُوا الَّذِينَ وَلَا نَنْفَرُوهُ فِيهِ كُرْ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدَعُهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَعْلَمُ إِيمَانَهُمْ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ [الشورى: ١٢]

“अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिए वही दीन मुकर्रर कर दिया है जिसके कायम करने का उसने नूह ﷺ को हुक्म दिया था, और जो (वह्य द्वारा) हमने तुम्हारी ओर भेज दी है, और जिसका ताकीदी हुक्म हमने इब्राहीम और मूसा और ईसा (अलैहिमुस्सलाम) को दिया था कि इस दीन को कायम रखना और उसमें फूट न डालना, जिसकी तरफ़ आप उन्हें बुला रहे हैं, वह तो (इन) मुशरिकों पर गिराँ (भारी) गुज़रती है। अल्लाह तआला जिसे चाहता है अपना बरगुज़ीदा बंदा (सदात्मा) बनाता है, और जो भी इस तरफ़ रुजू करे वह उसकी सही रहनुमाई (मार्ग दर्शन) करता है।” (अश्शूरा: ٩٣)

ऐ अल्लाह! हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर (आलोक से आलोकित) फ़रमा, और हमें हमारे नफ़्स और शैतान की बुराई से पनाह में रख, और अपनी इताअ़त की हमें तौफ़ीक (आज्ञाकारिता की प्रेरणा) दे, और नाफ़रमानी से हमें बचा। और ऐ अरहमराहिमीन (दया करने वालों में सबसे अधिक दया करने वाले)! अपनी रहमत से हमको और हमारे वालिदैन (माता पिता) को और तमाम मुसलमानों को क्षमा कर दे। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अर्थात मुहम्मद, उनके परिवार-परिजन और उनके साथियों (सहाबा) पर दुर्लद व सलाम नाज़िल हो।







अध्याय

सभी इन्साफ़ पसंद (न्याय प्रिय) मुहकिक़कीन (गवेषकों) ने इस बात की स्वीकृति दी है कि हर फ़ायदामंद इल्म चाहे वह दीनी हो या दुनियावी या सियासी कुर्खान ने उसे अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है। अतः इस्लामी शरीअत में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको अ़क्ल (विवेक-बुद्धि) महाल (असंभव) समझती हो, बल्कि इसमें वही बातें हैं जिनकी सच्चाई व उपकारिता (इफ़ादियत) तथा दुरुस्तगी (यथार्थता) की अ़क्ले सलीम (गंभीर विवेक) गवाही देती है। इसी तरह इस्लाम के तमाम अहकाम (विधि-विधान) इन्साफ़ तथा न्याय पर आधारित हैं, उनमें किसी तरह की कोई जुल्म व ज्यादती नहीं। जिस चीज़ का भी इस्लाम ने हुक्म दिया है वह सरासर भलाई या उसकी ओर ले जाने वाली है, और जिस चीज़ से उसने मना किया वह सरासर बुराई है या कम से कम उसकी बुराई उसकी अच्छाई पर ग़ालिब है। अ़क्लमंद (बुद्धिमान) होशियार आदमी जब भी इस्लाम के अहकामात पर गौर करता है तो उसका ईमान व इख्लास मज़बूत हो जाता है। और जब वह इस ठोस दीन पर गौर करता है तो यह पाता है कि इस्लाम मकारिमे अख्लाक़ (सुंदर चरित्र), सच्चाई व सफाई, पाकदामनी व सतीत्व, न्याय व इन्साफ़, वादे की पाबंदी, अमानतों की अदायेगी, यतीम और मिस्कीन के साथ हुस्ने सुलूक (सदाचरण), पड़ोसी के साथ अच्छा बरूताव, मेहमान की इज़ज़त व सम्मान, अच्छे अख्लाक़ से आरास्ता (सुसज्जित) होने, मियाना रवी (मध्यवर्तिता) के साथ ज़िंदगी की लज़्ज़तों से लुक़ अंदोज़ होने (स्वादों को उपभोग करने) और नेकी तथा तक़्वा व परहेज़गारी की दावत देता है। और बेहयाई (निर्लज्जता) व मुन्कर (शरीअत के खिलाफ़ बात) और पाप व अन्याय से रोकता है। वह केवल उन्हीं बातों का हुक्म देता है जिसका फ़ायदा दुनिया को सआदत व फ़लाह (सौभाग्य व कल्याण) की सूरत में प्राप्त होता है। और उन्हीं बातों से रोकता है जो लोगों में बदबूख़ती (दुर्भाग्य) और नुक्सान का कारण होती है।

❖ शाएअू (मज़हबी क़वानीन) की खूबियाँ

और इस्लाम के बड़े बड़े मज़हबी कानून अर्थात् नमाज़ कायम करने, ज़कात अदा करने, रमज़ान का रोज़ा रखने और अल्लाह के घर का हज्ज करने की खूबियों पर गौर करो।

❖ नमाज़ की खूबियाँ

जब तुम नमाज़ पर गौर करोगे तो तुम्हें मालूम होगा कि नमाज़ बंदा और अल्लाह के बीच एक खुसूसी तअल्लुक (विशेष संबंध) है। तुम उसमें अल्लाह के लिए इख्लास और उसकी तरफ ध्यान और अदब व सम्मान, प्रशंसा व प्रार्थना, और खुजूअू (विनय) और बंदा की तरफ से अपने रब के लिए अ़ज़्مत व जलाल का मज़हर (महानता व प्रताप का दर्शन) पाओगे। और अपने आक़ा व मालिक (प्रभु व स्वामी) के लिए ताज़ीम व तक़दीस व किबूरियाई (सम्मान व पवित्रता व बड़ाई) वाजिबी तौर पर बयान करने की राह दिखाता है। गुलामी की शान आक़ा के हुजूर (समीप) होती है, आदमी अपने रब के सामने खड़ा होकर इक़रार करता है कि वह हर चीज़ से बड़ा है और वही बड़ाई व बुजुर्गी का हक़्कदार है (अल्लाहु अक्बर), फिर बंदा अल्लाह के शायाने शान (प्रतिष्ठा योग्य) उसकी हम्द व सना (प्रशंसा व स्तुति) बयान करता है, और बंदगी में सिर्फ़ उसी को ख़ास करता है, और उसी से आह् व ज़ारी (विलाप विनति) करते हुए मदद का तालिब (आवेदक) होता है कि अल्लाह हमें सिराते मुस्तक़ीम (सीधे मार्ग) की तरफ़ रहनुमाई कर दे, और उन लोगों की राह दिखला जिन पर तू ने तौफ़ीक व हिदायत का इन्झाम (अनुकम्पा) किया, और उन लोगों की राह से बचा ले जिन पर तेरा ग़ज़ब नाज़िल हुआ, क्योंकि वह सीधी राह को मालूम करके भी उससे मुन्हरिफ़ (विमुख) हो गए, और अल्लाह उन गुम्राह (पथभ्रष्ट) लोगों की राह से दूर रखे जो सत्य मार्ग से हट गए, जिन्होंने अपनी ख़ाहिशात (इच्छाओं) और शैतान की गुलामी की।

और उस समय आत्मा अल्लाह की बड़ाई और उसकी हैबत व जलाल (आतंक

व प्रताप) से भर जाता है, और फिर बंदा अपने मुअ़ज्ज़ज़ अअूज़ा (आदृत अंगों-प्रत्यंगों) के बल अल्लाह के सामने सज्दे में गिर जाता है, और ज़िल्लत व लाचारी का इज़्हार (प्रकटन) उस ज़ात के सामने करता है जिसके हाथ में आस्मानों और ज़मीनों की कुंजियाँ हैं। दीनी हैसियत (धार्मिक दृष्टिकोण) से नमाज़ की खुसूसियतें (विशेषतायें) वास्तव में विश्व-जहान के प्रतिपालक के सामने झुकना और उस क़ाहिर व क़ादिर (प्रवल व शक्तिशाली) की बड़ाई का इक़रार तथा स्वीकृति है। और जब दिल इस हकीकत को अच्छी तरह समझ जाता है और नफ़्स (हृदय) अल्लाह की हैबत (डर व भय) से भर जाता है, तो आदमी हराम चीज़ों से रुक जाता है। और यह कोई तअ़ज्जुब (आश्चर्य) की बात नहीं, क्योंकि नमाज़ के बारे में अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [العنكبوت: ٤٥]

“बेशक नमाज़ बेहयाई व बुराई से रोकती है, निःसंदेह अल्लाह का ज़िक्र बहुत बड़ी चीज़ है।” (अल-अन्कवूत: ४५)

और नमाज़ दीन व दुनिया के कामों में नमाज़ी की सबसे बड़ी सहायक है। अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿وَآسِتَعِينُوا بِالصَّابِرِ وَالصَّلَوةِ﴾ [البقرة: ٤٥]

“सब्र और नमाज़ के साथ मदद तलब करो।” (अल-बकरा: ४५)

❖ नमाज़ के दीनी व दुनियावी फ़वायेद (लाभ)

नमाज़ दीनी विषयों में इस तरह सहायक है कि बंदा जब नमाज़ का पाबंद हो जाता है, और उस पर हमेशगी (निरंतरता) बरतता है तो नेकियों में उसकी रग्बत (रुची) बढ़ जाती है, और बंदगी आसान हो जाती है, और नफ़्स के इत्मीनान और अज्ञ व सवाब की प्राप्ति, नेकी की उम्मीद के जज़बे (मनोविकार) से एहसान (उपकार) करने लगता है। और दुनियावी भलाइयों में नमाज़ इस तरह सहायक है कि वह परेशानी को आसान कर देती है, और मुसीबतों में

तसल्ली (सांत्वना) का ज़रीया बनती है। और अल्लाह तआला अच्छे अमल करने वालों का अब्र बर्बाद नहीं करता, बल्कि उसके कामों को आसान करके और उसके माल व आमाल में बरकत प्रदान करके उसको प्रतिदान देता है।

और जमाऊत के साथ नमाज़ अदा करने से जान पहचान, मुलाकात, मुहब्बत व मेहरबानी और रहम दिली हासिल होती है, और छोटे बड़े में वक़ार (गंभीरता) व मुहब्बत बढ़ती है, और उससे नमाज़ की कैफियत (पद्धति) की अमली शिक्षा प्राप्त होती है।

ज़कात के लाभ और उसकी खूबियाँ

और ज़कात की फ़र्जियत पर गौर करो तुमको बड़ी महान खूबियाँ नज़र आएंगी, उदाहरण स्वरूप (मसलन): फ़कीरों की हालत की सुधार, बेचारों की हाजत रवाई (आवश्यकता पुर्ता), कर्जदार के कर्ज की अदायेगी, सखियों (उदारों) जैसा अख्लाक पैदा होना और कमीनों के अख्लाक से दूर रहना। और ज़कात थोड़ा ख़र्च करने पर भी दिल को दुनिया की मुहब्बत से पाक कर देती है, इससे माल तमाम हिस्सी और मअनूनी (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) कमियों तथा ख़राबियों से महफूज़ (सुरक्षित) हो जाता है। और ज़कात से अल्लाह के रास्ते में जिहाद और उन तमाम कामों में बड़ी मदद मिलती है जिनसे मुसलमान बेनियाज़ (अमुखापेक्षी) नहीं हो सकते, इसी तरह से फ़कीरों के हमला से बचाव होता है, और यह समाज की बेहतरीन (श्रेष्ठतम) दवा और आत्माओं का इलाज (चिकित्सा) है, इससे आदमी कंजूसी की रज़ालत (नीचता) से पाक व साफ़ हो जाता है। अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الحسن: ٩]

“जो भी अपने नफ़्स की कंजूसी से बचाया गया वही कामयाब है।” (अल-हश्र: ६)

ज़कात का एक महान लाभ यह भी है कि अगर उसे मालदार सही तौर पर अदा करें तो इतिहा पसंद सोशलिज़म और ज़ालिमाना कम्यूनिज़म (चरमपंथी समाजतंत्र

और अत्याचारपूर्ण साम्यवाद) की जड़ कट जाए। इसी तरह अगर ज़कात पूरी अदा कर दी जाये तो उससे शासकों को चैन हासिल हो, और उनकी कोशिशें उन चीज़ों पर सफ़ (व्यय) हों जिनका लाभ उम्मत को कामयाबी और ज़िंदगी की खुशहाली की शक्ति में नुमूदार (प्रकट) हो।

◆ रोज़ा के लाभ और उसकी ख़ूबियाँ

रोज़ा और उसकी ख़ूबियों पर गौर करो। उन ख़ूबियों में से चंद काबिले ज़िक्र (उल्लेख योग्य) यह हैं:

- ◆ रोज़ा इंसान में फ़क़ीरों के साथ दया व प्रेम की फ़ज़ीलत (मर्यादा) और कंगालों पर रहम दिली की ख़ूबी पैदा करता है, क्योंकि इंसान जब भूका होता है तो भूके फ़क़ीर को याद करता है, और जब वह खाने से रुक जाता है तो अपने ऊपर अल्लाह की नेमत का फ़ज़्ल (अनुकम्पा) अनुभव करके उसका शुक्र (कृतज्ञता) अदा करता है।
- ◆ रोज़ा सब और बुर्दबारी (सहिष्नुता) पर आत्मा को शक्तिशाली करता है। और यह दोनों अभ्यास इंसान को हर उस काम से रोकते हैं जिससे गुस्सा भड़कता है, क्योंकि रोज़ा आधा सब्र है, और सब्र आधा ईमान है।
- ◆ रोज़ा शरीर को दूषित चीज़ों से साफ़ करता है।
- ◆ रोज़ा आत्माओं को संवारता है और रुहों की सफाई करता है, जिस्मों को पाक करता है, अंदरूनी शक्तियों की सुरक्षा और उसे हानिकारक चीज़ों से बचाने में रोज़ा एक निराला प्रभाव रखता है। इनके अलावा रोज़ा एक इबादत है और अल्लाह के हुक्म की आज्ञाकारिता है। और रोज़ा में जो मशक्कत व परेशानी उठानी पड़ती है वह सवाब की उम्मीद, अल्लाह का तक़र्ब (निकटता) और महान प्रतिदान की लालच में अल्लाह की संतुष्टि की प्राप्ति के मुकाबला में उसकी कोई हैसियत नहीं।

❖ हज्ज के लाभ और उसकी खूबियाँ

बैतुल्लाह (काबा गृह) के हज्ज की खूबियों पर गौर करो कि हज्ज मुस्लिम परिवारों को जमा करने का सबसे बड़ा माध्यम है। लोग दुनिया के पूरब व पश्चिम से आकर एक मैदान में जमा हो जाते हैं, एक अल्लाह की बंदगी करते हैं, सबके दिल एक होते हैं, और खड़े हज्ज में एक दूसरे से मानूस हो जाती हैं। मुसलमान दीनी मेल जोल और इस्लामी भाइचारगी की शक्ति को याद करते हैं। और हज्ज में नवियों तथा रसूलों के हालात और पाकबाज़ मुस्लिमों (सच्चरित्र शुद्ध हृदय वालों) की स्थानों को याद किया जाता है, जैसाकि अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿وَأَنْجِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلٌّ﴾ [البقرة: ١٢٥]

“तुम मकामे इब्राहीम को नमाज़ की जगह मुकर्रर कर लो!” (अल्लू-बकरा: ٩٢)

❖ और हज्ज नवियों के पेशवा (अगुवा) रसूलों के सरदार (मुहम्मद ﷺ) के हालात और हज्ज में उनके उन स्थानों को जो अ़ज़ीम तरीन मकामात (महानतम स्थानें) हैं याद दिलाता है। और यह याद आला तरीन (उच्चतम) यादों में से है, क्योंकि वह अ़ज़ीम तरीन रसूलों इब्राहीम ﷺ व मुहम्मद ﷺ के हालात और अ़ज़ीमुश्शान (विशाल) यादगारों और उनकी बेहतरीन इबादतों को याद दिलाता है। और जो उन यादगारों को याद करता है वह रसूलों पर ईमान लाने वाला, उनकी ताज़ीम करने वाला, उनके बुलंद मकामात से मुतअस्सिर (उच्च स्थानों से प्रभावित) और उनकी पैरवी करने वाला है, उनकी फ़ज़ीलतों तथा महत्त्वाओं को याद करने वाला है, अतः इससे बंदा का ईमान व यकीन और बढ़ जाता है।

❖ और हज्ज की खूबियों में से यह भी है कि उससे नफ़्स साफ़ होता है, ख़र्च करने का आदि (अभ्यस्त) बनता है, मशक्कतें सहन करने की योग्यता पैदा होती है, ज़ीनत तथा घमंड छोड़ने का अभ्यस्त होता है।

❖ और यह फ़ायदा भी है कि आदमी हज्ज में खुद को दूसरों के बराबर

अनुभव करता है, और वहाँ न कोई राजा है न गुलाम, न कोई मालदार है न फ़कीर, बल्कि सब बराबर हैं।

- ❶ और हज्ज के लाभों में से यह भी है कि हज्ज यात्रा में विभिन्न शहरों में आने जाने से वहाँ के निवासियों का हाल और उनके तौर तरीके का इल्म हासिल (ज्ञान अर्जन) होता है, और महबते वद्द (वद्द के नाज़िल होने का स्थान) और नवियों तथा रसूलों के स्थानों की ज़ियारत करता है।
- ❷ हज्ज की एक खूबी यह भी है कि वह उस अज़ीम इज्जिमाअू (महान सम्मेलन) को याद दिलाता है जो एक मैदान में संघटित होने वाला है जहाँ पुकारने वाला लोगों को सुनायेगा, और निगाह उन तक पहुँचेगी, और यह इज्जिमाअू हश्र के मैदान में होगा।

﴿يَوْمَ يَقُومُ أَنَّاسٌ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [المطففين: ٦]

“जिस दिन लोग विश्व-जहान के प्रतिपालक (अल्लाह) के सामने (नंगे पाँव तथा नंगे बदन) खड़े होंगे।” (अल-मुताफ़िक़ीनः ६)

- ❸ और एक फ़ायदा यह भी है कि नफ़स बाल-बच्चे की जुदाई का खूबगर (अभिलाषी) हो जाए, क्योंकि उनसे जुदा होना तो हर हाल में है, लेकिन अगर उनसे अचानक जुदाई हो जाए तो जुदा होते समय बहुत ज़्यादा दुख पहुँचता है।
- ❹ और हज्ज का एक फ़ायदा यह भी है कि हाजी जब सफ़र का इरादा करता है तो सफ़र के दौरान की तमाम आवश्यकताओं के लिए तोशा (संबल) तैयार करता है। इसी तरह उसको आखिरत के सफ़र के लिए भी तोशा इकट्ठा करना चाहिए, जो अति लंबा सफ़र है, जहाँ जाकर वापसी नहीं, यहाँ तक कि अल्लाह अव्वलीन व आखिरीन (पहले और बाद में आने वाले) सबको जमा कर दे। हाजी अपने हज्ज के सफ़र के दौरान अज़्जनबी (अपरिचित) शहरों में अपनी ज़रूरत का सामान पा सकता है, लेकिन आखिरत के सफ़र

में जिन चीज़ों का वह मुहताज (ज़खरतमंद) होगा उनमें से सिर्फ वही पायेगा जिसे उसने दुनिया में अपनी आखिरत के लिए जमा किया होगा। अल्लाह का इशाद है:

﴿وَكَرَّهُ دُولًا فِي أَنْ خَيْرَ الْأَرَادِ الْتَّقْوَىٰ﴾ [البقرة: ١٩٧]

“और अपने साथ सफ़र के ख़र्च ले लिया करो, सबसे बेहतर तोशा अल्लाह का डर है।” (अल्-बक़रा: ٩٦-٧)

- ❖ और हज्ज की एक ख़ूबी यह भी है कि हाजी अल्लाह पर तवक्कुल (भरोसा करने) का अभ्यस्त हो जाता है, क्योंकि यह मुम्किन नहीं कि जिन चीज़ों की उसे हज्ज यात्रा में ज़खरत है उनको अपने साथ ले जाए, अतः जितना साथ ले जा सका उसमें अल्लाह पर तवक्कुल करना ज़रूरी है, इस तरह जिन चीज़ों की उसे ज़खरत है सब में अल्लाह पर तवक्कुल का वह अभ्यस्त हो जाता है।
- ❖ और हज्ज की एक अहम ख़ूबी यह भी है कि जब हाजी इह्राम बाँधता है, तो ज़िंदों का सिला हुआ लिबास उतार कर मुर्दों के लिबास के मुशाविह (सदृश) लिबास पहनता है, इस तरह वह अपने आगे की मंज़िल की तैयारी करता है। इनके अलावा दूसरी बहुत सी ख़ूबियाँ हैं जिनका शुमार करना कठिन है।

अल्लाह के रास्ते में जिहाद (धर्मयुद्ध) करने के लाभ और उसकी ख़ूबियाँ

इसके बाद तुम अल्लाह के रास्ते में जिहाद की ख़ूबियों पर गौर करो, जिसमें अल्लाह के दुश्मनों को हलाक किया जाता है, और अल्लाह से मुहब्बत करने वालों की मदद की जाती है, इस्लाम के कलिमा को बुलंद किया जाता है, और काफिर को कुफ़ जैसी क़बीह (निकृष्ट) चीज़ छोड़ने की तरगीब (उत्साह) दी जाती, और सबसे बेहतर चीज़ की तरफ़ आने की रग्बत (उत्साह) दिलाई जाती है, और जिहाद में आदमी को जानवर के दर्जा से निकाला जाता है। काफिरों के बारे में अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿لَأَنَّهُمْ إِلَّا كَاذِنُونَ بِمَا هُمْ أَضَلُّ سَكِيلًا﴾ [سورة فرقان: ٤٤]

“यह चौपाये जैसे हैं बल्कि उनसे भी बदतर हैं।” (अल-फुरक़ान: ٤٤)

● और जिहाद की फ़ज़ीलतों में यह भी है कि मुजाहिदीन (जिहाद करने वालों) को अबदी (अनन्तकाल की) ज़िंदगी नसीब होती है, इस तरह कि अगर उसने क़त्ल किया तो अल्लाह के दीन को बुलंद किया, और अगर शहीद किया गया तो अपने आपको ज़िंदा कर लिया। अल्लाह तज़्अला का फ़रमान है:

﴿وَلَا تَحْسِنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالًا بَلْ أَحْيَاهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزُقُونَ﴾

[آل عمرान: ١٦٩]

“जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किये गये हैं, उनको हरगिज़ (कदापि) मुर्दा न समझें, बल्कि वह ज़िंदा हैं, अपने रब के पास रोज़ियाँ (जीविका) दिए जाते हैं।” (आल इम्रान: ٩٦)

● जिहाद में मुजाहिद को बड़ा महान सवाब (प्रतिदान) मिलता है।
 ● और इससे मुसलमानों की संख्या बढ़ती है और काफिरों की संख्या घटती है।
 ● और इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि जिहाद अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी है। अल्लाह का इरशाद है:

﴿وَقَاتَلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً﴾ [آل البقرة: ١٩٣]

“उनसे लड़ो जब तक कि फिरना न मिट जाए।” (अल-बकरा: ٩٦)

और उसका इरशाद है:

﴿إِنَّمَا الَّذِينَ إِمَامُوا قَاتَلُوا أَلَّذِينَ يُؤْتُكُم مِّنْكُمْ أَكْثَرُهُمْ كُفَّارٌ﴾ [التوبه: ١٢٣]

“ऐ ईमान वालो! उन काफिरों से लड़ो जो तुम्हारे आस पास हैं।” (अत्तौबा: ٩٢)

● और जिहाद की खूबियों में से एक बात यह भी है कि विजय व ग़लबा की सूरत में मुसलमान माले ग़नीमत (युद्धलब्ध संपद) पाते हैं, शुक्र (कृतज्ञता) करते हैं, और अपनी ताक़त व शक्ति का अनुभुति करते हैं, और अगर

काफिर उन पर ग़ालिब आ गए तो समझते हैं कि इसका सबब उनकी नाफ़रमानी और गुनाह है, और उनकी कमज़ोरी तथा आपसी तनाव है। ऐसी स्थिति में वह अल्लाह की ओर तौबा और गिर्या व ज़ारी (रोदन व विलाप) के साथ पनाह (आश्रय) ढूँढ़ते हैं।

❷ और जिहाद की खूबी यह भी है कि उसका छोड़ देना ज़िल्लत व रुस्वाई का कारण है, जैसाकि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल ﷺ ने फ़रमाया:

«إِذَا تَبَيَّعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخْدُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيْتُمْ بِالنَّرْزِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلْلًا لَا يَنْزَعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ». [ابو داود / البيوع ٥٦] (مسند أحمد ٣٤٦٢)

[(صحيح) ٤٢/٢]

«जब तुम ईना क्र्य-विक्र्य (ईना कहते हैं किसी से सामान को एक मुद्दत के बादे पर बेचना और फिर पहले मूल्य से कम में दोबारा ख़रीद लेना) करने लगोगे, गायों बैलों के दुम थाम लोगे, खेती बाड़ी में मस्त व मगन रहने लगोगे और जिहाद को छोड़ दोगे, तो अल्लाह तआला तुम पर ऐसी ज़िल्लत मुसल्लत (आच्छादित) कर देगा, जिससे तुम उस समय तक नजात व छुटकारा न पा सकोगे जब तक अपने दीन की ओर लौट न आओगे।»
(अबू दाऊद/अल्बुयूध ५६ [٣٤٦٢], मुस्नद अहमद ٢/٤٢) (सहीह)

❸ और जिहाद की खूबियों में से निफ़ाक (कपटता) से बचना भी है, जैसाकि हदीस में है:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْرُرْ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغُرْزِ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةِ مِنْ نِفَاقٍ». [مسلم / الإماراة ٤٧ (١٩١٠). نسائي / الجهاد ٢ (٣٠٩٢)] (مسند أحمد ٣٠٩٢)

[(صحيح) ٤٧٤/٢]

अबू हुरैरा رضي الله عنه कहते हैं कि नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: «जो व्यक्ति मर गया, और उसने न जिहाद किया और न ही उसकी कभी नियत की, तो वह निफ़ाक की किस्मों (कपटता के भागों) में से एक किस्म पर मरा।»
(मुस्लिम/अल्इमारा ४७ {٩٦٩٠}, नसाई/अल्जिहाद २ {٣٠٦٦}, मुस्नद अहमद २/३७४)

और दूसरी हडीस में है:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «مَنْ لَقِيَ اللَّهَ بِغَيْرِ أَثْرٍ مِّنْ جِهَادٍ، لَقِيَ اللَّهَ وَفِيهِ شَمَاءُ». [ترمذني / فضائل الجهاد ۲۶ (۱۶۶۶) ابن ماجه / الجهاد ۵ (۲۷۶۳)، (ضعيف)]

अबू हुरैरा ﷺ कहते हैं कि रसूल ﷺ ने फ़रमाया: «जो व्यक्ति जिहाद के किसी असर (चिंह) के बगैर अल्लाह तआला से मिले, तो वह इस हाल में अल्लाह से मिलेगा कि उसके अंदर ख़लल (कमी व ऐब) होगा।» (तिर्मिजी/फ़ज़ाइलुल जिहाद ۲۶ {۹۶۶۶}, इन्बु माजा/अलजिहाद ۵ {۲۷۶۳}) (ज़ईफ़, इस हडीस के रावी इस्माईल बिन राफेअू का हाफिज़ा कम्ज़ोर था)

और दूसरी हडीस में है:

«مَا تَرَكَ قَوْمٌ الْجِهَادَ إِلَّا عَمِّهُمُ اللَّهُ بِالْعَدَابِ» [المعجم الأوسط ۱۴۸/۴، رقم الحديث: ۲۸۳۹] (صحیح الإسناد)]

«जो कौम जिहाद को छोड़ देगी, तो अल्लाह उस पर अ़ज़ाब को आम कर देगा।» (अलमुअ़ज़मुल औसत ۸/۹۸ۮ, हडीस नम्बर: ۳۰۳۶) (हडीस की सनद-सूत्र सही हैं)

❶ और जिहाद की खूबियों में यह भी है कि तकलीफ़ और आराम की हालत तथा पसंद और नापसंद दोनों हालतों में अल्लाह के औलिया की बदंगी से लोगों को आज़ाद कराना है। और इसके अलावा दूसरे वह दलायेल (प्रमाण) हैं जो अल्लाह के कलिमा को बुलंद करने के लिए उसके रास्ते में जिहाद की खूबियों को बयान करते हैं।

❖ ख़रीद व फ़रोख़त (क्रय-विक्रय) की खूबियाँ

इसके अलावा शरीअत ने मुआमलात (लेन देन) के विषय में जो हिदायात (निर्देशना) दी हैं उन पर भी गैर करो। ख़रीद व फ़रोख़त की खूबी यह है कि आदमी अपने खाने, पीने, पहनने और रहने की ज़खरियात (आवश्यकताओं) को पा लेता है। और उसकी एक खूबी यह भी है कि वह उसके हुसूल (प्राप्ति) की दूरी को तय करता है, इस लिए कि जो व्यक्ति किसी चीज़ को उसके मूल स्थान से प्राप्त करना चाहेगा तो उसे सफ़र और सवारी पर सवार होने, और ख़तरात

(जोखिम) बरूदाशत करनी पड़ेगी। और जब वह ख़रीद व फ़रोख्त द्वारा उस चीज़ को पा जायेगा तो ख़तरात से सुरक्षित हो जायेगा, और सफ़र की मशक्कत उससे दूर हो जायेगी। ख़्याल करो कि ऊद (अगरू-एक खुशबूदार लकड़ी), कस्तूरी, मोटर गाड़ियाँ, मरीनें, कपड़े, इलायची और चीनी आदि के मूल स्थान कितने दूर हैं, तो बंदों पर अल्लाह की यह मेहरबानी है कि उसने अपने बाज़ बंदों को बाज़ के ताबे (अधीन) कर दिया है, और कामिल शरीअत ने तमाम प्रकार के मुआमलात (आदान प्रदान) का हल (समाधान) पेश कर दिया है, जैसे किराया और कम्पनियों के यहाँ वह चीज़ें जिनके हराम होने पर दलील स्पष्ट है मसलन् जिन चीज़ों में नुक्सान, जुल्म या जिहालत आदि है। अतः जो व्यक्ति शर्ई लेन देन पर गौर करेगा, तो वह देखेगा कि शरीअत के उमूर (विषय) दीन व दुनिया की भलाई के साथ जुड़े हुए हैं। और गौर करने वाला गवाही देगा कि अल्लाह की रहमत और उसकी कृपा उसके बंदों पर वसीअू (प्रशस्त) है, और उसकी हिक्मत (रहस्य) ने उसके बंदों के लिए तमाम पाकीज़ा चीज़ों को जायज़ कर दिया है, और केवल उसी चीज़ से रोका है जो नापाक और दीन, अ़क्ल (विवेक) व बदन या माल को नुक्सान पहँचाने वाली है।

❖ किरायादारी के लाभ

किरायादारी का फ़ायदा तो यह है कि मामूली (सामान्य) और थोड़े से माल के बदले लोगों की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति रहने के लिए मकान और सवारी के लिए गाड़ी और हवाई जहाज़ नहीं रख सकता, और न आटा पीसने के लिए चक्की, और न अपने मालों के लिए तिजोरियाँ बना सकता है। और कई तरह की वेशुमार चीज़ें जिनके लिए किरायादारी का जवाज़ (वैधता) पैदा हुआ। और सुलह (संधि) की ख़ूबियों का उल्लेख ज़रूरी नहीं, इसके बारे में अल्लाह तआला का यह फ़रमान काफ़ी है:

﴿وَالْصِلْحُ حَيْرٌ﴾ [النساء: ١٢٨]

“सुलह ही में भलाई है।” (अन्निसा: ٩٢٧)

❖ वकालत (प्रतिनिधित्व) और कफ़ालत (जिम्मेदारी-ज़मानत) की खूबियाँ

इन दोनों में वह नेकियाँ हैं जो किसी पर पोशीदा नहीं, चाहे वह शरीअत का मानने वाला हो या न हो, और शरीअत को समझता हो या न समझता हो, हर हाल में उसे वकालत और कफ़ालत की ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह तआला ने लोगों को पैदा किया और उन्हें इरादा व संकल्प में मुख्तलिफ़ बनाया, न तो हर व्यक्ति खुद काम करना चाहता, और न हर व्यक्ति को मामले की हकीकत तक पहुँच होती है। अतः यह अल्लाह की कृपा है कि उसने अपनी मख्लूक (सृष्टि) में वकालत और कफ़ालत को जायज़ करार दिया। इस लिए मामले वाले लोग सारे खरीद व फरोख्त का काम खुद से करें यह उनकी शान के खिलाफ़ है, क्योंकि नबी करीम ﷺ ने तवाजुअू (आवभगत) की सुन्नत की शिक्षा और उसके जवाज़ (वैधता) को बयान करने के लिए बाज़ कामों को खुद किया और बाज़ कामों को दूसरे के सुपुर्द किया। चुनांचे कुर्बानियाँ खुद भी कीं हैं, और अल्ली ﷺ को भी अपने कुर्बानी के जानवर को ज़बह करने के लिए सोंपा।

❖ और कफ़ालत की खूबी यह है कि उसमें नर्मी और प्यार और भाईचारगी के अधिकारों की रिआयत की गई है, एक की जिम्मेदारी दूसरे के हवाला (हस्तांतर) की जाती है, जिससे जिम्मेदारी क़बूल करने वाले को खुशी होती है, और जिम्मेदारी देने वाले का दिल वुस्अत (कुशादगी) के सबब पुर सुकून (शांतिमय) होता है। अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿وَمَا كُنْتَ لَدِيْهِمْ إِذْ يُلْقَوْنَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْءَيْهِمْ﴾ [آل عمران: ٤٤]

“तू उनके पास न था जबकि वह अपने क़लम डाल रहे थे कि मर्यम को उनमें से कौन पालेगा !” (सूरह आलि-इम्रान: ٤٤)

यहाँ तक कि उनका कफ़ील (जिम्मेदार) ज़करिया ﷺ को बनाया, जैसाकि अल्लाह का इर्शाद है:

﴿وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّاً﴾ [آل عمران: ٣٧]

“और ज़करिया ﷺ ने उनकी कफ़ालत की।” (आल इम्रानः ३७)

और जब तुम वकालत और कफ़ालत की खूबियाँ जान गए, तो तुमको यह अनुभव होगा कि हवाला (हस्तांतर) की खूबियाँ स्पष्ट हैं। हवाला में वकालत और कफ़ालत दोनों शामिल हैं, अधिकंतु (मज़ीद) यह भी है कि ज़रूरतमंद की ज़िम्मेदारी लंबी परेशानी से ख़त्म हो जाती है। जब तुमने उसका हवाला कबूल कर लिया, तो अपने भाई की ज़िम्मेदारी पूरी की, और उसके दिल में खुशी पैदा कर दी, और एक मुसलमान के दिल में खुशी पैदा करने का क्या अज्ञ व सवाब है वह तुम पर मख्फी (गोपन) नहीं।

❖ शुफ़्आ (पहले ख़रीदने का अधिकार Pre-emption) की खूबीयाँ

शुफ़्आ की खूबी यह है कि पड़ोसी कभी कभार इस बेचे गए हिस्सा का ज़रूरतमंद होता है, इस तरह कि घर तंग हो और वह उसे कुशादा करना चाहता हो, या वह मुश्तरक (संयुक्त) ज़मीन उसके खेत के करीब हो और खेती वाले को उस ज़मीन की आवश्यकता हो।

❖ और शुफ़्आ की एक खूबी यह भी है कि उससे पड़ोसी और शरीक (पार्टनर) के अधिकार की अ़ज़मत का पता चलता है, इस तरह कि दूसरों के मुकाबला में पड़ोसी को अपने पड़ोस की जगह ख़रीदने का पहला अधिकार हासिल है। अल्बत्ता वह अपना अधिकार ख़रीदने से इंकार कर दे तो और बात है।

❖ एक फ़ायदा इसका यह भी है कि पड़ोसी के नुक़सान को शुफ़्आ के हक के ज़रीया दूर कर दिया जाता है, और रसूल ﷺ का फ़रमान है:

«لَا ضَرَرُ وَلَا ضِرَارٌ» [ابن ماجه /الأحكام ١٧، مسند أَحْمَد (٣١٢/١) (صحيح)]

«किसी को नुक़सान पहूँचाना जायज़ नहीं, न प्राथमिक रूप से न मुकाबला करते हुए।» (इन्बु माजा/अल-अह्काम १७ हदीस {२३४९}, मुस्नद अह्मद: १/३९३) (सहीह)

अर्थात् इस्लाम में यह जायज़ नहीं कि कोई दूसरे को तक़लीफ़ पहूँचाये, और

न दूसरा उसको तकलीफ़ पहूँचाये। और इसमें किसी को संदेह नहीं हो सकता है कि पड़ोस की वजह से मुस्तकिल तौर पर (स्वतंत्र रूप से) किसी को तकलीफ़ पहूँचाने के नुक़सान को दूर करना निहायत (अत्यंत) अच्छी बात है, मसलन (उदाहरण स्वरूप): आग जलाने की तकलीफ़, दीवार ऊँची करने की तकलीफ़, धुआँ और गर्द व गुबार फैलाने की तकलीफ़, और इन सब से बढ़ कर टेलीवीज़न और रेडियो की आवाज़ की तकलीफ़, और ऐसी चीज़ों का पैदा करना जिससे पड़ोसी की जायदाद को नुक़सान पहूँचे इत्यादि इत्यादि।

❖ अमानत की अदायेगी की खूबी

इसकी खूबी स्पष्ट है कि इसमें अल्लाह के बंदों के मालों की हिफाज़त व सूरक्षा के लिए उनकी मदद करना, और अमानत की अदायेगी अमलन और शरूअतन निहायत मुअ़ज़ज़ज़ ख़स्लत (वास्तवता तथा शरीअत की दृष्टिकोण से अत्यंत आदृत स्वभाव) है।

- ❖ और इसकी एक खूबी यह भी है कि इसके द्वारा अल्लाह के बंदों के साथ नेकी की जाती है, और नेकी करने वालों को अल्लाह पसंद फ़रमाता है।
- ❖ और एक फ़ायदा यह भी है कि इससे मुसलमानों के बीच उल्फ़त व भाईचारगी (मुहब्बत व भ्रातृत्व) पैदा होती है और एक दूसरे की मुहब्बत का माध्यम है।

❖ बीवी के साथ अच्छी तरह गुज़र बसर करने का हुक्म

इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि उसने शौहर को बीवी के साथ बद सुलूकी (कुआचरण) से मना किया है, और शौहर को हुक्म दिया है कि वह बीवी की अच्छाइयों और बुराइयों के दरमियान मुवाज़ना (तुलना) करे, और अगर दोनों बराबर हूँ तो बुराइयों को नज़र अंदाज़ (उपेक्षा) कर दे, जबकि उसकी खूबियाँ उसमें मौजूद हों, क्योंकि बुराइयाँ केवल औरत की कमज़ोरी के कारण से होती हैं। रसूलुल्लाह ﷺ का इर्शाद है:

«لَا يَفْرُكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا حُلْقًا رَضِيَّ مِنْهَا أَخَرَ» أَوْ قَالَ: «غَيْرُهُ». [مسلم / النكاح]

[(١٤٦٩) ١٨]

«कोई मुमिन मर्द किसी मुमिन औरत से बुग्ज़ (शत्रुता) न रखे, अगर उसकी एक आदत नापसंद होगी तो दूसरी आदत पसंद होगी ॥ या आप ﷺ ने फ़रमाया: «उसके सिवा दूसरी आदत पसंद होगी ॥» (मुस्लिम: निकाह १८, हडीस नम्बर: १४६६)





तरिका (पैतृक संपत्ति) की खूबियाँ

फ़राइज़ तथा माल का वारिसों में तक़सीम करना तो अल्लाह तआला ने उसे खुद ही मुक़र्रर फ़रमाया है, वारिसों के कुर्ब और बोद (निकटता और दूरी) और नफ़ा को जानते हुए, और इस एतेबार से कि बंदे के साथ नेकी का कौनसा तरीका बेहतर है। और फ़राइज़ की ऐसी बेहतर तरीके फ़रमाई है कि अ़क्ले सहीह (शुद्ध विवेक) इसके अच्छे होने की गवाही देती है। अगर जायदाद की तक़सीम लोगों की राय, उनकी इच्छाओं और इरादों पर छोड़ दी जाती तो इसकी वजह से बड़ा बिगाड़, इष्टिलाफ़, बद नज़्मी (दुर्व्यवस्था) और बद इंतिख़ाबी (कुनिर्वाचन) पैदा होती।

❶ और इसकी खूबियों में से यह भी है कि इससे हकीकी सबब को नसब के साथ मिला दिया है, और यह सबब आपसी निकाह और वला है। और जब अल्लाह तआला ने अ़क्दे निकाह (शादी के बंधन) को मुहब्बत व उल्फ़त और लोगों के दरमियान तअ़ल्लुक़ात (संबंधों) का ज़रीया बनाया है, तो यह कोई अच्छी बात नहीं कि पति-पत्नी में से जब किसी की मौत हो तो ज़िंदा रहने वाले को मरने वाले की जुदाई का सद्मा (दुःख) उठाना पड़े, और उसे जुदा होने वाले की कोई चीज़ न मिले। नीज़ (उपरांत) इस विरासत में अल्लाह ने शौहर को औरत के मुक़ाबिले में दोगुना हिस्सा दिया है।

❷ और इसकी खूबियों में से यह भी है कि उसने अलग अलग दीन हो जाने की स्थिति में विरासत नहीं दी है, अतः मुसलमान की मौत पर उसका काफ़िर रिश्तादार चाहे वह कितना ही क़रीबी क्यों न हो मुसलमान का वारिस नहीं होगा, क्योंकि अगरचे वह रिश्ता में क़रीब है लेकिन दीन में उससे बहुत दूर है। और

इस लिए भी कि काफिर मुर्दा के बराबर है, और मुर्दा दूसरे मुर्दे का वारिस नहीं हो सकता। काफिर के बारे में अल्लाह तअ़ाला का इश्याद है:

﴿أَوْمَنَ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَنَّهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ [الأنعام: ١٢٢]

‘ऐसा व्यक्ति जो पहले मुर्दा था फिर हमने उसको ज़िंदा कर दिया, और हमने उसको ऐसा नूर (ज्योति) दे दिया कि वह उसको लिए हुए आदमियों में चलता फिरता है।’ (अल्अन्द़िज़ाम: ٩٢)

दूसरी जगह इश्याद फ़रमाया:

﴿يُنْجِيْهُ اللَّهُ مِنَ الْمَيْتَ وَيُنْجِيْهُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ [الروم: ١٩]

‘वही ज़िंदा को मुर्दा से और मुर्दा को ज़िंदा से निकालता है।’ (अर्झम: ٩٦)

रहा काफिर तो काफिर का वारिस हो सकता है, क्योंकि उनका हाल व माल दोनों बराबर व समान है।

◆ हिंबा (दान-बख़्शिश) की खूबियाँ

किसी चीज़ का हिंबा करना मुस्तहब (बेहतर) है, इस शर्त पर कि उससे अल्लाह की रिज़ा (संतुष्टि) मक्सूद हो, और इसका उसूल इज़्माअूर है, जैसाकि अल्लाह का इश्याद है:

﴿فَإِنْ طَبِّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُّهُ هَيْسَاءٌ إِنَّمَّا يَنْعَمُ﴾ [النساء: ٤]

‘अगर औरतें खुद अपनी खुशी से कुछ महर छोड़ दें तो उसे शौक से खुश हो कर खा लो।’ (अन्निसा: ٤)

और फ़रमाया:

﴿وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُمَّىٰ﴾ [البقرة: ١٧٧]

‘माल से मुहब्बत करने के बावजूद माल दे दे।’ (अलबकरा: ٩٧)

और अल्लाह तअ़ाला निहायत करीम (उदार), बड़ा सखी और बहुत प्रदान करने वाला है।

❖ हद्दया व तोहफा (उपहार) के फ़ायदे

और हद्दया की ख़ूबियों में से यह है कि वह आपस में मुहब्बत और दोस्ती का ज़रीया है। जैसाकि हदीस में है:

تَهَادُوا تَحَبُّوا. [موطأ إمام مالك / حسن الخلق ٤ (١٦) (صحيح)]

«आपस में हद्दया दो एक दूसरे को महबूब (प्यारे) बन जाओगे।» (मुवल्ला इमाम मालिक: हुस्नुल खुलुक ४, हदीस नम्बर १६) (सहीह)

और इसकी एक ख़ूबी यह भी है कि वह कीना कपट को दूर करता है। हदीस में है:

تَهَادُوا فَإِنَّ الْهُدَىَ تَسْلُلُ السَّخِيمَةَ. [مختصر مسنن البزار ج ١، ح ٩٣١، مجمع البحرين في زوائد المعجمين (٢٠٥١) (ضعيف الإسناد)]

«एक दूसरे को हद्दया दो, क्योंकि हद्दया कीना कपट को दूर करता है।» (मुख्तसर मुस्नदुल बज़ार: खंड १, हदीस नम्बर: ६३१, मज़्मउल् बहरैन फी ज़वाइदिल् मोजमैन, हदीस नम्बर: २०५१) (इस हदीस की सनद सूत्र ज़ईफ़ है)

और नबी अक़रम ﷺ ने नजाशी को कपड़ों का जोड़ा और मिशक का डिब्या हद्दया में पेश की। और रसूलुल्लाह ﷺ खुद भी हद्दया कबूल फ़रमाते और उसका बदला देते थे।

❖ और हद्दया की एक ख़ूबी यह भी है कि वह तअल्लुक़ात को मज़बूत करता है, और जब तअल्लुक़ मज़बूत हो जाता है तो उम्मत के क़दम जम जाते हैं, अतः उम्मत के लोगों के बीच बेहतरीन तअल्लुक़ उसकी कामयाबी का भेद है।

❖ और हद्दया की एक ख़ूबी यह भी है कि उससे हद्दया देने वालों के दरमियान इतिमाद (आस्था-भरोसा) बढ़ता है। और इनके अलावा भी हद्दया के बहुत सी ख़ूबियाँ हैं।

◆ शादी की खूबियाँ

शादी करना मुस्तहब है। और उसकी खूबियाँ बहुत हैं:

- ◆ अहम खूबी यह है कि उससे शरमगाह की हिफ़ाज़त होती है, और उससे बीवी की भी हिफ़ाज़त होती है, उसके हुकूक (प्राप्य-अधिकार) अदा होते हैं, और शादी तमाम रसूलों का तरीक़ा और सुन्नत रही है।
- ◆ उसकी एक खूबी यह है कि उसके ज़रीया उम्मत बढ़ती है, और नस्ल में इज़ाफ़ा (बृद्धि) होता है, और उसके ज़रीया नवी अक्रम ﷺ का फ़ख़र (गौरव) पूरा होता है, और उससे मर्द की घरेलु ज़खरत जैसे खाना पकाना वग़ैरा पूरी होती है, और उससे घर और औलाद की निग्रानी भी होती है, और शादी के ज़रीया मर्द बीवी से सुकून तथा दिली इत्तीनान (शांति) पाता है, और उससे उन्नियत (अनुराग) हासिल करता है, और उसके साथ ज़िंदगी बसर करता है, और दूसरी बहुत सी मस्लहतें (भलाइयाँ) पूरी होती हैं।

◆ तलाक़ की अहमियत तथा विशेषता

तलाक़ की खूबी यह है कि अल्लाह तज़्अला उसका अधिकार केवल शौहर को प्रदान किया है, और यह तीन तलाक़ों के बाद औरत क़तई तौर पर (बिल्कुल) हराम हो जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति तीन बार तलाक़ देता है वह अपनी बेहतरी बीवी से जुदाई ही में पाता है, और शरीअत ने तीन बार तलाक़ पाई हुई औरत को हलाल करने के लिए उसका दूसरे से निकाह होना और उसके साथ हम्बिस्तरी (संभोग) करना ज़खरी क़रार दिया है, ताकि इस कठिन शर्त की वजह से शौहर अपनी तीन बार तलाक़ दी हुई औरत को दोबारा न लौटा सके, और उसकी जुदाई ही में अपनी बेहतरी समझे।

और उसकी एक खूबी यह भी है कि शरीअत ने तलाक़ के ज़रीया बीवी को हमेशा के लिए हराम नहीं कर दिया है कि उसको दोबारा निकाह में लाना

नामुम्किन (असंभव) हो, क्योंकि बसा औक़ात (कभी कभार) मर्द मुतल्लक़ा (तलाक प्राप्ता) बीवी की जुदाई को बरूदाश्त नहीं कर सकता और उसकी ख़ातिर हलाक हो जाता है। अतः शरीअत ने उसको दोबारा हासिल करने के लिए यह तरीका रखा है कि औरत दूसरे मर्द से शादी करके उसकी लज़्ज़त हासिल कर ले (दूसरा मर्द भी उससे लज़्ज़त हासिल कर ले)।

अल्बत्ता हलाला के ज़रीया औरत को हासिल करना जायज़ नहीं, क्योंकि हदीस में है:

«لَعْنَ اللَّهُ الْمُحَلَّ وَالْمُحَلَّ لَهُ». [أبو داود/النكاح ١٦ (٢٠٧٦)، ترمذى/النكاح (١١١٩)، ابن ماجة/النكاح (٣٣) (١٩٣٥). مسند أحمد (١٠٧/١، ١٢١، ١٥٠، ١٥٨، ١٧٣) (صحيحة)]

अली ﷺ कहते हैं कि नबी अक्रम ﷺ ने फ़रमाया: «हलाला करने वाले और कराने वाले दोनों पर अल्लाह की लानत है।» (अबू दाऊद: अन्निकाह ٩٦, हदीस नम्बर: ٢٠٧٦, तिरमिज़ी: अन्निकाह ٢٧, हदीस नम्बर: ٩٩٩٦, इब्नु माज़ा: अन्निकाह ٣٣, हदीस नम्बर: ٩٦٣٥, मुस्नद अहमद: ٩٧/٢٧, ٩٠٧, ٩٢٩, ٩٥٠, ٩٥٢) (सहीह)

❶ और तलाक की ख़ूबी और सुन्नत यह है कि वह उस तोह्र (पवित्रता के दिनों) में दी जाती है जिसमें बीवी से जिमाअू (संभोग) न किया गया हो, इस लिए कि अगर संभोग के बाद तलाक दी जाए तो मुतल्लक़ा (तलाक प्राप्ता) की तरफ़ तबूअ़न (स्वभावत) मैलान कम हो जायेगा, इस तरह मर्द मामूली सी बात और थोड़ी सी तकलीफ़ पर भी बीवी से जुदाई पर तैयार हो जायेगा। आदमी जब किसी चीज़ से आसूदा (तृप्त) हो जाता है तो वह चीज़ उसे मामूली मालूम होती है, और वह चीज़ उसकी निगाह से गिर जाती है, और जब उसका भूका होता है तो उसकी क़द्र दिल में बढ़ जाती है, तो तलाक आसूदगी की हालत में नहीं होती। और बसा औक़ात आदमी तलाक पर नादिम (शर्मिंदा) होकर तलाक तोड़ना चाहता है।

❷ तलाक का सुन्नत तरीक़ा यह है कि आदमी अपनी बीवी को उस तोह्र (पवित्रता के दिनों) में तलाक दे जिसमें उससे हम्बिस्तरी न की हो, क्योंकि मर्द की पूर्ण चाहत और बीवी की तरफ़ पूरे मैलान का यह समय होता है,

बज़ाहिर (साधारणतः) ऐसी हालत में तलाक जैसे फेल (कार्य) का इकूदाम (पहल) किसी खास ज़्युरत ही के तहत किया जा सकता है, अतः ऐसी तलाक की इजाज़त दी गई है।

❖ तलाक की एक खूबी यह भी है कि शरीअत ने हँसी मज़ाक में दी हुई तलाक को भी सच मुच नाफिज़ (लागू) कर दिया है। रसूलुल्लाह ﷺ का फ़रमान है:

«ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌ وَهُزْلُهُنَّ جَدٌ: النِّكَاحُ، وَالطَّلاقُ، وَالرَّجْعَةُ». [أبو داود / النكاح ٩، (٢١٩٤).]

ترمذى / الطلاق ٩ (١١٨٤)، ابن ماجه / الطلاق ١٣ (٢٠٣٩) (حسن)]

«तीन चीज़ें ऐसी हैं कि उन्हें चाहे संजीदगी (गंभीरता) से किया जाए या हँसी मज़ाक में किया जाए, उनका एतिबार (वह विवेचित) होगा, वह यह हैं: निकाह, तलाक और रज़अत (तलाक के बाद बीवी को वापस करना)» (अबू दाऊद: निकाह ६, हदीस नम्बर: ٢٩٦٨, तिरमिज़ी: तलाक ६, हदीस नम्बर: ٩٩٦٨, इन्नु माज़ा: तलाक ٩٣, हदीस नम्बर: ٢٠٣٦) (हसन)

जब आदमी को मालूम हो जाएगा कि यह चीज़ें चाहे मज़ाक ही से सही मुँह से बोलने ही से सच मुच वाकेअू (घटित) हो जायेंगी, तो वह अगर समझदार होगा तो इनके कहने से इन्शाअल्लाह बाज़ (विरत) रहेगा।

❖ किसास (प्रतिहिंसा) की अहमियत व फ़ायदे

किसास और सज़ाएं फर्ज़ किये जाने की खूबी यह है कि इससे बाग़ी नुफूस (सरकश आत्माएं) और कठोर दिल जो दया व कृपा से ख़ाली हैं बुराई और जराएम (अपराधों) से बाज़ आ जाएं।

और इसका फ़ायदा यह भी है कि सरकश जमाअतों (विद्रोही दलों) को इसका सबक सिखाया जाता है। अतः एक क़तिल (हत्याकारी) के क़त्ल और एक चोर के हाथ काटे जाने का फैसला खूनख़राबा से बचाता है। अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿وَلَكُمْ فِي الْفِصَاصِ حِيَةٌ﴾ [البقرة: ١٧٩]

“और तुम्हारे लिए किसास में ज़िंदगी है।” (अल्बक़रा: ٩٧٦)

और चोर के हाथ काटने से माल की हिफाज़त होती है, लोग निडर और मुत्महिन होकर ज़िंदगी बसर करते हैं। अल्लाह तआला का इश्शाद है:

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُلُوْا أَيْدِيهِمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبُوا نَكَلًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [٢٨: ١٣١]

“‘चोरी करने वाले मर्द और औरत के हाथ काट दिया करो, यह बदला है उसका जो उन्होंने किया, अज़ाब अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह तआला ताक़त व हिक्मत वाला है।’” (अल्माइदा: ३८)

ज़िना और उसके पेश ख़ीमों (भूमिके) जैसे अज़नबी (अपरिचित) औरत की तरफ देखना, उसके साथ तन्हाई (एकांत) में बैठना, बोसा लेना और छूना आदि को हराम करार दिया है, और खुले झाम ज़ानी के रज़्म (व्यभिचारी के संगसार) और लूटी के कल्ल का हुक्म दिया है, और गैर शादी शुदा ज़ानी (अविवाहित व्यभिचारी) को सौ कोड़े मारने और जला वतन (देश निकाला) करने का हुक्म दिया है। यह सारे अह्कामात केवल इस लिए हैं कि नसब और आबरू (कुल और इज़्ज़त) की हिफाज़त हो, और अख़लाक सुरक्षित रहें, और उम्मत तबाही व बर्बादी से बच जाए।

◆ शराब की हुम्रत (मनाही) और उसकी हिक्मत

शरीअत ने शराब को हराम करार दिया, और उसे तमाम बुराइयों की जड़ बताया, और उसके पीने वाले को कोड़े मारने का हुक्म दिया, क्योंकि उसने निहायत तुच्छ तथा नीच (धिनावना) काम का इर्तिकाब किया है। यह सब सिर्फ़ इस लिए कि अ़क्ल दुरुस्त (सही) रहे, और माल बर्बादी से बचा रहे, और शरफ (प्रतिष्ठा) तथा अख़लाक साफ़ सुथरा बाकी रहे।

ऐ अल्लाह! हमारे दिलों को अपनी मुहब्बत व इताअत पर चला, और हमें दुनिया व आखिरत की ज़िंदगी में अपने मज़बूत कौल (सुदृढ़ बात) पर सावित रख, और अपने ज़िक्र व शुक्र की हमें तौफ़ीक प्रदान कर, और दुनिया व आखिरत में हमें भलाई प्रदान कर, जहन्नम के अज़ाब से हमें बचा, ऐ दया

करने वालों में सबसे ज्यादा दया करने वाला! अपनी ख़ास रहमत से हमें और हमारे बालिदैन (माता पिता) और तमाम मुसलमानों को बरक़ा दे।

अल्लाह तआला मुहम्मद, उनके आल व औलाद तथा उनके सहावियों पर दुर्लद व सलाम नाज़िल करे।





इस्लाम की खूबियाँ एक नज़ारे में सलाह-मश्वरा का हुकम

● इस्लाम की खूबियों में से एक यह भी है कि उसने सलाह-मश्वरा लेने, और जब वह दुरुस्त (दोषरहित) तथा अङ्कल व मन्त्रिक (ज्ञान व युक्ति) और तजुर्बे के अनुसार हो तो उसको कबूल करने की तर्गीब (उत्साह) दी है। अल्लाह तअ़ाला का फ़रमान है:

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴿٣٨﴾ [الشورى: ٣٨]

“और उनका हर काम आपस में सलाह-मश्वरे से होता है।” (अशूरा: ३८)

तक्वा-परहेज़गारी (संयम) अपनाने की तर्गीब (उत्साह प्रदान)

● और इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि (इस्लाम की शिक्षा के अनुसार) अल्लाह के नज़्दीक सबसे बेहतर आदमी वह है जो नेकी और परहेज़गारी में सबसे बेहतर हो। जैसाकि अल्लाह तअ़ाला का इशाद है:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنفُسَكُمْ ﴿١٢﴾ [الحجرات: ١٢]

“अल्लाह के नज़्दीक तुम में से बाइज़्ज़त वह है जो सबसे ज़्यादा डरने वाला है।” (अलहुज़ुरात: १२)

● और इस्लाम की खूबियों में यह है कि उसने गुलामों को आज़ाद करने और उनके साथ अच्छा बरताव करने की तर्गीब दी है।

● और इस्लाम की खूबियों में से है पड़ोसी के साथ अच्छा बरताव करना, मेहमान की खातिर करना और यतीम व मिस्कीन की देख-रेख करना।

❖ बाहमी (पारस्परिक) मुहब्बत करने की तर्फ़ीब

❖ और इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि वह लोगों को बाहमी (पारस्परिक) प्यार व मुहब्बत, दिल की सफाई और मदद करने की ताकीद करता है। रसूलुल्लाह ﷺ का इर्शाद है:

«الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَسْتُدْ بَعْضُهُ بَعْضًا». [بخاري / الصلاة ٨٨ (٤٨١). مسلم / البر والصلة

[٢٥٨٥] ١٧

«एक मुमिन दूसरे मुमिन के लिए इमारत की तरह है, जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्सा को मज़बूत करता है!» (बुखारी: अस्सलात ८८, हडीस नम्बर: ४८१, मुस्तिम: अल्बिर वस्सिला ७७, हडीस नम्बर: २५८५)

❖ इस्लाम की अहम खूबियों में से यह है कि इख्लाफ़, कराहियत, फ़िरूक़ा बंदी की मज़म्मत (भिन्नता, नफूरत, साम्रदायिकता की निंदा) करता है। जैसाकि अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿وَأَعْنَصُمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَقْرَفُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣]

“और अल्लाह तआला की रस्सी को सब मिल कर मज़बूत थाम लो, और फूट न डालो!” (सूरह आलि इम्रान: ٩٠٣)

❖ चुग़लखोरी तथा जुल्म की मज़म्मत (निंदा)

इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि वह चुग़ली, ग़ीबत, हसद, ऐब जूई (दोष तलाश करना), झूट व ख़ियानत से रोकता है। इस विषय से मुतअल्लिक (संबंधी) आयतें और हडीसें बहुत हैं जिन्हें तलाश करने पर पा जाओगे।

और इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि वह जुल्म से रोकता है, और दूर व नज़्दीक वालों के साथ इंसाफ़ (न्याय) करने का हुक्म देता है। अल्लाह तआला का इर्शाद है:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا فَوَّمِينَ لِلَّهِ شَهَدَ أَنَّ إِلَيْنَا سَتَّنَانُ قَوْمٍ عَنْ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا﴾ [آل ائ्दह: ٨]

“ऐ ईमान वालो! तुम अल्लाह के लिए हक् (सत्य) पर कायम हो जाओ, सच्चाई और इंसाफ के साथ गवाही देने वाले बन जाओ, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें न्याय के खिलाफ पर आमादा न करे, न्याय किया करो।” (अल्माइदा: ८)

और फ़रमाया:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل: ٩٠]

“अल्लाह तआला न्याय व भलाई करने का हुक्म देता है।” (अन्नहल: ६०)

क्षमा (माफ़) करने की खूबियाँ

इस्लाम की खूबियों में यह भी है कि ज्यादती करने वाले को माफ़ करने का हुक्म देता है। अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿وَلَيَعْفُوا وَلَيَصْفَحُوا﴾ [النور: ٢٢]

“चाहिए कि माफ़ कर दें और क्षमा फ़रमायें।” (अन्नूर: २२)

और फ़रमाया:

﴿أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [المؤمنون: ١٦]

“बुराई को इस तरह दूर करें जो सरासर भलाई वाला हो।” (अल्मुमिनून: ६६)

और फ़रमाया:

﴿وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [البقرة: ٢٣٧]

“तुम्हारा माफ़ कर देना परहेजगारी (संयम) से बहुत कठीब है।” (अल्बकरा: २३७)

◎ इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि वह दो भाईओं के दरमियान सुलह (मेल) करने की दावत देता है और जुदाई से मना करता है। अल्लाह तआला का इर्शाद है:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِيمَانُهُمْ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَأَنْتُمُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْمَدُونَ﴾ [الحجرات: १०]

“सारे मुसलमान भाई भाई हैं, पस अपने दो भाईओं में मिलाप करा दिया करो।” (अलहुजुरात: १०)

❖ नाता तोड़ने की मज़ामत (संबंध विच्छेद की निंदा)

इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि वह दूसरे का बाईकाट करने, उससे मुँह फेरने, कीना कपट और हसद करने से रोकता है। रसूलुल्लाह ﷺ का इशाद है:
 «لَا تَقْاطِعُوا، وَلَا تَدَابِرُوا، وَلَا تَبَاغِضُوا، وَلَا تَحَاسِدُوا»۔ [بخاري/الأدب ٥٧، مسلم/البر والصلة ٧] (٢٥٥٩)

«आपस में नाता न तोड़ो, एक दूसरे से मुँह न फेरो, आपस में दुश्मनी व बुज्जन न रखो और एक दूसरे से हसद न करो।» (बुखारी: अल्अदब ٤٧, हदीस नम्बर: ٦٠٦٤, मुस्लिम: अल्बिर वसिसता ٧, हदीस नम्बर: ٢٥٤٦)

❖ मज़ाक़ उड़ाने की मुमानअत (मनाही)

इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि वह लोगों का मज़ाक़ उड़ाने और उनके एबों को ज़िक्र करने से मना करता है। अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿كَيْفَ يَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ فَوْمٌ مِّنْ فَوْمٍ﴾ [الحجرات: ١١]

“ऐ ईमान वालो! मर्द दूसरे मर्दों का मज़ाक़ न उड़ायें।” (अल्हुजुरात: ٩٩)

❖ और इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि वह इस बात से रोकता है कि कोई अपने भाई के लेन देन पर अपना लेन देन करे, और अपने भाई के निकाह के पैग़ाम पर अपना पैग़ाम भेजे, यह उसी सूरत में जायज़ है जब इसकी इजाज़त दी जाए, या मामला को ख़त्म कर दिया जाए, वरना उससे दुश्मनी तथा जुदाई पैदा होगी।

❖ सलाम करने का हुक्म

इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि उसने यह मशरूअ (शरीअत सम्मत) किया है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलाम करे, चाहे उसको पहचानता हो या न पहचानता हो। और उसने हुक्म दिया है कि सलाम का जवाब उससे बेहतर दिया जाए या उन्ही अलफ़ाज़ (शब्दों) में लौटाया जाए। अल्लाह तआला का इशाद है:

﴿وَلَذَا حُيِّنُمْ بِشَجَنَةٍ فَحَيُوا بِأَخْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: ٨٦]

“और जब तुम्हें सलाम किया जाए तो तुम उससे अच्छा जवाब दो या उन्हीं अल्फाज़ (शब्दों) को लौटा दो।” (अन्निसा: ८६)

❖ अफ्राह की तहकीक (लोकोक्ति की जाँच) का हुक्म

इस्लाम की ख़ूबियों में से यह भी है कि उसने हुक्म दिया कि सुनी हुई बात की तहकीक करें। अल्लाह तभाला का इर्शाद है:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَيَّا فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِمَهْلَةٍ فَنَصِيبُهُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُمْتُمْ تَكْرِيمًا﴾ [الحجرات: ٦]

“ऐ ईमान वालो! अगर तुम्हें कोई फासिक (पापाचार) ख़बर दे तो तुम उसकी अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो, ऐसा न हो कि नादानी (अज्ञता) में किसी कौम को तकलीफ पहुँचा दो, फिर अपने किये पर शरूमिंदगी (पछतावा) उठाओ।” (अलहुजुरात: ६)

और फरमाया:

﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦]

“जिस बात की तुम्हें ख़बर न हो उसके पीछे मत पढ़ो।” (अलइसरा: ३६)

❖ खड़े पानी में पेशाब करने और मुमिन को तकलीफ पहुँचाने की मुमानअत (मनाही)

इस्लाम की ख़ूबियों में से यह भी है कि उसने खड़े पानी में पेशाब करने से मना किया, और यह इस लिए कि अल्लाह के हुक्म से बीमारियों और गंदगियों से बचा जाए, और सेहत (स्वास्थ्य) का इहतिमाम (यत्न) किया जाए।

❖ और इस्लाम की ख़ूबियों में से यह भी है कि उसने ईमान वालों को नुकसान और तकलीफ पहुँचाने से मना किया है। अल्लाह का इर्शाद है:

﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا أَكَتَسَبُوا فَقَدْ أَحْتَمَلُوا بُهْتَنَةً وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ [الأحزاب: ٥٨]

“और जो लोग मुमिन मर्दों और औरतों को तकलीफ़ पहुँचायें बगैर किसी जुर्म (अपराध) के जो उनसे सरज़द (घटित) हुआ हो, वह (बड़ी ही) बुहतान (अपवाद) और सरीह (स्पष्ट) गुनाह का बोझ उठाते हैं।” (अल्अह़ज़ाब: ५८)

और रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الثُّومَ» وَقَالَ مَرَّةً: «مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَاثَ، فَلَا يَقْرِئَنَ مَسْجِدًا، إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأْذَى مِمَّا يَأْذَى مِنْهُ بَنُو آدَمَ». [مسلم/الصلوة ١٧] [٥٦٤]

«जो व्यक्ति इस सब्ज़ी यानी लहसुन को खाए, (और कभी यूँ फ़रमाया:) जो व्यक्ति प्याज़, लहसुन और गंदना खाए, वह हमारी मस्जिद के क़रीब न आए, क्योंकि फ़रिश्ते उस चीज़ से तकलीफ़ महसूस करते हैं जिनसे आदम संतान तकलीफ़ महसूस करते हैं।» (मुस्लिम: अस्सलात ७७, हदीस नम्बर: ५६४)

❖ दायें हाथ से खाने पीने का हुक्म

इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि उसने बायें हाथ से खाने और पीने से मना किया है, इस लिए कि बायाँ हाथ गंदगी दूर करने के लिए है, और इस लिए भी कि शैतान बायें हाथ से खाता है। जैसाकि नबी अक़्रम ﷺ ने फ़रमाया:

«إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ : فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرَبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشَمَائِلِهِ، وَيَشْرَبُ بِشَمَائِلِهِ». [مسلم/الأشربة ١٢] [٢٠٢٠]

«तुम में से कोई जब खाए तो दायें हाथ से खाए और पिए तो दायें हाथ से पिए, इस लिए के शैतान बायें हाथ से खाता है और बायें हाथ से पीता है।» (मुस्लिम: अल्अशरिबा ९३, हदीस नम्बर: २०२०)

❖ जनाज़ा के पीछे जाने और छीकने वाले का जवाब देने का हुक्म

इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि उसने जनाज़ा के पीछे जाने का हुक्म दिया, इस लिए कि इसमें मुर्दा के लिए दुआ है, उस पर रहमत व प्यार का

इज़्जहार (प्रकटन) है, जनाज़ा की नमाज़ की अदाएगी है और उसके मुमिन घरानों की तसल्ली (सांत्वना) है।

❖ इस्लाम की ख़ूबियों में से यह भी है कि उसने छींकने वाले का जवाब देने और क़सम (शपथ) पूरी करने की तालीम (शिक्षा) दी है, इस लिए कि उसमें मुहब्बत और भाईचारगी (भ्रातृत्व) है, और अपने भाई को रहमत की दुआ देनी है। और क़सम पूरी करके अपने दिल को चैन दिलाना और फ़रमाइश (मांग) का पूरा करना है, इस शर्त पर कि उसमें शरीअत के ख़िलाफ़ कोई बात न हो।

दावत (निमंत्रण) क़बूल करने की अहमियत

इस्लाम की ख़ूबियों में से यह भी है कि मुसलमान की दावत को क़बूल किया जाए, और ख़ास कर शादी की दावत, जब उसमें शरीअत के ख़िलाफ़ कोई काम न हो, और उसमें मुरुब्बत व इंसानियत (मानवता) के ख़िलाफ़ काम न हो, जैसाकि आज कल कुछ लोग खेल तमाशा और मुन्करात (शरीअत के ख़िलाफ़ काम) के वक्त करते हैं, क्योंकि ऐसी मज़लिसों में हाज़री फ़ासिकों और फ़ाजिरों (बैठकों में उपस्थिति पापाचारों) की हिम्मत अफ़ज़ाई (उत्साह प्रदान) करना है, और गुनाहों को रिवाज देने में उनकी मदद करनी है, और बुरी बातों की तरफ से लापरवाही का इज़्जहार (प्रकटन) है। हाँ अगर मुन्कर से रोकना मकूसूद (उद्देश्य) हो तो ऐसी मह़फ़िलों में हाजिर होना ऐब की बात नहीं।

❖ इस्लाम की ख़ूबियों में से यह भी है कि उसने मुसलमान पर दूसरे मुसलमान को ख़ौफ़ज़दा (आतंकित) करना हराम किया है, चाहे भयानक ख़बरों के ज़रीया हो या हथियार दिखा कर।

❖ और इस्लाम की ख़ूबियों में से यह भी है कि उसने मर्दों को औरतों की और औरतों को मर्दों की मुशाबहत (अनुरूपता) अखिल्यार करने से मना किया है, इस लिए कि इसमें औरतों के साथ लिवास, चाल ढाल और बात चीत में मुशाबहत अखिल्यार करके मुख्न्नस (हिजड़ा) बन जाने की बुराई है, जैसाकि आज कल हिपियों और दाढ़ी मुँडों और मग्नुरीन (घमंडीयों) में पाई जाती है।

❖ शक (संदेह) की जगहों से दूर रहने का हुक्म

इस्लाम की खूबियों में यह भी है कि उसने तुहमत (आरोप) और शक की जगहों से बचने का हुक्म दिया है, ताकि लोगों की जुबान और बद गुमानी (कुधारना) से आदमी महफूज़ रह सके। हडीस में आया है:

عَنْ صَفِيَّةَ بْنَتِ حُيَّىٍ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مُعْتَكِفًا، فَأَتَيْتُهُ أَرْوَهُ لَيَلًا، فَحَدَّثَتْهُ، ثُمَّ قَمَتْ لِأَنْقَلِبَ، فَقَامَ مَعِي لِيَقْبَلِنِي وَكَانَ مَسْكُنُهَا فِي دَارِ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَمَرَّ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ ﷺ أَسْرَعَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «عَلَى رَسْلِكُمَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بْنَتُ حُيَّىٍ»، فَقَالَا: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْدِنَفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا» أَوْ قَالَ: «شَيْئًا». [مسلم/السلام ۹] (۲۱۷۵)

सफिया बिन्ते हुय्य रजियल्लाहु अन्हा कहती हैं: नबी अक्रम ﷺ इतिकाफ में थे, एक रात मैं आपसे मिलने आई, मैंने आपसे बात चीत की, फिर वापस लौटने के लिए उठी तो मेरे साथ आप भी मुझे पहुँचाने को खड़े हुए, मेरी रिहायश (आवास) उस समय उसामा बिन ज़ैद के मकान में थी, रास्ते में मुझे दो अंसारी मिले, उन्होंने नबी अक्रम ﷺ को देखा तो ज़रा तेज़ चलने लगे, नबी अक्रम ﷺ ने फ़रमाया: «आहिस्ता आहिस्ता चलो, यह सफिया बिन्ते हुय्य हैं!» उन्होंने कहा: सुब्वानल्लाह! ऐ अल्लाह के रसूल! आप ﷺ ने फ़रमाया: «शैतान इंसान के अंदर ख़ून की तरह दौड़ता है, मुझे डर हुआ कि कहीं वह तुम्हारे दिलों में कोई बुरी बात (या बुरी चीज़) न डाल दे!» (मुस्लिम: अस्सलाम ६, हडीस नम्बर: २१७५)

गौर कीजिए कि रसूलुल्लाह ﷺ लोगों में सबसे बुजुर्ग व पाकीज़ा (निर्मल) थे, फिर भी आप ﷺ ने तुहमत व शक को अपनी तरफ़ से दूर किया।

उमर ﷺ का फ़रमान है कि जो शख्स खुद को तुहमत की जगह रखेगा, अगर उसके साथ कोई बद गुमानी करे तो खुद अपने ही को मलामत करे। उमर ﷺ एक शख्स के पास से गुज़रे जो रास्ता में अपनी बीवी से बात कर रहा था, तो उस पर चढ़ दौड़े, और उसे दुर्ग (कोड़ा) से पीटा। उस आदमी ने कहा:

अमीरुल मुमिनीन! यह तो मेरी बीवी है। तो आपने फ़रमाया: तुमने उससे ऐसी जगह क्यों नहीं बात की जहाँ तुम्हें कोई न देखता।

इस्लाम की ख़ूबी यह है कि उसने तुहमत और शक की जगहों से मुसलमानों को दूर रखा है। अतः यह कैसे जायज़ होगा कि औरत तन्हा दर्जी के पास जा कर अपने जिस्म की पैमाइश (नाप) कराए, या फ़ोटो ग्राफ़र के पास जा कर तन्हा फ़ोटो खिंचवाए, या गैर महरम (महरम पति तथा वह व्यक्ति है जिससे उसकी शादी हराम है जैसे बाप, बेटा, भाई, चचा, मामू वगैरा) के साथ सवार हो, या एक मुसलमान औरत महरम के बगैर गैर इस्लामी मुल्कों का सफर करे, या डाक्टरी चेक की गर्ज़ (उद्देश्य) से तन्हा डाक्टर के पास जाए, जैसाकि मौजूदा दौर (वर्तमान काल) में इस किस्म के फ़िल्मे बहुत आम हो गए हैं, और अप्रव नह्य (आदेश निषेध) का निज़ाम ढीला पड़ चुका है, और बुराई करने वाले तथा फ़साद फैलाने वाले -जिनकी ताक़त बहुत बढ़ चुकी है- की सज़ा भी ख़त्म हो चुकी है, और भलाई तथा कल्याण चाहने वालों के ख़िलाफ़ आपस में जुदाई पसंदी, पस्पाई (हराने) और धोखे बाज़ियों में मदद करते हैं, बस अल्लाह ही हमारा सहायी व मददगार है।

ऐ अल्लाह! हमारी निगाहों और कानों में बरकत दे, हमारे दिलों को मुनब्वर (प्रकाशित) फ़रमा, हमारी इस्लाह (संशोधन) फ़रमा, और हमारे दिलों को जोड़ दे, और हमें सलामती का रास्ता दिखा, और अंधेरों से बचा कर नूर की राह पर चला, और ज़ाहिरी व बातिनी (प्रकाश्य व अप्रकाश्य) बेहयाइयों से हमारी हिफ़ाज़त फ़रमा दे।

ऐ दया करने वालों में सबसे ज़्यादा दया करने वाला! अपनी ख़ास रहमत से हमें और हमारे वालिदैन (माता पिता) और तमाम मुसलमानों को बर्खा दे।

अल्लाह तअ़ाला मुहम्मद, उनके आल व औलाद तथा उनके सहाबियों पर दुर्खद व सलाम नाज़िल करे।

❖ ज़ालिम से बचने का हुकम

इस्लाम की खूबियों में से यह है कि उसकी तालीम (शिक्षा) यह है कि इंसान जब किसी बदकार (दुराचारी), पापी या मुज़रिम (अपराधी) की ओर से आज़माइश (परीक्षा) में मुब्ला हो जाए (फँस जाए) तो उसको चाहिए कि जहाँ तक हो सके उससे बचे, और उसकी बुराई से दूर रहे, और उसके साथ रवादारी बरूते (न्याय संगत आचरण करे) और उससे बचे।

अबु दर्दा ﷺ फरमाते हैं: हम लोगों के सामने खुश तबर्ई (सुशीलता) का इज़्हार (व्यक्त) करते हैं, जबकि हमारे दिल उनको लानत (शाप) करते रहते हैं, मत्रूलब इसका यह है कि जिन बदकारों (दुराचारियों) को रोकने और टोकने की ताक़त न हो उनके साथ रवादारी ही करनी चाहिए, अर्थात उनके बुराई और तकलीफ पढ़ँचाने तथा जुर्म साज़ी (आपराधिक गतिविधियों) के डर की वजह से तो उनसे रवादारी बरूतो, लेकिन दिल से उनकी मुख़ालफ़त (विरोधिता) करो।

और इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि आपस में एक दूसरे को सुधार का हुक्म दिया जाए, और कुरआन व हडीस से इसकी दलीलें बहुत हैं।

❖ सतर पोषी (ऐब छिपाने) का हुक्म

इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि मुसलमानों की भेद और उनके दोषों तथा ऐबों को छिपाने का हुक्म दिया जाए। रसूलुल्लाह ﷺ का इरशाद है:

وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ [بخاري/مظالم ٢٤٤٢]

«और जो शख्स किसी मुसलमान के ऐब को छिपायेगा अल्लाह तआला कियामत के दिन उसके ऐब छिपायेगा।» (बुखारी: मज़ालिम ३, हडीस नम्बर: २४४२) और आप ﷺ का इरशाद है:

يَا مَعْشَرَ مَنْ أَمَنَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ! لَا تَعْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَتَبَعُوا عَوْرَاتِهِمْ۔ [مسند احمد ٤/ ٤٢١] (صحيح لغيره)

«ऐ वह लोगों जो सिर्फ जुबान से ईमान लाए हों, और उनके दिल तक ईमान

नहीं पहुँचा है! मुसलमानों की ग़ीबत मत करो और उनके ऐब मत तलाश करो ॥»
 (मुस्नद अहमद: ४/४२७) (सहीह लिगैरिह)

❖ मुसलमानों को खुश करने का हुकम

इस्लाम की ख़ूबियों में से यह भी है कि मुसलमान के दिल में आनंद तथा खुशी पैदा की जाए और मुहताज (ज़खरतमंद) की मदद की जाए। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ». [بخاري/الإيمان ٧ (١٣)]

«वह शख्स मुमिन नहीं जब तक कि वह अपने भाई के लिए भी वही न पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है ॥» (बुखारी: अल्इमान ७, हदीस नम्बर: ९३)

और फ़रमाया:

«مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ فِي حَاجَتِهِ». [بخاري/المظالم ٢ (٢٤٤٢)، مسلم/البر والصلة ١٥]
 [(٢٠٨٠)]

«जो शख्स अपने भाई की कोई हाजत (प्रयोजन) पूरी करने में लगा रहता है, अल्लाह तआला उसकी हाजत पूरी करने में लगा रहता है ॥» (बुखारी: अल्मज़ालिम ३, हदीस नम्बर: २४४२, मुस्लिम: अल्विर्व वसिसला १५, हदीस नम्बर: २५८०)

और इस्लाम की ख़ूबियों में से मुसलमान और ख़ास तौर पर बूढ़े मुसलमान की इज़ज़त और बच्चों के साथ प्यार करना भी है। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا». [ترمذी/البر والصلة ١٥ (١٩١٩) (صحيح)]
 «वह शख्स हम में से नहीं है जो हमारे छोटों पर रहम न करे, और हमारे बड़ों की इज़ज़त न करे ॥» (तिर्मिज़ी: अल्विर्व वसिसला १५, हदीस नम्बर: १६१६) (सहीह)
 और फ़रमाया:

«إِنَّ مِنْ أَجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ». [أبو داود/الأدب ٢٣ (٤٨٤٣) (حسن)]
 «अल्लाह को बड़ा मानने में बूढ़े मुसलमान की इज़ज़त करना भी शामिल है ॥»
 (अबू दाऊद: अल्अदब २३, हदीस नम्बर: ४८४३) (हसन)

❖ कानाफूसी, फालतू बात तथा बद जुबानी से बचना

इस्लाम की खूबियों में बेहयाई और बद जुबानी से मना करना भी है। रसूलुल्लाह ﷺ ने फरमाया:

«لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ، وَلَا اللَّعَانِ، وَلَا الْفَاحِشِ، وَلَا الْبَدِيءِ». [ترمذी/البر والصلة ٤٨] (صحیح) [١٩٧٧]

«मुमिन ताना देने वाला, लानत (शाप) करने वाला, बेहया और बद जुबान नहीं होता है।» (तिरमज़ी: अल्बिर वसिसला ४८, हडीस नम्बर: १६७७) (सहीह)

❖ और इस्लाम की खूबियों में यह भी है कि उसने तीसरे की मौजूदगी (उपस्थिति) में दो आदमियों को आपस में चुपके चुपके बात करने से मना किया है, क्योंकि तीसरे आदमी को उससे तकलीफ़ होगी, वह यही समझेगा कि यह दोनों उसी के बारे में बात कर रहे हैं। इस लिए यह अदब के खिलाफ़ है। इसी तरह यह भी अदब के खिलाफ़ है कि किसी के सामने ऐसी जुबान में बात की जाए जिसे वह न जानता हो। रसूलुल्लाह ﷺ का इरशाद है:

«لَا يَنْتَجِي أثَنَانِ دُونَ الثَّالِثِ؛ فَإِنْ ذَلِكَ يُحْرِنُهُ». [بخاري/الاستفاذان ٤٥] (مسلم/السلام ١٢٨٨) (صحیح) [٢١٨٤]

«दो आदमी तीसरे को छोड़ कर कानाफूसी न करें, क्योंकि यह चीज़ उसे रंजीदा (दुःखित) कर देगी।» (बुखारी: अलइस्टीज़ान ४५, हडीस नम्बर: ६२८८, मुस्लिम: अस्सलाम १५, हडीस नम्बर: २९८४)

❖ और इस्लाम की खूबियों में यह भी है कि आदमी बेकार और बेज़स्तरत बातों में दखल न दे, और यह बात रसूलुल्लाह ﷺ की जामेझ (व्यापक) बातों में शामिल है जैसाकि हडीस में है:

«مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرُكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ». [ترمذी/الزهد ١١] (ابن ماجہ/الفتن ٢٢١٧) (صحیح) [٣٩٧٦]

«किसी शख्स के इस्लाम की खूबी यह है कि वह बेकार और फालतू बातों को

छोड़ दे ॥» (तिरमिज़ी: अज्ञुहूद ११, हदीस नम्बर: २३१७, इन्नु माजा: अल्फ़ितन १२, हदीस नम्बर: ३६७६) (सहीह)

इस हदीस के मतलब को बाज़ लोगों ने इन लफ़ज़ों (शब्दों) में ताबीर की: ‘अपने ज़ाती काम ही के खोज में रहो ।’

अगर मुसलमान अपने पैग़म्बर की बातों तथा नसीहतों को अपनाते तो खुद भी आराम पाते और दूसरों को भी आराम पहुँचाते । अगर तुम अक्सर (अधिकांश) झमेलों, झगड़ों, इख्तिलाफ़ात व लड़ाइयों की टोह (खोज) लगाओगे तो तुम्हें उन सब का एक सबब मालूम होगा, और वह है बेकार कामों में दख़ल देना ।

◆ बीच रास्ते में बैठने की मुमानअत (मनाही)

इस्लाम की खूबियों में यह भी है कि उसने रास्तों में बैठने से मना किया है, क्योंकि इससे नामुनासिब (अनुचित) बातों का सामना करना होता है, और बैठने वालों पर जो बातें आइद (अर्पित) होती हैं वह बसा औकात (बहुधा) उन्हें पूरे नहीं कर पाते, जैसे: अच्छी बात का हुक्म देना और बुरी बात से रोकना, और मज़लूम (अत्याचारित व्यक्ति) की मदद करना, और ज़ालिम (अत्याचारी) को जुल्म से रोकना, और जुल्म से रोकना यह उसकी मदद करना है, और मुसलमान की मदद करना, और निगाह नीची रखना, और सलाम का जवाब देना और तकलीफ़ देह (कष्टदायक) चीज़ को दूर करना ।

◆ अल्लाह के नाम पर पनाह (आश्रय) देने का हुक्म

इस्लाम धर्म की खूबियों में से यह भी है कि जो व्यक्ति हमसे अल्लाह के नाम पर पनाह माँगे उसे हम पनाह दें, और जो व्यक्ति अल्लाह के नाम पर सवाल करे हम उसको दें, और जो शख़्स हमारे साथ भलाई करे, हो सके तो हम उसको अच्छा बदला पेश करें, अगर बदला न दे सकें तो उसके लिए अल्लाह से बेहतरीन बदला की दुआ करें, क्योंकि उसने हमारे साथ नेकी की है । जैसाकि हदीस में आया है, अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«مَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعِنْدُوهُ». [أبو داود / الأدب ١١٧ (٥١٠٩) (صحيح)]

«जो शख्स तुमसे अल्लाह के वास्ते से पनाह तलब करे तो उसे पनाह दो।»

(अबू दाऊद: अल्लाहवा ۹۹۷, हदीस नम्बर: ۵۹۰۶) (सहीह)

मुहम्मद और उनके आल व ऐलाद पर दुरुद व सलाम नाज़िल हो।





नसीहत, इज़ज़त की हिफ़ाज़त, मियानारवी (मध्यवर्तिता) व सब्र का हुक्म

इस्लाम धर्म की खूबियों में यह भी है कि तुम अपने आत्मा के साथ न्याय करो, और दूसरों के लिए भी वही पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो, और अपने आपको मुसलमान भाईओं ही की तरह समझो, और उनके साथ ऐसा मामला करो जैसाकि तुम अपने लिए पसंद करो, और उनके हुकूक (प्राप्यों) को पूरी तरह अदा करो। बुखारी में तअूलीक़न यह हडीस मौजूद है:

وَقَالَ عَمَّارٌ: ثَلَاثُ مَنْ جَمِعْهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيمَانَ: الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ، وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ، وَالْإِنْفَاقُ مِنَ الْإِقْتَارِ. [بخاري / الإيمان ٢٠ تعليقا]

अम्मार رض ने कहा: जिसने तीन चीजों को जमा कर लिया उसने सारा ईमान हासिल कर लिया। अपने नफ्स से इंसाफ करना, सलाम को दुनिया में फैलाना, और तंगदस्ती (अर्थकष्ट) के बावजूद अल्लाह की राह में ख़र्च करना। (बुखारी: अल्अहमान २० तअूलीक़न)

﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ إِيمَانُهُمْ خَاصَّةً﴾ [الحشر: ٩]

“दूसरों की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों पर मुक़द्दम समझते (अग्राधिकार देते) हैं, गो खुद को कितनी ही सख्त हाजत हो।” (अल्हशः ६)

और आप صل ने फ़रमाया:

«طَعَامُ الْأَشْتَنَيْنِ كَافِي الْثَلَاثَةَ». [بخاري / الأطعمة ١١ (٥٣٩٢)، مسلم / الأشربة ٣٣ (٢٠٥٨)]

«दो आदमियों का खाना तीन आदमियों के लिए काफ़ी है।» (बुखारी: अलअतूहमा ٩٩, हडीस नम्बर: ५३६२, मुस्लिम: अलअशरिबा ٣٣, हडीस नम्बर: २०५८)

एक दूसरी हदीस में आप ﷺ ने फ़रमाया:

«مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ طَهْرٌ؛ فَلَيَعْدُ بِهِ عَلَىٰ مَنْ لَا ظَهَرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِّنْ زَادٍ، فَلَيَعْدُ بِهِ عَلَىٰ مَنْ لَا زَادَ لَهُ». [مسلم / الجهاد ٤] (١٧٢٨)

«जिसके पास ज़ाइद (प्रयोजनाधिक) सवारी हो वह उसे दे दे जिसके पास सवारी न हो, और जिसके पास ज़ाइद तोशा (खाना) हो वह उसे दे दे जिसके पास तोशा न हो ।» (मुस्लिम: अल्जिहाद ४, हदीस नम्बर: १७२८)

और आप ﷺ ने इस बारे में माल की मुख्तलिफ़ किस्मों (विभिन्न प्रकारों) का ज़िक्र फ़रमाया, अबू सईद ؓ कहते हैं कि आपकी इन बातों से हमने यहाँ तक समझ लिया कि फ़ाज़िल और ज़ाइद (प्रयोजनाधिक) चीज़ों पर किसी के मालिक होने का अधिकार नहीं।

◎ इस्लाम की खूबियों तथा उसके बुलंद अख्लाक में से यह भी है कि आदमी अपने मुसलमान भाई की इज़ज़त और उसके जान व माल की जुल्म व ज़्यादती से जहाँ तक हो सके हिफ़ाज़त करे, और उससे इस जुल्म व ज़्यादती को दूर करने के लिए हर मुम्किन कोशिश करे, और पूरी ताक़त से उसकी दिफ़ाअू (प्रतिरोध) करे।

अबू दर्दा ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ के पास जब एक आदमी ने किसी हतक आमेज़ (अपमान जनक) तरीका का ज़िक्र किया तो एक दूसरे शख्स ने उसका दिफ़ाअू (प्रतिरोध) किया, उस वक्त रसूलुल्लाह ﷺ ने इर्शाद फ़रमाया: «مَنْ رَدَ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ، رَدَ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [ترمذني / البر والصلة ٢٠]

[صحيح] (١٩١١)، مسند احمد: ٤٥٠/٦ (٤٤٩، ٤٥٠)

«जो शख्स अपने भाई की इज़ज़त (उसकी गैर मौजूदगी तथा अनुपस्थिति में) बचाए, अल्लाह तआला कियामत के दिन उसके चेहरे को जहन्नम से बचाएगा ।» (तिर्मिज़ी: अल्बिर्र वस्सिला २०, हदीस नम्बर: १६३९, मुस्नद अहमद: ६/४४६, ४५०) (सहीह)

◎ और इस्लाम की खूबियों में से कंजूसी और फुजूल ख़र्ची (अपव्यय) के

द्रमियान राहे एतेदाल (दरमियानी रास्ता) अखित्यार करने का हुक्म तथा सलाह-मशवरा भी है। अल्लाह तयाला का फ्रमान है:

﴿وَلَا يَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَنَقْعُدْ مَلُومًا مَخْسُورًا﴾ [الاسراء: ٢٩]

“‘और न तो अपना हाथ गर्दन से बाँध रखो, और न ही उसे बिल्कुल खुला छोड़ दो कि मलामत ज़दा (तिरस्कृत) और आजिज़ (अक्षम) बन कर रह जाओ।’”
(अलइसरा: २६)

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا مَمْرُوضاً وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً﴾ [الفرقان: ٦٧]

“‘और जो खर्च करते हैं तो न फुजूल खर्ची (अपव्यय) करते हैं न कंजूसी, बल्कि उनका खर्च दोनों के दरमियान एतेदाल (मध्यम) पर कायम रहता है।’”
(अलफुरक्कान: ६७)

❶ और इस्लाम की खूबियों में से सब्र की तीनों किस्मों की तलकीन (उपदेश) भी है यानी अल्लाह की इताहत व फ्रमा बरदारी पर सब्र, और उसकी नाफ्रमानी से दूर रहने पर सब्र, और गम पहुँचाने वाली तक्दीर पर सब्र करना।

❖ यतीम व मिस्कीन का रघ्याल

इस्लाम की खूबियों में से कमज़ोरों पर दया करना, और फ़कीरों पर मेहरबानी करना, और यतीमों के साथ रहम दिली, और नौकरों, गुलामों और लौंडियों के साथ अच्छा बरताव करना, उनकी तकलीफ़ को दूर करना, उनके साथ अच्छा मामला करना, नम्रता व नरमी करना तथा उनके साथ नरम खूई (कोमलता) करना। अल्लाह तयाला ने रसूल ﷺ को इरशाद फ्रमाया:

﴿وَلَخْفَضَ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٥]

“‘और उसके साथ फरोतनी (विनम्रता) से पेश आओ जो भी ईमान लाने वाला हो कर आपकी ताबेदारी करे।’” (अशुअरा: २१५)

और इरशाद फ्रमाया:

﴿وَاصِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْفَدْوَةِ وَالْعَشَيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الكهف: ٢٨]

“और अपने आपको उन्हीं के साथ रखा करो जो अपने रब को सुबह व शाम पुकारते हैं, और उसी के चेहरे के इरादे रखते हैं (रिजामंदी चाहते हैं)।”
(अल्कहफः २८)

और इरशाद फ़रमाया:

﴿فَأَمَّا الْيَتَيمَ فَلَا نَقْهَرُ ① وَأَمَّا السَّاِيلَ فَلَا نَنْهَرُ﴾ [الضحي: ١٠-٩]

“पस यतीम पर तुम भी सख्ती न किया करो, और न सवाल करने वालों पर डाँट डपट।” (अज्जुहा: ६-१०)

और फ़रमाया:

﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَدِّبُ بِالْيَتَمِ ② فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتَمَ ③ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ④﴾ [الماعون: ٣-١]

“क्या आपने (उसे भी) देखा जो बदले के दिन को झुटलाता है, यही वह है जो यतीम को धक्के देता है और मिस्कीन को खिलाने की तरगीब (उत्साह) नहीं देता।” (अल्माझ़न: १-३)

और फ़रमाया:

﴿فَلَكُّ رَبَّهُ ⑫ أَوْ إِطْعَمْ ۝ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ⑬ يَتِيمًا دَا مَقْرَبَةٍ ⑭ أَوْ مُسْكِنَنَا دَا مَرْبَةٍ ⑮﴾ [البلد: ١٦-١٢]

“किसी गर्दन (गुलाम लौंडी) को आज़ाद करना, या भूक वाले दिन खाना खिलाना, किसी रिश्तादार यतीम को या ख़ाक़सार मिस्कीन को।” (अल्बलद़: ٩٣-٩٦)

और फ़रमाया:

﴿عَبَسَ وَنَوَّنَ ① أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ② وَمَا يَدِرِبَ لَعَلَهُ يَرْجِعُ ③﴾ [عبس: ١]

“उसने खट्टा मुँह बनाकर मुँह मोड़ लिया, (सिर्फ़ इस लिए कि) उसके पास एक नाबीना (अंधा) आया, तुम्हें क्या पता शायद वह सुधर जाता।” (अबसः ١-٣)

❖ जानवरों पर रहम तथा दया करने का हुक्म

इस्लाम धर्म की खूबियों में से नरम दिली और मेहरबानी करना है, न कि संग दिली (निष्ठुरता), सख्ती और तकलीफ़ पहूँचाना। यहाँ तक कि यही ब्रताव जानवरों के साथ भी करना है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«عَذَبْتُ أَمْرَأَةً فِي هَرَةٍ سَجَنْتُهَا حَتَّىٰ مَاتَتْ، فَدَخَلْتُ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمْتُهَا وَسَقَيْتُهَا إِذْ حَبَسْتُهَا، وَلَا هِيَ تَرَكْتُهَا تَأْكُلُ مِنْ حَشَاشِ الْأَرْضِ». [مسلم / السلام ٤٠] (٢٢٤٢)

«एक औरत को एक बिल्ली के कारण अज़ाब हुआ, इस लिए कि उसने उसे पकड़े रखा, यहाँ तक कि वह मर गई, इसकी वजह से वह जहन्नम में गई, जब उसने उसे कैद में रखा तो उसने न खाना खिलाया, न पिलाया, और न ही उसे छोड़ा कि वह ज़मीन के कीड़े मकूड़े खा लेती।» (मुस्लिम: अस्सलाम ४०, हदीस नम्बर: २२४२)

और फ़रमाया:

«بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، فَأَشْتَدَ عَلَيْهِ الْعَطْشُ، فَوَجَدَ بَنْرًا، فَنَزَّلَ فِيهَا، فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهُثُ يَأْكُلُ النَّثْرَ مِنَ الْعَطْشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطْشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغْنِي، فَنَزَّلَ الْبَنْرَ، فَمَلَأَ حُفَّهُ: فَأَمْسَكَهُ بِضِيَّهِ حَتَّىٰ رَقِيَ، فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ». [بخاري / الوضوء ٣٣] (١٧٣) [مسلم / السلام ٤١] (٢٢٤٤)

«एक आदमी किसी रास्ता पे जा रहा था कि इसी दौरान उसे सख्त व्यास लगी, (रास्ते में) एक कुँआ मिला, उसमें उतर कर उसने पानी पिया, फिर बाहर निकला तो देखा कि एक कुत्ता हाँप रहा है और सख्त व्यास की वजह से कीचड़ चाट रहा है, उस शख्स ने दिल में कहा: इस कुत्ते को व्यास से वही हाल है जो मेरा हाल था, अतः वह (फिर) कुँए में उतरा, और अपने मोज़ों को पानी से भरा, फिर मुँह में दबा कर ऊपर चढ़ा, और (कुँए से निकल कर बाहर आ कर) कुत्ते को पिलाया, तो अल्लाह तअ़ाला ने उसका यह अमल कबूल फ़रमा लिया, और उसे बख्ता दिया।» (बुखारी: अलूजू ३३, हदीस नम्बर: १७३, मुस्लिम: अस्सलाम ४९, हदीस नम्बर: २२४४)

और मुस्लिम वगैरा की रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ एक गधे के पास से गुज़रे जिसे चेहरे पर दाग़ा गया था, आप ﷺ ने देख कर फ़रमाया:

«عَنْ اللَّهِ الَّذِي وَسَمَّهُ». [مسلم / الزينة ٢٩] (٢١١٧)

«अल्लाह की लानत (शाप) हो उस पर जिसने उसको दाग़ा है!» (मुस्लिम: अज़्जीना २६, हदीस नम्बर: २११७)

ऐ अल्लाह! हमें ऐसी यकीनी तौफीक दे कि तेरी नाफ़रमानी से बच जायें, और हमारी रहनुमाई फ़रमा कि तेरी रिज़ा के लिए हम कोशिश करें। और ऐ मौला! हमें रुस्वाई और अज़ाब से बचा, और हमें वही प्रदान कर जो तू ने अपने वलीयों और चाहने वालों को दिया, और हमें दुनिया में भी नेकी प्रदान कर, और आखिरत में भी, और जहन्नम के अज़ाब से बचा। ऐ कृपा करने वालों में सबसे ज्यादा कृपा करने वाला! अपनी खास रहमत से हमको और हमारे माँ बाप को और तमाम मुसलमानों को बख्शा दे।

मुहम्मद तथा उनके अह़ल व अ़्याल और उनके तमाम सहावियों पर दुरुद व सलाम नाज़िल हो।

❖ लोगों के मकाम व मर्तबा (दरजा व पद) का लिहाज़

इस्लाम की खूबियों में से हिक्मत के साथ मामलों को अंजाम देना भी है, और वह इस तरह कि हम हर मुमिन इंसान को उसके मकाम व मर्तबा पर रखें, और उसकी इज़ज़त व जज़्बात (मनोविकार) का पास व लिहाज़ रखें और उसे वही मकाम प्रदान करें जो उसके लिए लाएक (उपयुक्त) है, उम्मुल मुमिनीन आइशा रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ». [أبو داود / الأدب ٣٣] (ضعيف) [٤٨٤٢]

«हर शख्स को उसके मर्तबे पर रखो!» (अबू दाऊद: अल-अदब २३, हदीस नम्बर: ४८४२) (ज़ईफ़)

और एक रिवायत में है कि उम्मुल मुमिनीन आइशा रजियल्लाहु अन्हा सफ़र कर

रही थीं, एक जगह उतरीं कि आराम करें, और खाना खायें, वहाँ एक फ़क़ीर सवाली आया तो आपने फ़रमाया: एक किर्श (पैसा) दे दो, दूसरा शब्बस घोड़े पर सवार होकर सामने से गुज़रा, आपने फ़रमाया: उसे खाने पर बुलाओ, आपसे पूछा गया कि आपने इस मिस्कीन को एक किर्श देकर चलता किया, और इस मालदार आदमी को खाने पर बुलाया? आपने जवाब दिया कि अल्लाह ने लोगों को उनकी हैसियत के मुताबिक़ (ओहंदे के अनुसार) जगह दी है, हमारा भी फ़र्ज़ (कर्तव्य) है कि लोगों के साथ उनकी हैसियत के मुताबिक़ ही बर्ताव करें, यह मिस्कीन एक किर्श पर खुश हो सकता है, लेकिन हमारे लिए नामुनासिब (अनुचित) है कि इस मालदार को जो इस शान से आया हो हम एक किर्श दें। -अल्लाह उम्मुल मुमिनीन आइशा रजियल्लाहु अन्हा पर रहम फ़रमाये- कितना अच्छा जवाब दिया, जो हिक्मत व दानाई (अ़क्लमंदी), अच्छे जौक़ और उम्दा अख्लाक़ (उचित व्यवहार), बाइज़्ज़त मामला, और अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात के मुकम्मल इत्तिबा का आईनादार (निर्देशना की पूर्ण फ़रमा बर्दारी) है।

और रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ अपने एक घर में दाखिल हुए, आपके सहाबा रिज़वानुल्लाहि अ़लैहिम भी उस घर में जमा हो गए, यहाँ तक कि बैठक भर गई, बाद में जरीर बिन अ़ब्दुल्लाह अल्लबजली ﷺ तशरीफ़ लाए, जगह न पा कर दर्वाज़े ही पर बैठ गए, रसूलुल्लाह ﷺ ने चादर लपेट कर उन्हें पेश की, और फ़रमाया: इस पर बैठ जाओ, जरीर ﷺ ने चादर लेकर अपने चेहरे से लगाई, उसे बोसा देने और रोने लगे, और अपने लिए रसूलुल्लाह की तक्रीम (आदर) से बहुत मुतअस्सिर (प्रभावित) हुए, उन्होंने शुकरिया से भरे हुए जज़्बात (मनोविकार) के साथ चादर लपेट कर रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में पेश करते हुए कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! जैसी आपने मुझे इज़्ज़त दी अल्लाह आपको इससे भी ज्यादा इज़्ज़त बख्तों, आपकी मुबारक चादर पर मैं नहीं बैठ सकता, रसूलुल्लाह ﷺ ने दायें बायें देख कर फ़रमाया:

إِذَا أَتَّاكُمْ كَرِيمٌ قَوْمٌ فَأَكْرِمُوهُ۔ [ابن ماجہ / الأدب ۱۹ (۳۷۱۲) (حسن)]

«जब तुम्हारे पास किसी कौम का कोई इज़्जतदार आदमी (सम्मानित व्यक्ति) आए, तो तुम उसका इहतिराम (सम्मान) करो ॥» (इन्द्र माजा: अल्लादब १६, हडीस नम्बर: २३१२) (हसन)

इस बेहतरीन मामला पर गौर कीजिए तो रसूलुल्लाह ﷺ के मामले का एक कामिल नमूना (परिपूर्ण आदर्श) इसी में मिलेगा कि किस तरह आपने जरीर ﷺ के मर्तबे का ख्याल फ़रमाया, और उनकी इज़्जत बढ़ाई, जरीर ﷺ ने आपके अच्छे सुलूक से किस क़दर प्रभावित हुए।

औरतों के हुकूक (अधिकार)

इस्लाम की खूबियों में यह है कि उसने शौहरों पर बीवीयों के वैसे ही हुकूक मुकर्रर किए जैसे मर्दों में भलाई करने में, अच्छी गुज़र बसर में, तकलीफ न पहुँचाना। अल्बत्ता ‘बीवीयों पर शौहरों को मज़ीद मर्तबा (अधिक मान) बख्शा’ यह मर्तबा अख्लाक और रुत्बे की फ़ज़ीलत, फ़रमाबद्दरी, नान नफ़क़ा की अदाएगी, महर की अदाएगी, उनकी भलाई का हक अदा करना, दुनिया व आखिरत में मर्दों की फ़ज़ीलत वगैरा शामिल हैं।

जाहिलियत के दस्म व रिवाज की मुमानअत (मनाही)

इस्लाम की खूबियों में यह भी है कि उसने औरत को अ़हदे जाहिलियत (अज्ञ युग) के ज़ालिमाना रिवाज (अत्याचारपूर्ण प्रथा) से नजात दिलाई, चुनाँचि औरत अ़हदे जाहिलियत में अपने बाप या शौहर की जायदाद समझी जाती थी, और बेटा बाप के मरने के बाद अपनी बेवा (विधवा) माँ का वारिस होता था। और इस्लाम से पहले अ़रब औरतों को ज़बरदस्ती विरासत में ले लेते थे। वारिस आकर बाप की बीवी के चेहरे पर चादर डाल कर कहता था कि जैसे मैं अपने बाप के माल का वारिस हूँ इसी तरह उसकी बीवी का भी वारिस हो गया, और जब वह चाहता तो महर के बगैर उस औरत से शादी कर लेता, या अपने किसी आदमी से उसकी शादी करा देता, और उसका महर खुद वसूल कर लेता, या

शादी करना उसके लिए हराम कर देता ताकि उसका वारिस बन जाए। इस्लामी शरीअत ने ऐसी शादी और इस विरासत को रद (खंडन) कर दिया। अल्लाह तअ़ाला का फरमान है:

يَنَأِيهَا الَّذِينَ ءاَمَنُوا لَا يَحْلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْبُوَ النِّسَاءَ كَرَّهًا ﴿١٩﴾ [النساء: ١٩]

“ऐ ईमान वालो! तुम्हारे लिए हलाल नहीं कि ज़बरदस्ती औरतों को विरासत में ले बैठो।” (अन्निसा: ١٦)

और जाहिलयत के ज़माना में अ़रब के लोग औरतों को शादी करने से रोकते थे, वारिस का बेटा बाप की बीवी को शादी करने से इस लिए रोकता था कि औरत उसके बाप की जो मीरास बीवी की हैसियत से पाए वह उसके बेटे को दे दे, इसी तरह बाप अपनी बेटी को केवल इसी नियत से शादी से रोकता था कि लड़की अपनी तमाम मिलकियत बाप को दे दे, और आदमी अपनी बीवी को तलाक़ देकर शादी करने से रोकता था कि उसकी जायदाद में से जो चाहे हासिल कर ले, और नाराज़ शौहर अपनी बीवी के साथ गुज़र बसर में बद सुलूकी करता, और उसे तंग करता, और तलाक़ नहीं देता था, ताकि औरत अपना महर उसको वापस कर दे। खुलासा (सारांश) यह है कि अ़रब इस्लाम से पहले औरतों पर जुल्म व सितम ढाते और हुकूमत करते थे। अल्लाह तअ़ाला का इशाद है:

وَلَا تَعْصُلُوهُنَّ إِذْ هُبُوا بِعَصْنِ مَا أَتَيْتُمُوهُنَّ ﴿١٩﴾ [النساء: ١٩]

“और उन्हें इस लिए न रोक रखो कि जो तुमने उन्हें दे रखा है उस में से कुछ ले लो।” (अन्निसा: ١٦)

और वह लोग नान व नफ़क़ा, लिबास और गुज़र बसर में औरतों के दरमियान इंसाफ़ नहीं करते थे, इस्लाम ने मर्दों को औरतों के दरमियान इंसाफ़ करने का हुक्म दिया। अल्लाह तअ़ाला का फरमान है:

وَعَالِشُرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿١٩﴾ [النساء: ١٩]

“उनके साथ अच्छी तरीके से गुज़र बसर करो।” (अन्निसा: ٩٦)

और फ़रमाया:

فَإِنْ خَفْتُمُ أَلَا تَعْدِلُونَا فَوَحْدَةً ﴿٢﴾ [النساء: ٢]

“अगर तुम्हें बराबरी न कर सकने का डर हो तो एक ही काफ़ी है।” (अन्निसा: ٣)

और फ़रमाया:

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجَ مَكَارَكَ رَوْجَ وَأَنِيدْتُمْ إِحْدَانَهُنَّ قَنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهَتَنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾ [النساء: ٢٠]

“और अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी करना ही चाहो और उनमें से किसी को तुमने ख़ज़ाना का ख़ज़ाना दे रखा हो, तो भी उसमें से कुछ न लो, क्या तुम उसे नाहक और खुला गुनाह होते होते ले लोगे।” (अन्निसा: ٢٠)

और दीनी हैसियत से मर्द औरत दोनों बराबर हैं। अल्लाह तआला का फ़रमान है:

مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْكِمَنَّ لَهُ حَيَّةً طِبِّهُ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِإِحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ [النحل: ١٧]

“जो शख्स नेक अमल करे मर्द हो या औरत, लेकिन ईमानदार हो तो हम उसे यकीनन (निश्चय) बेहतर जिंदगी प्रदान करेंगे, और उनके नेक आमाल का बेहतर बदला भी उन्हें ज़खर ज़खर देंगे।” (अन्नहूल: ٦٧)

और मालिक तथा अधिकारी होने की हैसियत से फ़रमाया:

الرِّجَالُ نَصِيبُهُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَاللِّسَاءُ نَصِيبُهُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ﴿٧﴾ [النساء: ٧]

“माँ बाप और रिश्तेदार के तरिका (छोड़े हुए माल) में मर्दों का हिस्सा भी है, और औरतों का भी जो माल माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ कर मरें।” (अन्निसा: ٧)

❷ और इस्लाम की खूबियों के लिए यह काफ़ी है जो उसने औरत को दीन और मिलाकियत और कमाई में मुसावात (बराबरी) प्रदान की। और उसे शादी

के बारे में जो ज़मानतें प्रदान कीं कि शादी औरत की इजाज़त और रिज़ामंदी से हो, ज़बरदस्ती तथा लापरवाही न की जाए। रसूलुल्लाह ﷺ का फरमान है:

«لَا تُنْكِحُ الْيَتِيمَ حَتَّى تُسْتَأْمِرُ، وَلَا الْبُكْرَ إِلَّا بِإِذْنِهَا» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ». [بخاري / النكاح ٤١، مسلم / النكاح ٩] (١٤١٩)

«सैइब (तलाकप्राप्ता या विधवा) औरत की शादी न की जाए जब तक उससे पूछ न लिया जाए, और न ही कुमारी औरत की शादी बगैर उसकी इजाज़त के की जाए।» लोगों ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! उसकी इजाज़त क्या है? आप ﷺ ने फरमाया: «(उसकी इजाज़त यह है कि) वह ख़ामूश रहे।» (बुखारी: अन्निकाह ४९, हदीस नम्बर: ५९३६, मुस्लिम: अन्निकाह ६, हदीस नम्बर: १४७६)

और औरत के बारे में अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया:

﴿فَمَا أَسْتَمْعُمُ بِهِ مِنْهُنَّ فَإِنَّهُنَّ أَجْوَهُرُ بَرِّ فِيضَةٌ﴾ [النساء: ٢٤]

“जिनसे तुम फ़ायदा उठाओ, उन्हें उनका मुकर्रर किया हुआ महर दे दो।”
(अन्निसा: २४)

❶ और इस्लाम की ख़ूबियों में से यह भी है कि अरब के लोग इस्लाम से पहले लड़कियों को शर्म व आर के डर से ज़िंदा दर गोर कर देते थे, ज़िंदा जीते जी दफ़न कर देते थे, यहाँ तक कि वह मर जाती, इस्लाम ने उनके दफ़न व क़त्ल को क़र्टई (निश्चित रूप से) हराम करार दिया, और उन्हें ज़िंदगी में बहुत से हुकूक (अधिकार) प्रदान किए। इस तरह इस्लाम ने औरत के साथ भरपूर इंसाफ किया और उसकी ज़िंदगी और इंसानी हुकूक (मानवाधिकार) की हिफ़ाज़त फरमाई।

ऐ अल्लाह! हमको ग़म व दुःख और आजिज़ी (अक्षमता) व सुस्ती, और बुज़दिली (भीरता), और कंजूसी, और क़र्ज़ के बोझ, और लोगों के दबाव, और दुश्मनों के हँसने से अपनी पनाह में रख। और ऐ दया करने वालों में सबसे ज़्यादा दया करने वाला! हमें और हमारे माँ बाप और तमाम मुसलमानों को अपनी ख़ास दया व रहमत से बरखा दे।

मुहम्मद, उनके आल व औलाद (परिवार परिजन) और उनके सहावियों पर दुरुद व सलाम नाज़िल हो।

❖ दौरे जाहिलियत के अ़कीदे से इज्तिनाब (अज्ञाता काल के धर्म-विश्वास से दूर रहना)

इस्लाम की ख़ूबियों में से कहानत (भविष्यवाणी) को बातिल तथा हराम क़रार देना, और चिड़यों के मना करने (चिड़यों से बद फ़ाली लेना) और मैसिर (जूए की एक किस्म) को हराम क़रार देना है। और उन्हीं जाहिलाना बातों में से पाँसा फेंकना, बहीरा, साइबा, वसीला और हाम। (यह उन जानवरों की किस्में हैं जिन्हें अहले अरब बुतों के नाम आज़ाद छोड़ देते थे।)

और उन्हीं जाहिलाना मामलों में से जिन्हें इस्लाम ने हराम क़रार दिया मेंगनी का फेंकना भी है। दौरे जाहिलियत (अज्ञाता काल) में यह दस्तूर था कि औरत का शौहर जब मर जाता तो किसी कोठरी में चली जाती, और साल भर गंदे कपड़े पहनती, खुशबू को हाथ न लगाती, फिर उसके पास एक जानवर लाया जाता जैसे गधा, या चिड़या या बक्री जिसे टुकड़े करती, जब भी वह टुकड़े करती, वह जानवर मर जाता, इसके बाद औरत को मेंगनी दी जाती जिसे वह फेंकती थी फिर वह जो चाहती करती।

और उन्हीं जाहिली चीज़ों में से औलाद को ग़रीबी के डर से मार डालना भी है, आदमी अपने लड़के को इस डर से मार डालता था कि वह उसके साथ खाएगा। अल्लाह तआला ने इसको मना करमाया:

﴿وَلَا نَنْهَاكُمْ أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً إِمْلَقِيٍّ تَحْنُنْ تَرْزُفُهُمْ وَإِلَيْكُمْ إِنَّ قَنَاهُمْ كَانَ خِطْبًا كَيْرًا﴾

[٢١: إسراء]

“और ग़रीबी के डर से अपनी औलादों को न मार डालो, उनको और तुमको हम ही रोज़ी देते हैं, बेशक उनका क़त्ल करना बड़ा गुनाह है।” (अलइसरा: ٢١)

और इस्लाम की ख़ूबियों में से यह भी है कि उसने बुत परस्तों (मूर्ती पूजकों), मुशरिकों और काफ़िरों को ईमानदार, नेक, परहेज़गार, ज़ाहिद (तापस) और

अल्लाह भीरु बना दिया, जो अल्लाह से डरते हैं, सिफ़ उसी की बंदगी करते हैं, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करते, और हक़ पर डटे रहते हैं, अल्लाह के बारे में उन्हें किसी की मलामत का डर नहीं। इरशाद है:

وَيُنْزِلُونَكَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ لِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴿٩﴾ [الحشر: ٩]

“वह अपने ऊपर उन्हें तरजीह (प्रधानता) देते हैं, गो खुद उन्हें कितनी ही सख्त ज़खरत हो।” (अल्हशर: ६)







बेवफाई और ग़द्दारी की हुर्मत (मनाही)

इस्लाम की खूबियों में से बेवफाई को हराम कर देना भी है। अल्लाह तआला का इरशाद है:

﴿إِنَّمَا الظَّالِمُونَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾ [المائدة: ١]

“ऐ ईमान वालो! अहूद व पैमान (वादा व प्रतिज्ञा) पूरे करो।” (अल्माइदा: १)

﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْعُولاً﴾ [الإسراء: ٢٤]

“और वादे पूरे करो, क्योंकि वादे के बारे में पूछा जाएगा।” (अल्इस्रा: ३४)

और रसूलुल्लाह ﷺ का इरशाद है:

«كُلُّ غَادِرٍ لِوَاءً، يُنْصَبُ بِغَدْرِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [بخاري / الجزية ٢٢ (٣١٨٨)]

«हर दग्गाबाज़ के लिए कियामत के दिन एक झंडा होगा जो उसकी दग्गाबाज़ी की अलामत (चिन्ह) के तौर पर (उसके पीछे) गाड़ दिया जाएगा।» (बुखारी: अलजिज़्या २२, हदीस नम्बर: ३९८)

और फ़रमाया:

«أَرْبَعُ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا، إِذَا أَوْتُمَنَّ خَانَ، وَإِذَا حَدَثَ كَذَبٌ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرٌ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرٌ». [بخاري / المظالم ١٧ (٢٤٥٩)]

«चार आदतें (अभ्यास) जिस किसी में हूँ तो वह ख़ालिस (खाँटी) मुनाफ़िक है, और जिस किसी में इन चारों में से एक आदत हो तो वह (भी) निफ़ाक (कपटता) ही है, जब तक उसे न छोड़ दे, (वह यह हैं:) जब उसके पास अमानत

रखी जाए तो (अमानत में) ख़ियानत करे, और बात करते समय झूट बोले, और जब (किसी से) वादा करे तो उसे पूरा न करे, और जब लड़ाई झगड़ा करे तो गाली गुलूच बके ॥» (बुखारी: अल्मज़ालिम १७, हदीस नम्बर: २४५६)

और फ़रमाया:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : «ثَلَاثَةُ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرَّاً فَأَكَلَ شَنَّهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ». [بخاري / الإجارة ١٠ (٢٢٧٠)]

«अल्लाह तअला का फ़रमान है कि तीन तरह के लोग ऐसे हैं कि जिनका कियामत में मैं खुद मुदर्दृ (वादी) बनूँगा। एक तो वह व्यक्ति जिसने मेरे नाम पे अहृद किया फिर वादा खिलाफी की। दूसरा वह जिसने किसी आज़ाद आदमी को बेच कर उसकी कीमत खाई। और तीसरा वह व्यक्ति जिसने किसी को मज़दूर किया, फिर काम तो उससे पूरा लिया, लेकिन उसकी मज़दूरी न दी ॥» (बुखारी: अलइजारा १०, हदीस नम्बर: २२७०)

रोज़ी कमाने का हुक्म

इस्लाम की खूबियों में से काम करने और रोज़ी कमाने की तरगीब (उत्साह) देना, और सुस्ती तथा बगैर ज़खरत के लोगों से माँगने को रोकना है। इस्लाम कोशिश, अमल और जिद्द व जहृद (पराक्रम) का दीन है, सुस्ती, काहिली और आजिज़ी (निर्बलता) का दीन नहीं। इस्लाम वह दीन है जो इंसानी इज़्ज़त व सम्मान और शख्सी बुज़र्गी का मुहाफ़िज़ (रक्षक) है। अल्लाह तअला का फ़रमान है:

﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرِيَ اللَّهُ عَمَلُكُو وَرَسُولُهُ﴾ [التوبه: ١٥]

“कह दीजिए कि तुम अमल किए जाओ, तुम्हारे अमल अल्लाह और उसके रसूल खुद देख लेंगे।” (अत्तौबा: १०५)

﴿وَأَنَّ لَيْسَ لِإِنْسَنٍ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ ٣٩ ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ﴾ [النجم: ٤٠-٣٩]

“हर इंसान के लिए सिर्फ़ वही है जिसकी कोशिश खुद उसने की है, और बेशक उसकी कोशिश अन्करीब (शीघ्र) देखी जाएगी।” (अन्नज़म: ३६-४०)

और इस्लाम दीन व दुनिया दोनों के लिए कोशिश करने की तरगीब देता है। अल्लाह तआला का इरशाद है:

﴿وَبَتَّغَ فِيمَا آتَيْنَاكَ اللَّهُ أَلَّا يَرَأَهُ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ [القصص: ٧٧]

“और जो कुछ अल्लाह तआला ने तुझे दे रखा है उस में से आखिरत के घर की तलाश भी रखो, और अपने दुनियावी हिस्से को भी न भूलो।” (अल्कसस: ٧٧)

और फ्रमाया:

﴿فَإِذَا قُصِيَتِ الْأَصْلَوَةُ فَأَنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْنُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ١٠]

“जब नमाज़ हो चुके तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज्ल (अनुकम्पा) तलाश करो।” (अलजुमुआ: ٩٠)

❖ मोतदिल (परिमित) खाने पीने का हुक्म

इस्लाम की खूबियों में से मोतदिल व मियाना रौ (परिमित तथा मध्यम) खाना पीना अखिलयार करने की हिदायत भी है। अल्लाह तआला का इरशाद है:

﴿وَكُلُوا وَاشْرُو وَلَا سُرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الاعراف: ٢١]

“खूब खाओ और पीओ और हद से मत निकलो (सीमा लंघन न करो), बेशक अल्लाह हद से निकल जाने वालों को पसंद नहीं करता।” (अलआराफ़: ٣٩)

और एक हदीस में यूँ है:

عَنْ مُقْدَامَ بْنِ مَعْدِيْ كَرْبَلَى، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «مَا مَلَّا أَدْمَيْ وَعَاءَ شَرَّا مِنْ بَطْنِنَ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكْلَاتُ يُقْمِنْ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلْثُ لَطَعَامِهِ، وَثُلْثُ لِشَرَابِهِ، وَثُلْثُ لِنَفْسِهِ». [ترمذى / الزهد ٤٧ (٢٢٨٠). ابن ماجه / الأطعمة ٥٠ (٢٣٤٩) (صحىج)]

मिक्रदाम बिन मादीकरिब कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को यह फ्रमाते हुए सुना: «किसी आदमी ने कोई बर्तन अपने पेट से ज्यादा बुरा नहीं भरा, आदमी के लिए चंद लुक्मे ही काफ़ी हैं जो उसकी पीठ को सीधी रखें, और अगर ज्यादा ही खाना ज़खरी हो तो पेट का एक तिहाई हिस्सा अपने खाने के लिए, एक तिहाई पानी पीने के लिए, और एक तिहाई साँस लेने के लिए बाकी

रखे ॥» (तिरमिज़ी: अज्जुहूद ४७, हदीस नम्बर: २३८०, इन्नु माज़ा: अल्अत्हमा ५०, हदीस नम्बर: ३२४६) (सहीह)

❖ और इस्लाम की खूबियों में से हुकूक की अदायेगी में टाल मटोल करने की मनाही भी है। रसूलुल्लाह ﷺ का इशारा है:

«مَطْلُ الْغَنِيٌّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أَتَبْعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلَيَتَبْعَ». [مسلم / البيوع ٧] (١٥٦٤)

«मालदार का टाल मटोल करना जुल्म है और जब किसी का कर्ज़ मालदार पर उतार दिया जाए तो वह उसी का पीछा करे ॥» (मुस्लिम: अलबुयूअू ७, हदीस नम्बर: १५६४)

❖ तंग दस्त (निर्धन) को मुहूलत (अवकाश) देने का हुक्म इस्लाम की खूबियों में से तंग दस्त को मुहूलत (अवसर) देने का हुक्म भी है। अल्लाह तआला का फ्रमान है:

﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَظَرْهُ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠]

“और अगर कोई तंगी वाला हो तो उसे आसानी तक मुहूलत देनी चाहिए ।”
(अलबकरा: २८०)

अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत है कि नबी अक्रम ﷺ ने फरमाया:

«كَانَ تَاجِرُ يُدَاهِينُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفَتْيَانِهِ: تَجَاوِزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوزَ عَنَّا؛ فَتَجَاوِزَ اللَّهُ عَنْهُ». [بخاري / البيوع ٨] (٢٠٧٨)

«एक ताजिर (व्यापारी) लोगों को उधार दिया करता था, जब किसी तंग दस्त को देखता तो अपने नौकरों से कह देता कि उसे माफ़ कर दो, शायद कि अल्लाह तआला हमें (आखिरत में) माफ़ कर दे, चुनांचि अल्लाह तआला ने (उसके मरने के बाद) उसको माफ़ कर दिया ॥» (बुखारी: अलबुयूअू १८, हदीस नम्बर: २०७८)

और नबी अक्रम ﷺ ने फरमाया:

«مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ، وَمَنْ أَنْظَرَهُ بَعْدَ حِلٍّ كَانَ لَهُ مِثْلُهُ، فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ». [ابن ماجہ / الصدقات ١٤] (صحيح) (٢٤١٨)

«जो किसी तंग दस्त को मुहूलत देगा तो उसको हर दिन के हिसाब से एक सदका का सवाब मिलेगा, और जो किसी तंग दस्त को वक्त गुज़र जाने के बाद मुहूलत देगा तो उसको हर दिन के हिसाब से उसके कर्ज़ा के सदका का सवाब मिलेगा ॥» (इन्जु माज़ा: अस्सदक़ात १४, हदीस नम्बर: २४९८) (सहीह)

❖ रिश्वत की हर्मत (धूस की मनाही) और नादिम (लज्जित) को माफ़ करने की तर्गीब (उत्साह प्रदान)

इस्लाम की खूबियों में रिश्वत से मना करना है। अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि:

«لَعْنَ رَسُولِ اللَّهِ الرَّاشِيِّ وَالْمُرْتَشِيِّ فِي الْحُكْمِ». [ترمذی / الأحكام ۹ (١٣٣٦) (صحیح)]
«رسُولُ اللَّهِ ﷺ نے فैसले में रिश्वत देने वाले, और रिश्वत लेने वाले दोनों पर लानत (शाप) भेजी है ॥» (तिरमिज़ी: अल-अह़काम ६, हदीस नम्बर: १३३६) (सहीह)

और राएश उस शख्स को कहते हैं जो दोनों के दरमियान वास्ता (माध्यम) बनता हो यानी दलाल।

❖ और इस्लाम की खूबियों में नादिम (लज्जित व्यक्ति) को माफ़ करने की तर्गीब देना भी है, क्योंकि इसमें इहसान (भलाई) और नेकी और उसकी दिलजूई (सांत्वना) है। हदीस में आया है:

«مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَةً». [أبو داود / البيوع ٥٤، ابن ماجه / التجرات ٢٦] (صحیح)
[]. مسنَدُ أَحْمَدَ (٢٥٢/٢) (٢١٩٩)

«जो कोई मुसलमान भाई से बेचने का मामला फ़स्ख (रहित) कर ले, तो अल्लाह तआला कियामत के दिन उसके गुनाह माफ़ कर देगा ॥» (अबू दाऊद: अल-बुयूथ ५४, हदीस नम्बर: ३४६०, इन्जु माज़ा: अल्तिजारात २६, हदीस नम्बर: २९६६, मुस्नद अहमद: २/२५२) (सहीह)

अल्लाह तआला मुहम्मद पर दुरुद व सलाम नाज़िल करे।

❖ दीन में ख़ैर ख़ाही (सदुपदेश) का हुकम

इस्लाम की ख़ूबियों में से अल्लाह और उसकी किताब, और उसके रसूल, और मुसलमानों के शासकों, और आम मुसलमानों के साथ ख़ैर ख़ाही करना है।

अल्लाह के लिए ख़ैर ख़ाही का मतलब यह है कि उस पर ईमान लाया जाए, और उससे शरीक व साझी को दूर किया जाए, और उसके नामों और सिफ़तों की ग़लत तावील (अपव्यव्या) न की जाए, और उसे औसाफ़े कमाल के साथ मौसूफ़ (पूर्ण गुणों के साथ गुणान्वित) किया जाए, और दोषों तथा ऐबों से उसको पाक समझा जाए, उसके हुक्म की इताअ़त (आज्ञा पालन) की जाए, और उसकी मना की हुई चीज़ों से बचा जाए, और उसकी इताअ़त करने वालों से दोस्ती की जाए, और उसकी नाफ़रूमानी करने वालों से दुश्मनी की जाए, और इनके अलावा दूसरे वाजिबात (कर्तव्य) अदा किये जाएं।

और अल्लाह की किताब के साथ ख़ैर ख़ाही का मतलब यह है कि उस पर यह ईमान लाया जाए कि यह अल्लाह का कलाम है, उतारा गया, मख़्लूक़ नहीं है, और जिस चीज़ को अल्लाह ने हलाल किया उसको हलाल मानना, और उसकी हराम की हुई चीज़ को हराम मानना, और उसकी हिदायत पर चलना, उसके मअ़ानी (अर्थों) पर गौर करना, उसके हुकूक अदा करना, उसकी नसीहतों से नसीहत हासिल करना और उसकी धम्कियों से इब्रत (शिक्षा) हासिल करना।

और रसूलुल्लाह ﷺ के लिए ख़ैर ख़ाही का मतलब आपकी लाई हुई शरीअ़त की तस्दीक करना, आपसे मुहब्बत करना, और जान व माल तथा औलाद पर तर्जीह (प्रधानता) देना, और ज़िंदगी तथा मौत दोनों हालतों में आपकी इज़्ज़त करना, और आपकी सुन्नत को सीखना, और उसको फैलाना, और उस पर अ़मल करना, और हर शख्स की बात पर (चाहे वह कोई भी हो) आपकी बात को मुक़द्दम रखना (अग्राधिकार देना)।

और मुसलमानों के शासकों के साथ ख़ैर ख़ाही करने का मतलब यह है कि हक़

पर उनकी मदद की जाए, और उसी में उनकी इताअत की जाए, और उसका उनको हुक्म दिया जाए, और लोगों की ज़खरतों को पूरी करने के लिए उन्हें याद दिलाई जाए, और मेहरबानी व नरमी तथा न्याय की ताकीद की जाए, और उनकी विलायत को तस्लीम (शासन को स्वीकार) किया जाए, और अल्लाह की नाफ़रूमानी के अलावा बातों में उनके हुक्मों को सुना और माना जाए, और लोगों को उसकी तरगीब दी जाए, और जहाँ तक हो सके उनकी रहनुमाई की जाए, और उन चीज़ों की तरफ उन्हें ध्यान दिलाया जाए जो उनके लिए फ़ायदामंद हों, और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचा सकें और उनके हुकूक को अदा किया जाए।

और आम मुसलमानों के साथ ख़ैर ख़ाही का मतलब यह है कि दीनी और दुनियावी मसालेह (कल्याणों) की तरफ उनकी रहनुमाई की जाए, उनसे तकलीफ़ को दूर किया जाए, और अपने जिन दीनी बातों को वह नहीं जानते उनकी तालीम (शिक्षा) दी जाए, उन्हें अच्छी बात का हुक्म दिया जाए और बुरी बातों से रोका जाए, और उनके लिए वही बात पसंद की जाए जो अपने लिए पसंद हो, और उनके लिए वही बात नापसंद की जाए जो अपने लिए नापसंद हो, और जहाँ तक हो सके इसके लिए कोशिश की जाए।

◆ सिला ऐहमी (नाता बंधन जोड़ने) का हुक्म

इस्लाम की ख़ूबियों में से यह भी है कि उसने रिश्ता तोड़ने से रोका। अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿فَهُلْ عَسِيْمَ إِن تَوَكَّلُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقْطِعُوا أَحْمَاكَمُّ﴾ [محمد: ٢٢]

“और तुमसे यह भी बईद (दूर) हैं कि अगर तुमको हुकूमत मिल जाए तो तुम ज़मीन में फ़साद बरूपा कर दो, और रिश्ते नाते तोड़ डालो।” (मुहम्मद: २२)

और रसूलुल्लाह ﷺ का फ़रमान है:

«الرَّحْمُ مُعْلَقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَقُولُ: مَنْ وَصَلَّى وَصَلَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ». [مسلم / البر والصلة ٦ (٢٠٥٥)]

«नाता अर्श से लटका हुआ है, और वह कहता है: जो मुझको मिला दे अल्लाह

उसको अपने से मिला देगा, और जो मुझे काटेगा (विच्छिन्न करेगा) अल्लाह उसे अपने से काट (छिन्न कर) देगा ॥» (मुस्लिम: अल्बिर्व वसिसला ६, हडीस नम्बर: २५५५) और तबरानी में अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَنْزَلُ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعٌ رَحِيمٌ. [مجمع الزوائد ١٥٣/٨ (ضعيف الجامع للألباني: ١٧٩١) (موضوع)]

«फरिश्ते उन लोगों पर नाज़िल नहीं होते जिनमें कोई रिश्तादारी का काटने वाला हो ॥» (मज़्मउज़ ज़वाइद: ८/१५३, झ़ईफ़ुल जामेआ लिलअलबानी: १७६९) (मौजूद्र)

۞ रहबानियत की मुमानअत (सब्यास तथा संसार त्याग की मनाही)

इस्लाम धर्म की खूबियों में से यह भी है कि दीन में सख्ती करने और पाकीज़ा चीज़ों को छोड़ने से उसने मना किया है, क्योंकि इस्लाम आसानी, नरमी और समता (बराबरी) का दीन है। जैसाकि अनस ﷺ की रिवायत से बड़ी वज़ाहत (स्पष्ट) होती है:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ: جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهَطٌ إِلَيْ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا أَخْبَرُوا كَانُوهُمْ تَقَالُوهَا: فَقَالُوا: وَآيَنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، قَدْ غُرِزَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دُنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا آنَا: فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَرْوَجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمْ: فَقَالُوا: «أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لَاخْشَاكُمْ لِهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ، لَكُنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأُرْقُدُ، وَأَتَرْوَجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغَبَ عَنْ سُنْتِي فَلَيْسَ مِنِّي». [بخاري / النكاح ١ (٥٠٦٣)]

अनस बिन मालिक ﷺ बयान फ़रमाते हैं: तीन लोग (अली बिन अबी तालिब, अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस और उस्मान बिन मज़्जून ﷺ) रसूलुल्लाह ﷺ की पाक बीवीयों के घरों की तरफ़ आपकी इबादत के मुतअल्लिक पूछने आए, जब उन्हें रसूलुल्लाह ﷺ का अमल बताया गया तो जैसे उन्होंने कम समझा, और कहा कि हमारा रसूलुल्लाह ﷺ से क्या मुकाबला! आपकी तो तमाम अगली पिछली

लगूज़िशें (भूल-चूक) माफ़ कर दी गई हैं। उनमें से एक ने कहा कि आज से मैं हमेशा रात भर नमाज़ पढ़ा करूँगा। दूसरे ने कहा कि मैं हमेशा रोज़े से रहूँगा और कभी नाग़ा नहीं होने दूँगा। तीसरे ने कहा कि मैं औरतों से जुदाई अखिल्यार कर लूँगा और कभी शादी नहीं करूँगा। फिर रसूलुल्लाह तशरीफ लाए और उनसे पूछा: «क्या तुमने ही यह यह बातें कही हैं? सुन लो! अल्लाह की क़सम! अल्लाह तआला से मैं तुम सब से ज्यादा डरने वाला हूँ, मैं तुम सब से ज्यादा परहेज़गार हूँ, लेकिन मैं अगर रोज़े रखता हूँ तो इफ्तार भी करता रहता हूँ, नमाज़ भी पढ़ता हूँ (रात में) और सोता भी हूँ, और मैं औरतों से शादी भी करता हूँ। मेरे तरीके से जिसने बेरग्बती की वह मुझसे नहीं है!» (बुखारी: अन्निकाह १, हदीस नम्बर: ५०६३)

ऐ अल्लाह! दुनिया को हमारा सबसे बड़ा मक्सद न बना, और न हमारे इल्म की इंतिहा, और न जहन्नम को हमारा ठिकाना बना, और हमारे गुनाहों के सबव हम पर उस शख्स को मुसल्लत (क्षमता प्रदान) न करना जो हमारे बारे में तुझसे डरता न हो, और न हम पर रहम करता हो, और ऐ दया तथा कृपा करने वालों में सबसे अधिक कृपालू! अपनी खास रहमत से हमको और हमारे वालिदैन (माता पिता) और तमाम मुसलमानों को बख्श दे।

मुहम्मद, उनके आल-औलाद तथा उनके तमाम सहावियों पर दुर्खद नाजिल हो।

﴿ भलाई के काम और आखिरत की याद की तर्फ़ीब

इस्लाम धर्म की खूबियों में से भलाई की तरफ़ दावत देना, और भली बात का हुक्म करना और बुरी बात से मना करना भी है। अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبَعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبَعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا». [مسلم / العلم ६ (२६७४)]

«जो शख्स दूसरों को नेक अमल की दावत देता है तो उसकी दावत से जितने

लोग उन नेक बातों पर अ़मल करते हैं उन सब के बराबर दावत देने वाले को भी सवाब मिलता है, और अ़मल करने वालों के सवाब में से कोई कमी नहीं की जाती। और जो किसी गुम्राही की तरफ बुलाता है तो जितने लोग उसके बुलाने से उस पर अ़मल करते हैं उन सब के बराबर उसको गुनाह होता है, और उनके गुनाहों में (भी) कोई कमी नहीं होती।» (मुस्लिम: अल्इल्म ६, हडीस नम्बर: २६७४)

और इस्लाम की खूबियों में से आदमी को यह तर्गीब देनी भी है कि ज़िंदगी के इन दिनों से फ़ायदा उठा कर वह काम किए जाएं जो आखिरत के लिए फ़ायदामंद हों। अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ने فَرَمَّاَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: «إِذَا مَاتَ إِنْسَانٌ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمْلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْ عَلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ». [مسلم / الوصية ٢] (١٦٣١)

«जब इंसान मर जाता है तो उसका अमल उससे मुनूकते (विच्छिन्न) हो जाता है सिवाय तीन चीजों के: सदक़ा जारिया, नफ़ा बख़्श इल्म और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे।» (मुस्लिम: अल्वसिय्या ३, हडीस नम्बर: १६३१)

और अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَنُوا أَنْفُوْا أَنَّهُ اللَّهُ وَلَنْ تُنْظَرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِعَدْر﴾ [الحشر: ١٨]

‘ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरते रहो, और शख्स देख भाल ले कि कल (कियामत) के लिए उसने (आमाल का) क्या (ज़ख़ीरा) भेजा है।’ (अल्हशः १८)

﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَاتَكَ الْأَفْرَيْنَ﴾ [الشعراء: ٢١٤] **अल्लाह पर पूरा भरोसा की तर्गीब (उत्साह प्रदान)**

इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि उसने तर्गीब दी है कि सिर्फ़ अल्लाह पर भरोसा किया जाए, फिर अपने ईमान और नेक अ़मल पर, अल्लाह के मुकर्रब (क़रीबी) बंदों पर भरोसा न किया जाए। अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि जब आयत:

﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَاتَكَ الْأَفْرَيْنَ﴾ [الشعراء: ٢١٤]

“अपने करीबी रिश्ता वालों को डरायें।” (अशुअरा: २१४)

नाजिल हुई तो आप ﷺ खड़े हुए और फरमाया:

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! أَنْقَدُنَا أَنفُسُكُمْ مِنَ النَّارِ; فَإِنَّي لَا أَمْلُكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ ضَرًا وَلَا نَفْعًا، يَا مَعْشَرَ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! أَنْقَدُنَا أَنفُسُكُمْ مِنَ النَّارِ; فَإِنَّي لَا أَمْلُكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ ضَرًا وَلَا نَفْعًا، يَا مَعْشَرَ بَنِي قُصَيٍّ! أَنْقَدُنَا أَنفُسُكُمْ مِنَ النَّارِ; فَإِنَّي لَا أَمْلُكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ ضَرًا وَلَا نَفْعًا، يَا مَعْشَرَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَلَّبِ! أَنْقَدُنَا أَنفُسُكُمْ مِنَ النَّارِ; فَإِنَّي لَا أَمْلُكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ ضَرًا وَلَا نَفْعًا، يَا فَاطِمَةَ بُنْتَ مُحَمَّدٍ! أَنْقَدْنِي نَفْسِكِ مِنَ النَّارِ; فَإِنَّي لَا أَمْلُكُ لَكِ ضَرًا وَلَا نَفْعًا، إِنَّ لَكِ رَحْمًا سَأَبْلُهَا بِبَلَاهَا». [بخاري / الوصايا 11 (٢٧٥٣)، مسلم / الإيمان 89 (٢٠٤)]

«ऐ कुरैश के लोगो! अपनी जानों को आग से बचा लो, इस लिए कि मैं तुम्हें अल्लाह के मुकाबिल में कोई नुकसान या कोई नफ़ा पहुँचाने की ताक़त नहीं रखता। ऐ बनी अब्दे मनाफ़ के लोगो! अपने आपको जहन्नम से बचा लो, क्योंकि मैं तुम्हें अल्लाह के मुकाबिल में किसी तरह का नुकसान या नफ़ा पहुँचाने का अद्वितयार नहीं रखता। ऐ बनी कुसै के लोगो! अपनी जानों को आग से बचा लो, क्योंकि मैं तुम्हें किसी तरह का हानि या लाभ पहुँचाने का अद्वितयार नहीं रखता। ऐ मुहम्मद की बेटी फ़तिमा! अपनी जान को जहन्नम की आग से बचा ले, क्योंकि मैं तुझे कोई नुकसान या नफ़ा पहुँचाने का अद्वितयार नहीं रखता, तुमसे मेरा ख़ून का रिश्ता है सो मैं इहसास को ताज़ा रखूँगा॥» (बुखारी: अल्वसाया ٩٩, हदीस नम्बर: २७५३, मुस्लिम: अल्र्इमान ८६, हदीस नम्बर: २०४)

❷ और इस्लाम की खूबियों में यह है कि नफ़्स को इस्लाह की पाबंदी का हुक्म दिया जाए कि आदमी अल्लाह के हुक्म को अदा करने का पाबंद हो जाए, और जिस चीज़ से उसने मना किया है उससे रुक जाए और भलाई का हुक्म दे, और बुराई से रोके, और परहेज़गारी की तरगीब देने वाली आयतें बहुत हैं।

❸ और इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि वह इंसान को अपने रब के

साथ हमेशा तअल्लुक़ पर लगा देता है, जब अल्लाह की नेमत मिलती है तब भी, और जब उस पर सख्ती आती है तब भी। रसूलुल्लाह ﷺ का फ़रमान है: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ لَهُ كُلُّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَصَابَتْهُ سَرَاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ». [مسلم / الزهد १३] (१२९९)

«मुमिन का मामला कितना अऱ्जीब (आश्चर्य) है, उसका सारा काम भलाई ही भलाई है, और यह खुसूसियत (वैशिष्ट) मुमिन के अलावा किसी और को हासिल नहीं, अगर उसे खुशी पहुँचती है तो शुक्र अदा करता है, जब भी उसके लिए बेहतर होता है, अगर उसे तक्लीफ़ पहुँचती है तो सब्र करता है, तब भी उसके हक़ में बेहतर होता है।» (मुस्लिम: अज्जुहद १३, हदीस नम्बर: २६६६)

समाज सुधार की तर्फ़ीब (उत्साह प्रदान)

इस्लाम की खूबियों में से यह है कि वह मख़्लूक़ को तरगीब देता है, और वह उन्हें अपने नफ़्स और समाज की सुधार की तरफ़ तवज्जुह (ध्यान) दिलाता है, और उनकी रहनुमाई करता है, और उन्हें बताता है कि वह किस तरह अपनी अक्लों को आज़ाद करें, और उसे ज़लालत की पस्ती (पथ भ्रष्टा) से निकाल कर अल्लाह तअ़ाला की बंदगी पर लगाएं, और उन्हें समझाता है कि किस तरह वह अपने नफ़्सों की सफाई और रुहों को पाँच वक्त की नमाज़ पढ़ कर गिज़ा (आहार) दें, और अल्लाह का हक़ ज़कात दे कर किस तरह अपने मालों को साफ़ कर सकते हैं, और किस तरह एक मुसलमान खानूदान की मज़बूत तामीर करें, जो सोसाइटी का म़ज़ (मज्जा) है, वह इस तरह कि लोग आपस में मिले रहें, और अपनी रिशतादारी का अधिकार जानें, और बहुत आयतें तथा हदीसें इस विषय को बयान कर रही हैं।

عَنْ أَبِي أَيُوبَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، قَالَ: مَا لَهُ، مَا لَهُ؟ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَرَبُّ مَا لَهُ؟ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقْنِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصْلِلُ الرَّحْمَمَ». [بخاري / الزكاة १ (१२९६), مسلم / الإيمان ४ (१३)]

अबू अय्यूबؓ बयान फ़रमाते हैं कि एक व्यक्ति ने रसूलुल्लाह ﷺ से पूछा कि

आप मुझे कोई ऐसा अमल बताइये जो मुझे जन्नत में ले जाए। इस पर लोगों ने कहा कि आखिर यह क्या चाहता है? लेकिन रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: «यह तो बहुत अहम ज़खरत है। (सुनो) अल्लाह की इबादत करो, और उसका कोई शरीक (साझी) न ठहराओ, नमाज़ कायम करो, ज़कात दो, और सिला रेहमी (नाता बंधन रक्षा) करो।» (बुखारी: अज्ज़कात १, हदीस नम्बर: १३६६, मुस्लिम: अलूईमान ४, हदीस नम्बर: ९३)

❸ और इस्लाम की खूबियों में से जानते हुए बातिल के लिए लड़ने को हराम करार दिया, और जो व्यक्ति उसकी मुर्कर्र करदा हुदूद को मुअत्तल (उसकी निर्धारित सीमाओं को लंघन) करता है उसके लिए सिफारिश करना हराम करार दिया, और मुमिन के बारे में ऐसी बात कहना हराम है जो उसके अंदर मौजूद नहीं। खुलासा (सारांश) यह है कि वह मक़सिद (उद्देश्य) जिन्हें पूरा करने का इस्लाम हरीस (प्रयासी) है, वह यह है कि इंसानी सोसाइटी इंसाफ़ और रहम दिली (न्याय तथा करुणा) की मज़बूत बुनियादों पर कायम हो जाए, और इंसान मुहब्बत की रुह और नतीजा खेज़ तआउन (फलजनक हाथ बटाने) को बुलंद करें, और कमज़ोर करने वाले अस्वाब (कारणों) से बचे रहें। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

«مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدُّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، فَقَدْ ضَادَ اللَّهَ، وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَرْزُلْ فِي سَخْطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزَعَ [عَنْهُ]، وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةُ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ». [ابُو داود / الأقضية ١٤ (٣٥٩٧). مسنَدُ أَحْمَدٍ (٢/ ٨٢، ٧٠)]

(صحيح)

«जिसने अल्लाह के हुदूद में से किसी हद को रोकने की सिफारिश की उसने अल्लाह की मुख्यालफत (विरोधिता) की, और जो जानते हुए किसी बातिल चिज़ के लिए झगड़े तो बराबर अल्लाह की नाराज़गी (असंतोष) में रहेगा यहाँ तक कि उस झगड़े से बाज़ आ जाए, और जिसने किसी मुमिन के बारे में कोई ऐसी बात कही जो उसमें नहीं थी तो अल्लाह तआला उसका ठिकाना जहन्नमियों

में बनायेगा यहाँ तक कि अपनी कही हुई बात से तौबा कर ले।» (अबू दाऊदः
अल-अकिज़्या १४, हडीस नम्बरः ३५६७, मुस्तद अहमदः २/७०, ८२) (सहीह)

❖ झूटी गवाही देने की मनाही

इस्लाम धर्म की खूबियों में से झूटी गवाही और झूट बोलने को हराम करना है, क्योंकि इसमें बड़े नुकसानात और मफ़सिद (क्षति और विगाड़) हैं। उन नुकसानात में से यह है कि वह दूसरे की दुनिया के बदले अपनी आखिरत बेच देता है, और यह कि वह उस शख्स के साथ जुल्म पर उसकी मदद करके बद सुलूकी करता है जिसके खिलाफ़ गवाही देता है, और उसके साथ भी बुरा बरूताव करता है जिसके खिलाफ़ गवाही देता है, क्योंकि उसे हक़ से मह्रूम (वंचित) कर देता है, और वह क़ाज़ी (विचारपति) के साथ भी बुरा बरूताव करता है कि उसे हक़ की राह से भटकाता है, और वह उम्मत के साथ भी बद सुलूकी करता है कि उसके हुकूक को डगमगा देता है और उसके खिलाफ़ बैइत्मीनान (अशांति) पैदा करता है।

❖ दौरे जाहिलियत के दोस्तुम की मुमानअत (अज्ञाता काल के प्रथाओं की मनाही)

इस्लाम की खूबियों में से जाहिलियत के रस्म व रिवाज को बातिल और हराम करना भी है, जैसे नसब में ऐब लगाना, और मैयित पर नौहा करना (विलाप करना-रोना पीटना)। जैसाकि सहीह मुस्लिम में अबू हुरैरा ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फरमाया:

اَنْتَنَّ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفُرٌ، الْطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ۔ [مسلم / الإيمان ٣٠]

«लोगों में दो चीज़ें पाई जा रही हैं, और वह दोनों ही चीज़ें उनके लिए कुफ़ की हैसियत रखती हैं: किसी के नसब में ऐब लगाना, और मैयित पर चीख़ चिल्ला कर रोना तथा उसके औसाफ़ (गुण) व्यान करके रोना।» (मुस्लिम: अल-ईमान ३०, हडीस नम्बर: ६७)

और इस्लाम धर्म की खूबियों में से मुसीबत के वक्त गालों पर तमाँचा मारने

और गरेबान फाड़ने को हराम करार देना है। बुखारी व मुस्लिम में अब्दुल्लाह बिन मसउद رض से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ و آله و سلم ने फ़रमाया:

«لَيْسَ مِنَّا مِنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَ الْجُحُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ». [بخاري / الجنائز ٢٨]

[مسلم / الایمان ٤٤] (١٢٩٧)

«जो शख्स (किसी मैयित पर) अपने गाल पीटे, गरेबान फाड़े और दौरे जाहिलियत की सी बातें करे वह हम में से नहीं है।» (बुखारी: अलजनाइज़ ३८, हनीस नम्बर: १२६७, मुस्लिम: अलईमान ४४, हनीस नम्बर: १०३)

◆ कुद्रती तालाब पर क़ब्ज़ा की मुमानअ़त (मनाही)

इस्लाम की ख़ूबियों में से उस पानी पर क़ब्ज़ा जमाने और मुसाफिरों को उसके इस्तिमाल से रोकने को हराम करना है, जो किसी के साथ ख़ास न हो। अबू हुरैरा رض से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ و آله و سلم ने फ़रमाया:

«ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَا هُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ، رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِطَرِيقٍ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ». [بخاري / الشهادات ٢٢] (٢٦٧٢)

«तीन तरह के लोग ऐसे हैं कि अल्लाह तआला उनसे बात भी न करेगा, न उनकी तरफ़ देखेगा, और न उन्हें पाक करेगा, बल्कि उन्हें कठिन अज़ाब होगा, एक वह शख्स जो सफर में ज़रूरत से ज़्यादा पानी लिये जा रहा है और किसी मुसाफिर को (जिसे पानी की ज़रूरत हो) न दे।» (बुखारी: अशहादात २२, हनीस नम्बर: २६७२)

ऐ अल्लाह! हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर (आलोक से आलोकित) कर दे, और हमें हिदायत याप्ता (सही मार्ग प्राप्त) लोगों का रहनुमा बना, और हमें अपने उन नेक बंदों में शामिल कर जिन पर न कोई डर है और न वह मग्नमूम (दुःखित) हूँगे, और ऐ कृपा करने वालों में सबसे बड़ा कृपालु! अपनी ख़ास कृपा से हमको और हमारे वालिदैन (माता पिता) और तमाम मुसलमानों को बछा दे।

दुरुद व सलाम नाजिल हो मुहम्मद, उनके आल व अंयाल तथा उनके सहाबियों पर।

❖ हकीकी मुफ्लिस (निर्धन) कौन?

इस्लाम की खूबियों में से यह है कि वह इस बात को हराम कर देता है कि जान माल या आबरू (इज़्ज़त) या अ़क्ल (विवेक) में से किसी पर ज़्यादती की जाए, और वह तमाम जराइम (अपराध) जिन पर किसास (बदला) या हद की सज़ा वाजिब है, और इस्लामी अख्लाक जैसे सच्चाई, अमानत, पाक दामनी (सतीत्व) वगैरा इस्लाम की निगाह में कमाले उम्र (पूर्णता वाली चीज़े) नहीं हैं जैसाकि कुछ लोग वहम (भ्रम) के शिकार हो गए, बल्कि यह वाजिबात हैं जिनकी अदायेगी का इस्लाम हरीस (लोलुप) है, और जो शख्स भी इसके दाइरा (परिधि) से निकलेगा उसके बारे में बताता है कि अगर उसने तौबा नहीं की तो कियामत में उससे इसका बदला लिया जायेगा। अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फरमाया:

«أَتَرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ؟» قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعٌ؛ فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةً، وَيَأْتِي قَدْ شَتَّمَ هَذَا، وَقَدَّفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخْذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ؛ فَطَرَحْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ طَرَحْتُ فِي النَّارِ».

[مسلم / البر والصلة 15] [٢٥٨١]

«क्या तुम जानते हो कि मुफ्लिस कौन है?» लोगों ने कहा: हम में मुफ्लिस वह है जिसके पास ख़या तथा सामान न हो। आपने फरमाया: «कियामत के दिन मेरी उम्मत का मुफ्लिस शख्स वह होगा जो नमाज़, रोज़ा और ज़कात लेकर आयेगा, लेकिन उसने दुनिया में किसी को गाली दी होगी, किसी पर तुहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी का ख़ून बहाया होगा, किसी को मारा होगा, फिर उन लोगों को उसकी नेकियाँ दे दी जायेंगी, और जो नेकियाँ उसके गुनाह अदा होने से पहले ख़त्म हो जायेंगी तो उन लोगों की बुराइयाँ उस पर डाल दी जायेंगी, फिर उसे जहन्नम में डाल दिया जायेगा!» (मुस्लिम: अल्बिर वस्सिला १५, हरीस नम्बर: २५८१)

❖ पाकीज़ा गुप्तगृ (अच्छी बात करने) का हुकम

इस्लाम मुसलमानों को तालीम (शिक्षा) देता है कि उनकी ज़िंदगी के सुधार के लिए ज़रूरी है कि वह अपनी बात चीत में पाक व साफ़ रहे। अतः न किसी की ग़ीबत करे, न चुग्ली खाए, न गाली दे, न किसी मुसलमान पर तुहमत (आरोप) लगाए, न उस पर लानत (शाप) करे, न उसका मज़ाक उड़ाए, न उस पर बुहतान (अपवाद) लगाए, न उसके साथ झूट बोले। अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيَقُلْ حَبِّرًا أَوْ لَيَصُمُّتْ». [مسلم / الإيمان ١٩] (٤٧)

«जो शख्स अल्लाह तथा कियामत के दिन पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि बोले तो भली बात बोले वरना चुप रहे।» (मुस्लिम: अलैमान १६, हदीस नब्वर: ४७)

और आप ﷺ ने फ़रमाया:

«إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ». [مسلم / الحج ١٩] (١٢١٨)

«बेशक तुम्हारा खून, तुम्हारे माल और तुम्हारी इज्जत व आबूरु तुम पर हराम हैं।» (मुस्लिम: अलहज्ज १६, हदीस नब्वर: १२९८)

❖ और इस्लाम की खूबियों में यह है कि वह मुमिन को उसके फ़्राइज़ (कर्तव्यों) की अदायेगी की तर्गीब (उत्साह) देता है, और अपने परिवार तथा दोस्त व अहबाब, और रिश्तेदारों तथा पड़ोसियों और हर वह व्यक्ति जिनके साथ उसका कोई तअल्लुक है, उन्हें भलाई की तरफ़ बुलाने में किसी तरह की कोताही न बरूते, और इस दावत का सबसे बड़ा ज़रीया हक़ की वसियत करना, सब्र की वसियत करना, और भली बात का हुक्म करना, और बुरी बात से मना करना है।

❖ शर्म व हया (लज्जा करने) का हुकम

इस्लाम की खूबियों में से यह है कि वह उस हया का हुक्म देता है जो उस व्यक्ति के लिए फ़ज़ीलत (प्रतिष्ठा) की बुनियाद और बुराई से रक्षा का माध्यम

है, जिसे अल्लाह इसकी तौफीक़ दे। अब्दुल्लाह बिन मसऊद ﷺ की हडीस में है, नबी ﷺ ने फ़रमाया:

«اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ». قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا نَسْتَحْيِي، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، قَالَ: «لَيْسَ ذَالِكَ، وَلَكِنَّ الْأَسْتَحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَلَنْ تَذَكَّرِ الْمَوْتُ وَالْبَلَى، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا». [ترمذी / صفة القيامة ٢٤٥٨] (حسن)»

«अल्लाह तअ़ाला से शर्म व हया करो जैसाकि उससे शर्म व हया करने का हक है।» हमने कहा: हम अल्लाह से शर्म व हया करते हैं, और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आपने फ़रमाया: «हया का यह हक नहीं जो तुमने समझा है। अल्लाह से शर्म व हया करने का जो हक है वह यह है कि तुम अपने सर और उसके साथ जितनी चीज़ें हैं उन सब की हिफ़ाज़त करो, और अपने पेट और उसके अंदर जो चीज़ें हैं उनकी हिफ़ाज़त करो, और मौत तथा हड्डियों के गल् सङ् जाने को याद किया करो, और जिसे आखिरत की चाहत हो वह दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत (रंगीनी) को छोड़ दे।» (तिर्मिज़ी: सिफ़तुल क़ियामा २४, हडीस नम्बर: २४५८) (हसन)

◆ जानूदार को निशाना बनाने की हुर्मत (भनाही)

इस्लाम की खूबियों में से यह है कि उसने किसी जानूदार को निशाना बनाने से मना किया है। जैसाकि बुख़ारी व मुस्लिम में है कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कुरैश के जवानों के पास से गुज़रे जो एक चिड़या को बाँध कर निशाना बना रहे थे, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा को देख कर वह भाग खड़े हुए, आपने पूछा: यह कौन कर रहा था? अल्लाह उस पर लानत (शाप) करे जिसने ऐसा किया। रसूलुल्लाह ﷺ ने उस व्यक्ति पर लानत फ़रमाई जो किसी जानूदार को निशाना बनाए।

◆ इंसान की इज़ज़त व सम्मान

इस्लाम की खूबियों में से आज़ाद आदमी को ख़रीदने तथा बेचने से मना करना भी है। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : «ثَلَاثَةُ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ». [بخاري / الإجارة ١٠]

[٢٢٧٠]

«अल्लाह तआला का फरमान है कि तीन तरह के लोग ऐसे हैं कि जिनका कियामत में मैं खुद मुद्र्दङ्ग (वादी) बनूँगा। एक तो वह व्यक्ति जिसने मेरे नाम पे अहृद किया फिर वादा खिलाफी की। दूसरा वह जिसने किसी आज़ाद आदमी को बेच कर उसकी कीमत खाई। और तीसरा वह व्यक्ति जिसने किसी को मज़दूर किया, फिर काम तो उससे पूरा लिया, लेकिन उसकी मज़दूरी न दी।» (बुखारी: अल्इजारा ٩٠, हदीस नम्बर: ٢٢٧٠)

❖ बुजूमी (ज्योतिषी) को सच मानने की मुमानअत (मनाही)

इस्लाम की खूबियों में से यह है कि उसने जादूगर और काहिन की तस्दीक (सच मानने) को हराम करार दिया है। रसूलुल्लाह ﷺ का इरशाद है:

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيِّرُ لَهُ، أَوْ تُكَوِّنُ أَوْ تَكْهِنُ لَهُ، أَوْ سَحِرُ أَوْ سُحْرَ لَهُ، وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ». [مسند البزار ج ١ (١١٧٠) (صحیح)]

«वह शख्स हम में से नहीं जो बद फ़ाली करे या जिसके लिए बद फ़ाली की जाए, या कहानत (भविष्यवाणी) करे या जिसके लिए कहानत कराई जाए, या जादू करे या उसके लिए जादू कराया जाए, और जिसने किसी काहिन की बात की तस्दीक की, उसने रसूलुल्लाह ﷺ की शरीअत को झुटलाया।» (मुस्नदुल बज्जार, भाग नम्बर ٩, हदीस नम्बर: ٩٩٧٠, सहीह)

❖ और इस्लाम की खूबियों में से यह है कि उसने अज़्नबी औरत और अज़्नबी मर्द के इज़्तिमाअ (जमाव) को हराम करार दिया है, (अल्लाह की पनाह) चाहे जमा करने वाला मर्द हो या औरत।

❖ और इस्लाम की खूबियों में से यह है कि उसने इस बात को हराम किया है कि बादशाह के पास किसी मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश की जाए।

◆ और इस्लाम की खूबियों में ग़स्ब (अपहरण) करने की हुमत (मनाही) भी है, क्योंकि वह जुल्म है, और अल्लाह ज़ालिमों को पसंद नहीं करता।

◆ इस्तिकामत की तर्गीब (उत्साह प्रदान)

इस्लाम की खूबियों में इस्तिकामत की तर्गीब भी है, इस्तिकामत कहते हैं अक्वाल व अफ़्ज़ाल (कथन और कार्य) में एतिदाल (औसत दरजा) अखिल्यार करना, और तमाम हालतों में इस्तिकामत पर पाबंद रहना जिसकी वजह से नफ़्स बेहतर और कामिल हालत में रहे। अतः उससे कोई बुरी बात न निकले, न उसकी ओर किसी बुरी तथा कमीना बात की निस्वत की जाए। यह उसी वक्त हो सकता है जब मुशर्रफ़ व मुअ़ज़ज़ (आदृत तथा सम्मानित) शरीअत की पाबंदी की जाए, और ठोस दीन को मज़बूत पकड़ा जाए, और उसके हुदूद (सीमाओं) पर कायम रहा जाए, और साथ ही बेहतरीन अख़लाक़ और कामिल सिफात (पूर्ण गुण) अखिल्यार की जाएं। अल्लाह तआला का इर्शाद है:

إِنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا رَبِّنَا اللَّهِ ثُمَّ أَسْتَقَمُوا تَنَزَّلَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَرُوا وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ إِلَيَّ كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٢٠﴾ [فصلت: ٢٠]

“बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर उसी पर कायम रहे, उनके पास फ़रिश्ते (यह कहते हुए) आते हैं कि तुम कुछ भी डर और ग़म न करो, बल्कि उस जन्नत की बशारत सुन लो जिसका तुम वादा दिए गए हो।” (फुस्सिलत: ३०)

और अल्लाह ने अपने नबी मुहम्मद ﷺ से फ़रमाया:

﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾ [هود: ١١٢]

“जमे रहो जैसाकि आपको हुक्म दिया गया है।” (हूद: ١١٢)

और नबी अक्रम ﷺ ने सुफ़्रान बिन अब्दुल्लाह ﷺ से फ़रमाया:

«قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَمْ».

«तुम कहो मैं अल्लाह पर ईमान लाया, फिर उस पर जम जाओ।»

◆ बंदों पर अल्लाह के फ़ज़्ल व एहसान (कृपा व उपकार)

इस्लाम की खूबियों में से यह है कि अल्लाह ने मुसलमानों पर जो चीज़ भी हराम किया उसके बदले में उससे बेहतर चीज़ प्रदान की, ताकि उनकी ज़खरत पूरी हो जाए। जैसाकि इब्नुल कैइम रहिमहुल्लाह ने फ़रमाया: “अल्लाह ने मुसलमानों पर पाँसा के ज़रीया किस्मत मालूम करना हराम क़रार दिया, तो उसके बदले में उन्हें इस्तिख़ारा की दुआ की तालीम दी। सूद उन पर हराम किया तो नफ़ा बख्श तिजारत (लाभजनक व्यवसाय) प्रदान की। जुआ हराम किया तो घोड़ों, ऊँटों और तीरों के रेस के ज़रीया इनाम व पुरस्कार हलाल किया। और रेशम उन पर हराम किया तो ऊन कतान तथा उम्दा सूती कपड़ों को हलाल किया। शराब पीना हराम फ़रमाया तो लज़ीज़ मशरूबात (स्वादिष्ट पेय) और रुह व बदन को फ़ायदा पहुँचाने वाली चीज़ें हलाल कीं। खाने की गंदी चीज़ें हराम कीं तो पाकीज़ा खाने हलाल किए। इसी तरह हम इस्लामी तालीमात को तलाश करते हैं तो देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जहाँ एक तरफ अपने बंदों पर कोई तंगी और बंदिश रखी है तो उसी प्रकार की दूसरी चीज़ों से उन पर कुशादगी भी पैदा की है।

अल्लाह तआला बेहतर जानता है। मुहम्मद, उनके आल व ऐलाद (परिवार-परिजन) और उनके तमाम साथियों (सहाबियों) पर दुरुद व सलाम नाज़िल हो।

◆ अच्छी नियत की तर्फ़ीब (उत्साह प्रदान)

इस्लाम की खूबियों में से यह भी है कि उसने अपनी तमाम तालीमात व क़वानीन में अच्छे अस्वाब (माध्यम), अच्छे इरादे और पाकीज़ा नियत (निर्मल संकल्प) को बुनियादी हैसियत दी है। रसूलुल्लाह ﷺ का इश्शाद है:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى؛ فَمَنْ كَانَتْ هُجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكُحُهَا؛ فَهُجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ [بخاري / بدء الوضي ۱ (۱)]

«बेशक तमाम आमाल का दार व मदार (निर्भर) नियत पर है, और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नियत के अनुसार ही मिलेगा, पस जिसकी हिज्रत (स्वदेशत्याग) दुनिया की दौलत हासिल करने के लिए, या किसी औरत से शादी करने के लिए हो, तो उसकी हिज्रत उन्हीं चीज़ों के लिए होगी जिनके हासिल करने की नियत से उसने हिज्रत की है। (बुखारी: बदउल् वद्य १, हदीस नम्बर: १)

अतः जिसने इस नियत से खाना खाया कि अपनी ज़िंदगी की हिफाज़त करेगा, और अपने जिस्म को शक्तिशाली करेगा, ताकि अल्लाह ने उस पर हुकूक (अधिकार) और आल् व औलाद की जो ज़िम्मेदारियाँ आइद (अर्पित) की हैं सब अदा करे, तो इस अच्छी नियत के कारण उसका खाना और पीना सब इबादत में शामिल होगा।

इसी तरह जो शख्स अपनी बीवी और लौंडी के साथ अपनी हलाल शहवत (भोगेच्छा) पूरी करे कि उसकी और उसकी बीवी की इफ़क़त (पाक दामनी) क़ायम रहे, और अल्लाह उसे नेक औलाद प्रदान करे, तो यह भी इबादत है, जिसका अल्लाह की तरफ से अज्ञ व सवाब मिलेगा। इसी से मुतअल्लिक रसूलुल्लाह ﷺ का इरशाद है:

«وَبُصْنَعَتْ أَهْلَهُ صَدَقَةً». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! يَأْتِي شَهْوَةٌ وَتَكُونُ لَهُ صَدَقَةٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُ لَوْ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ حَقِّهَا أَكَانَ يَأْتِمُ؟»۔ [مسلم / المسافرين ۱۳] (۷۲۰)

«और उसका अपनी बीवी से हम्बिस्तरी (संभोग) भी सदक़ा है» लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! वह तो उससे अपनी शहवत पूरी करता है, फिर भी सदक़ा होगा? (यानी इस पर उसे सवाब क्योंकर होगा?) तो आप ﷺ ने फ़रमया: «क्या ख्याल है तुम्हारा अगर वह अपनी ख़ाहिश (बीवी के अलावा) किसी और के साथ पूरी करता तो गुनाहगार होता या नहीं?» (जब वह ग़लतकारी करने पर गुनाहगार होता तो सही जगह इस्तेमाल करने पर उसे सवाब भी होगा।) (मुस्लिम: अल्मुसाफिरीन ۱۳, हदीस नम्बर: ۷۲۰)

❖ ग़स्ब (अपहरण), चोरी और लूटे हुए माल के ख़रीदने की हुर्मत (मनाही)

इस्लाम की ख़ूबियों में से यह भी है कि जो चीज़ ग़स्ब की गई, या चोरी की गई, या उसके मालिक से नाहक़ छीन ली गई हो, उसका ख़रीदना मुसलमान पर हराम है, क्योंकि ऐसी चीज़ का ख़रीदना, ग़स्ब करने वाले, चोर तथा डाकू की मदद करना है। और जब यह मालूम हो जाए कि यह चीज़ चोरी की है तो चाहे चोरी की मुद्दत (अवधि) कितनी ही लम्बी क्यों न हो गई हो या चोरी का माल चोर और डाकू के हाथ में कितने ही ज़माना से क्यों न हो, हर हाल में वह चोरी ही है, ज़माना के लम्बा व कम होने की वजह से शरीअत किसी चीज़ को हलाल नहीं करती, और मुद्दत लम्बी होने के कारण अस्ल मालिक के हक़ को साक़ित (ख़त्म) नहीं करती।

❖ सूद की हुर्मत (मनाही)

इस्लाम की ख़ूबियों में से सूद को हराम करना भी है।

पहला: क्योंकि सूद आदमी के माल को बिना इवज़ (बदला) के दिला देता है, क्योंकि एक दिरहम को दो दिरहम के इवज़ बेचने की सूरत में एक दिरहम बगैर इवज़ के मिल जाता है, और सब जानते हैं कि इंसान का माल उसकी ज़खरत के साथ लगा हुआ है और उसका बड़ा इहतिराम (आदर) है।

दूसरा: सूद का रिवाज लोगों के दरमियान कर्ज़ (उधार) की नेकी को ख़त्म कर देता है।

तीसरा: सूद की वजह से आदमी रोज़ी कमाने की मशक्कत व परेशानी को बरूदाश्त नहीं करता जिससे मख्लूक के नफ़ा तथा फ़ायदे का ख़ातमा (अवसान) हो जाता है, और रोज़ी तलब करने की कोशिश और मेहनत ढीली पड़ जाती है, और अल्लाह ने सूद खाने तथा खिलाने वाले, और लिखने और गवाही देने वाले सब पर लानत की है।

❖ इस्लाम की नेमत को याद रखो

अल्लाह के बंदो! इस्लाम की जिन खुबियों का ज़िक्र तुमने अब तक सुना वह इस्लाम के समुंदर का एक विंदु मात्र है, जिससे अल्लाह ने अरब के भेदभाव तथा इख्तिलाफ़ को मिटा दिया, और उनके दिलों और सफ़ों को इकट्ठा कर दिया, और उनकी तबीउत व अख्लाक़ को संवार दिया, यहाँ तक कि उन्हीं में से एक ऐसी उम्मत तैयार की जो सख्त लड़ाकू, ज़बरदस्त शक्ति की अधिकारी थी, जिसने धरती को अपने कब्ज़ा में कर लिया और चारों ओर इस्लाम के इल्म व फन्न का प्रचार व प्रसार किया। अल्लाह तभ़ाता का फ़्रमान है:

﴿وَأَذْكُرُوا يَعْمَتَ اللَّهَ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَالَّتَّى بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْرَانًا﴾

[آل عمرान: ١٠٣]

“याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, तो उसने तुम्हारे दिलों में मुहब्बत डाल दी, पर तुम उसकी मेहरबानी से भाई भाई बन गए।” (सूरह आलि इम्रान: ٩٠)

और फ़रमाया:

﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَحَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَإِذَا كُنْتُمْ وَأَيَّدْكُمْ بِنَصْرٍ وَرَزْقٍ كُمْ مِنَ الظَّبَابِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ﴾ [الانفال: ٢٦]

“और उस हालत को याद करो जबकि तुम ज़मीन में थोड़े थे, कमज़ोर शुमार किए जाते थे, इस अंदेशा (डर) में रहते थे कि लोग तुम्हें नोच खसोट न लें, सो अल्लाह ने तुमको रहने की जगह दी और तुमको अपनी मदद से ताक़त दी। (अल्अन्फ़ातः: २६)

❖ इस्लाम सूरज की तरह है

अल्लाह ने इस्लाम धर्म को ज़मीन के तमाम ओर फैला दिया, गोया वह चमकता सूरज है जिसकी किरणें अप्रकाश्य नहीं है, और वह रोशन चाँद है जिसकी रोशनी मद्दिम (मन्दा) नहीं होती, न उसका नूर बुझता है। यह वह दीन है जिसे

उसके दुश्मन नापसंद करते हुए भी रोज़ाना (प्रतिदिन) जाने अनजाने उसके करीब होते जाते हैं, क्योंकि अपनी लाइली ईजादात (अनजाने आविष्कारों) और ज्ञानों में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे उसकी हक्कानियत (सत्यता) की गवाही दे रहे हैं। अल्लाह तआला का इरशाद है:

﴿سَرِّبُهُمْ إِيَّنَا فِي الْأَقْوَافِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبْيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ لِلْحَقُّ﴾ [فصلت: ٥٣]

“शीघ्र हम उन्हें अपनी निशानियाँ दुनिया के किनारों में दिखायेंगे तथा खुद उनकी अपनी ज़ात में भी, यहाँ तक कि उन पर स्पष्ट हो जाए कि सत्य यही है।” (फुस्तिलत: ५३)

इस्लाम वह दीन है कि उसके दुश्मन और हासिद (हिंसुक) पहले दिन ही से इसके खिलाफ साज़िशें (षड़यंत्र) कर रहे हैं, फिर भी जैसाकि आप देख रहे हैं न उसकी रोशनी बुझी, न ही उसकी दलील कमज़ोर हुई। अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿يُرِيدُونَ لِطُغْيَارًا نُورَ اللَّهِ بِإِفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتُّمٌ نُورٌ وَلَوْ كَرِهَ الْكُفَّارُ﴾ [الصف: ٨]

“वह चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपनी फूँकों से बुझा दें, और अल्लाह अपने नूर को कमाल (पूर्णता) तक पहुँचाने वाला है, गो काफ़िर बुरा मानें।” (अस्सफ़्क़: ८)

मुसलमानो! तुम्हारे लिए इतना ही जानना काफ़ी है कि इस्लाम दुनिया व आखिरत की भलाइयों और नेमतों को शामिल है, हर फ़ज़ीलत की इस्लाम ने तर्गीब (उत्साह) दी और तमाम रज़ाइल (नीचताओं) से नफ़रत दिलाई। अगर आप उसकी मज़बूत रसी को पकड़े रहोगे तथा उसके अहकामात पर अमल के हरीस व शाइक़ (लोलुप व अभलाषी) रहोगे और उसके आदात से आरास्ता (सुसज्जित) रहोगे तो सआदत की ज़िंदगी जियोगे और खुश बख़ती (सौभाग्य) की मौत मरोगे।





इस्लाम अतीत (माज़ी) के आईना में

इस्लामी उम्मत के आगाज़ (आरंभ) पर नज़र डालें, और उसकी पहली तरक़ी (प्रगति) के अस्वाब तथा कारणों पर गैर फ़रमायें तो आपको मालूम होगा कि जिसने उम्मत की आवाज़ को मुत्तहिद (एक) किया, उनकी हिम्मतों को उभारा, और उसके अफ़राद (जनों) को इकट्ठा किया, और उम्मत को ऐसी बुलंदी तक पहुँचा दिया जहाँ से वह दुनिया की तमाम उम्मतों पर शरफ़ (मान-प्रतिष्ठा) पा गई, और अपने मकाम व मर्तबा पर क़ायम रहते हुए अपनी बारीक (सूक्ष्म) हिक्मतों से उनकी कियादत (नेतृत्व) करने लगीं, वह सिर्फ़ “इस्लाम धर्म” ही था। वह दीन जिसकी नींव मज़बूत, बुनियादें सुदृढ़, तमाम अह़कामात (विधि-विधानों) पर मुश्तमिल (व्याप्त), प्रेम का बायेस (उद्दीपक), मुहब्बत का पयाम्बर (संदेश वाहक), आत्माओं का साफ़ करने वाला, दिलों को ख़सासतों (नीचता) के मैल से पवित्र करने वाला, अक़लों को सत्य की इज़्ज़त से रोशनी बख़्शने वाला, इंसानी समाज की तमाम बुनियादी ज़रूरियात (आवश्यक वस्तुओं) का जिम्मेवार, और उसके वुजूद का रक्षक, और अपने तमाम मानने वालों को सही शहरियत तमाम शोबों की दावत देता है।


इस्लाम के आने से पहले की तारीख का अध्ययन करो तो पाओगे कि लोग इख़ितलाफ़, बुरे व निकृष्ट तथा कमीना ख़स्तातों में मुक्तिला थे। इस्लाम धर्म ने आकर इंसानों को मुत्तहिद (एक) तथा शक्तिशाली और मुह़ज़ज़ब (सभ्य) बनाया, उनकी अक़लों को रोशनी बख़्शी, उनके अख़लाक़ दुरुस्त किए, उनके अह़कामात सुधारे, इस तरह इस्लामी उम्मत पूरी दुनिया पर छा गई और जहाँ हुकूमत की न्याय और इंसाफ़ का डंका बजाया।

ऐ अल्लाह! हमें अपनी तदबीर से बचा ले, और अपनी याद से हमको ज़ीनत बख्शा दे, और अपने हुक्म के अनुसार हमसे काम ले, और अपनी अच्छी परदा पोशी को हम पर तार तार मत कर दे, और अपनी मेहरबानी से हम पर एहसान फ़रमा दे, और अपनी याद और शुक्र पर हमें बर्कत और मदद प्रदान कर। ऐ अल्लाह! हमें अपने अ़ज़ाब से बचा ले, और अपनी सज़ा से हमारी रक्षा फ़रमा दे। ऐ अल्लाह! जिस पर तू ने हमें वाली (संरक्षक) वहाँ हमें न्याय तथा अटलता की तौफ़ीक़ दे। ऐ अल्लाह! हम इस दुनिया से तेरी पनाह (आश्रय) चाहते हैं जो आखिरत (परलोक) की भलाई से हमें रोक दे, और उस ज़िंदगी से तेरी पनाह चाहते हैं जो श्रेष्ठ कर्म से रोके, और तुझसे मँगते हैं कि तू हमारे दिलों को रोशन कर दे, और हमें अपने अटल बात पर दुनिया तथा आखिरत में कायम रख। और ऐ दया करने वालों में सबसे अधिक दयावान! अपनी दया से हमको और हमारे वालिदैन (माता पिता) और तमाम मुसलमानों को माफ़ कर दे। आमीन।

व सल्लल्लाहु अ़ला मुहम्मद व अ़ला आलिहि व स़ह़विहि अज़्مईन। अर्थात्
अल्लाह तअ़ाला मुहम्मद, उनके आल व अ़याल और उनके तमाम साथियों
(सहाबा) पर दुर्खद नाज़िल फ़रमाये।

समाप्त





IslamHouse.com

 [Hindi.IslamHouse](#)  [@IslamHouseHi](#)  [IslamHouseHi](#)  <https://islamhouse.com/hi/>
 [IslamHouseHi](#)

For more details visit
www.GuideToIslam.com



contact us :Books@guidetoislam.com

 [Guidetislam.org](#)  [Guidetoislam1](#)  [Guidetoislam](#)  www.Guidetoislam.com



المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة


هاتف: +٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠ فاكس: +٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦ ص.ب: ١١٤٥٧ الرياض

ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH

P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126

इस्लाम धर्म की खूबियाँ

इस किताब में है: ♦ इस्लाम धर्म की विशेषताएँ ♦ शरई अहकामात की खूबियाँ ♦ इस्लाम एक अज़ीम नेमत है और सूरज की मिस्त्र है।



IslamHouse.com



Osoul Center
www.osoulcenter.com

